(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 11] पंचम् विधान सभा के ग्यारहवें सत्र का पांचवा दिवस [संख्या 5

शुक्रवार,

12 मार्च, 1976

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.1 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[कृषि, गृह, विधि, भेड व ऊन, शिक्षा, राजस्व, अकाल सहायता, उद्योग विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

श्री ओंकारलाल।

कृषि वित्त निगम द्वारा किसानों को कर्जा

56. **श्री ओंकारलाल चौहान** (डग) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या कृषि वित्त निगम ने किसानों को कर्जा देने की पद्धति को सरल करने का आश्वासन दिया है ?

(2) यदि हां, तो कब तक यह पद्धति लागू कर दी जावेगी ?

कृषि मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : (1) जी नहीं। कृषि वित्त निगम द्वारा किसानों को कर्जा देने की पद्धति में सरलीकरण का कोई आश्वासन नहीं दिया गया है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री ओंकारलाल चौहान : क्या आश्वासन दिया या नहीं दिया, इससे तो मुझे कोई मतलब नहीं लेकिन क्या माननीय मंत्री जी यह महसूस नहीं करते हैं कि कृषि वित्त निगम द्वारा किसानों को ऋण न देने से उनको बहुत ही असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है ?

श्री शिवचरण माथुर : आश्वासन कुछ दिया नहीं दिया उसका तो मैंने आपको उत्तर दिया। एग्रीकल्चर रिफाइनेन्स कार्पोरेशन की ओर से लोन देने की प्रक्रिया बड़ी जटिल है। पिछले दिनों इसके चेयरमैन भी आये थे और उनसे काफी विस्तार में चर्चा की। अलग-अलग बैंक होते हैं और वे फाइनेन्स करते हैं एक परकोटियम बना हुआ है। इनका सरलीकरण किया जाय, इसके बारे में चर्चा की गयी है डिटेल्स में। लैटर भी हम लिख चुके हैं।

श्री ओंकारलाल चौहान : इसका कुछ हल निकल सकेगा ?

Page No 2

(2)

श्री शिवचरण माथुर : विश्वास तो यही है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : सरलीकरण का प्रश्न कब टेक अप किया ? I want to know this निगम का प्रोसेस बहुत ही कठिन है और उसका सरलीकरण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है अन्यथा किसानों को लोन की सुविधा नहीं मिल सकती।

श्री शिवचरण माथुर : बहुत पहले सन् 71 से ही इसके विषय में प्रयत्न किये जाते रहे हैं। कोटा में एक प्रोजेक्ट लगाया था उस वक्त से ही इस पर चर्चा कर रहे हैं। बैंक से लोन देने में कठिनाइयां आ रही थीं, उनसे बात की गयी। पहले लिखा पढ़ी से ही बात हो रही थी और अब उनको बुलाया और बातचीत की।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : पांच साल के लगातार प्रयत्नों के बावजूद भी सरलीकरण नहीं हो सका ?

श्री शिवचरण माथुर : बैंकों की अपनी प्रक्रिया है। जो कुछ पैसा वे देते हैं उसकी सेफ्टी के लिये वे अपनी कोई प्रक्रिया अपनाते हैं। यह चर्चा यहीं नहीं हुई है। भारत सरकार के वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में चर्चा चली है। यह बात सही है कि कार्मशियल बैंक्स अपने ढंग से पैसा देने में विश्वास करते हैं, एक फोर्म में नहीं। किन्तु फाइनेन्स मिनिस्टर्स की कान्फ्रेन्स में, एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की कान्फ्रेन्स में यह प्रश्न रेज किया गया। पिछली बार कृषि मंत्री आये थे और एक मीटिंग बुलायी थी तो उस वक्त भी यह चर्चा की गयी थी। उनकी अपनी व्यवस्था है। हमारा यह प्रयत्न है कि सरलीकरण किया जाय।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : लैंड डेवलपमेन्ट बिल भी, जो अब एक्ट बन चुका है, लाया गया था, उसमें पीनल पनिशमेन्ट रखा है, स्ट्रांग क्लाजेज रखे हैं। फिर भी आपकी ईमानदारी के बारे में कन्वीन्स नहीं कर सके।

श्री शिवचरण माथुर : आप फर्मा रहे हैं यह ठीक है कि लैंड डेवलपमेन्ट एक्ट में काफी सुविधायें दी हैं जिससे बैंक का पैसा वसूल हो जाय। उसके बावजूद भी उनका अपना कहना है कि पार्शियल ही कर सकते हैं।

श्री जगमोहन सिंह (छबड़ा) : मौजूदा सूरत में जो रूल्स हैं उनके कन्टेक्स्ट में लोन की बात है और जो भी पैसा लेता है उसकी दस हजार की साख होनी चाहिये अन्यथा डिफाल्ट का कारण बन सकता है।

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी): इसको काफी, मोर देन एनफ, एक्सप्लेन कर दिया गया है। एग्रीकल्चर रिफाइनेन्स कार्पोरेशन राजस्थान गवर्नमेन्ट का नहीं है, यह भारत सरकार का है। बैंक्स मिल कर इसको फाइनेन्स करते हैं। सरलीकरण के लिये प्रयत्न कर सकते हैं कि उनको सरल किया जाय और इस ओर स्टेट गवर्नमेन्ट बराबर प्रयत्न कर रही है।

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : हमारा कहना यह है कि एग्रीकल्चर रिफाइनेन्स कार्पोरेशन ने जो लोन्स दूसरी स्टेटस को दिये हैं, कहीं

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

10 पर्सेन्ट दिये, हरियाणा में 25 पर्सेन्ट कर दिया, गुजरात को दिया लेकिन आपके यहां नेग्लीजिबल है इसलिये यह फीलिंग है कि और स्टेट्स में काफी पर्सेन्टेज पर लोन दिया है तो आप क्यों नहीं प्राप्त करें?

श्री शिवचरण माथुर : यह प्रश्न एग्रीकल्चर रिफाइनेन्स कार्पोरेशन का है। इस साल भी रिकार्ड उठा कर देख लीजिये कि एग्रीकल्चर रिफाइनेन्स कार्पोरेशन से कितना मिला है। उसमें बहुत सुधार है। इतनी स्कीम्स ली हैं, इतना रुपया ले आये हैं कि एकदम पर्सेन्टेज हमारा बढ़ा है। फिगर्स इस समय मेरे पास नहीं हैं। मुख्य मंत्रीजी ने हमेशा इस बात को कहा है कि आउट साइड दी प्लान बनाना चाहते हैं फाइनेन्स की व्यवस्था हो सकती है, विकास की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं और ए.एफ.सी. की स्कीम्स बन रही हैं। लगातार स्कीम्स आती हैं और बना रहे हैं। काफी तेजी से स्कीम्स आर.एफ.सी. से निकल रही हैं। एक और जानकारी के लिये बता दूं कि रीजनल ओफिस नहीं था ए.एफ.सी. का हमारे प्रयत्नों से रीजनल डाइरेक्टर ओफिस कायम हुआ। तो सुविधायें तो बढ़ी हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया।

प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय उदासर (बीकानेर) द्वारा अस्पृश्यता का व्यवहार

57. **श्री रावत राम** (छापर) [श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नोखा) की अनुपस्थिति में] : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय उदासर (बीकानेर) के प्रधानाध्यापक श्री जमनालाल बाहेती ने श्री रूपाराम मेघवाल (हरिजन) व्यायाम शिक्षक के साथ अस्पृश्यता का व्यवहार कई बार किया जिससे परेशान होकर श्री रूपाराम ने थाना पुलिस जामसर में केस दायर किया? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी?

(2) क्या उक्त दोषी प्रधानाध्यापक को सरकार निलम्बित करेगी? यदि हां तो कब तक?

राज्य मंत्री, गृह (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : (1) जी हां। अनुसंधान के बाद दिनांक 17-11-75 को चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है।

(2) प्रधानाध्यापक को निलम्बित नहीं किया गया है। न्यायालय का निर्णय होने पर तदनुसार कार्यवाही की जावेगी।

श्री रावतराम : अध्यक्ष महोदय, यह एक जगह का प्रश्न नहीं है। शिड्यूल्ड कास्ट के टीचर्स के साथ प्रधानाध्यापक छूआछूत करते हैं। लड़कों को उकसाया जाता है। बहुत बड़ी प्रोब्लम है। आज के युग में यह जो व्यवस्था चल रही है यह बड़ी खतरनाक बात है। जहां से भी शिकायतें आती हैं तो उन लोगों को सस्पेन्ड क्यों नहीं करते हैं? पनिशमेन्ट क्यों नहीं देते हैं? आप सोच सकते हैं, थानेदार इन्क्वायरी करेगा, एक्शन बाद में होगा। आये दिन इस प्रकार के केसेज होते रहते हैं।

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी): इसकी गवर्नमेन्ट लेवल पर जानकारी मुझे स्वीकार

(श्री हरिदेव जोशी)

करना चाहिए कि इसी प्रश्न से हुई है। इसको हम देख लेंगे इस रूप में कि प्राइमा-फेसी केस चालान करने काबिल था तभी किया गया और अगर प्राइमा-फेसी केस है तो उसको सस्पेन्ड किया जाना चाहिए।

श्री रावतराम : इसमें एजुकेशन डिपार्टमेन्ट को एक्शन लेना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री मीठालाल।

लालसोट (जयपुर) में मुन्सिफ न्यायालय खोलने का मामला

58. **श्री मीठालाल मीणा** (लालसोट): क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(क) क्या यह सही है कि दौसा (जयपुर) स्थित मुन्सिफ न्यायालय प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी में चल रहे मुकदमों में आधे से अधिक लालसोट (जयपुर) तहसील से संबंधित लोगों के हैं? यदि हां, तो अलग-अलग न्यायालयों में लालसोट तहसील से संबंधित लोगों के कुल कितने-कितने मुकदमे विचाराधीन हैं तथा यह कुल मुकदमों का कितना प्रतिशत है?

(ख) क्या यह सही है कि लालसोट (जयपुर) में मुन्सिफ न्यायालय खोलने का मामला सरकार के पास काफी समय से विचाराधीन है? यदि हां, तो कब से? तथा भविष्य में कब तक उक्त न्यायालय खोल दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, विधि (श्री फारुक हुसन) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां, जुलाई 1974 को एक प्रार्थना-पत्र युवा मोर्चा लालसोट का इस सम्बन्ध में प्राप्त हुआ था। उच्च न्यायालय से इस बारे में टिप्पणी मांगी गई है जिसका उत्तर आने पर निर्णय लिया जाना सम्भव होगा।

श्री मीठालाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, लालसोट में मुन्सिफ न्यायालय खोलने की मांग कई दिनों से चल रही है और इस न्यायालय का औचित्य भी है। क्या राज्य सरकार ने यह टिप्पणी लिखकर हाई कोर्ट को भेजी है या हाई कोर्ट की टिप्पणी आने के उपरान्त ही आप अपनी राय देंगे? आप उचित मानते हैं या नहीं? यदि उचित मानते हैं तो इसका निर्णय कब तक कर देंगे?

श्री फारुक हुसन : जो फिगर्स मुकदमा हैं उनको देखते हुए जो मांग है वह उचित प्रतीत नहीं होती। लेकिन फिर भी हाई कोर्ट से टिप्पणी मांगी गयी है और वहां से टिप्पणी आने पर ही विचार किया जायेगा।

श्री मीठालाल मीणा : मेरा निवेदन था कि आपने अपनी तरफ से टिप्पणी भेजी या नहीं? आप इसको उचित मानते हैं या नहीं? मुकदमों का फिगर क्या है वह सही नहीं हैं। जनता को सुलभ न्याय मिले इस नीति को ध्यान में रखते हुए आप इस पर कब तक निर्णय कर लेंगे और कब तक शीघ्र ही यह न्यायालय खोल देंगे?

विधि मंत्री (श्री खेतसिंह) : जो मुकदमों का फिगर है वह इस प्रकार है : मुन्सिफ मजिस्ट्रेट दौसा की कोर्ट में 1926 टोटल केसेज हैं और उनमें से 287 केसेज लाल-

(श्री खेतसिंह)

सोट एरिया के हैं यानि 14 पर्सेन्ट हैं आपके केसेज वहां पर। दूसरे एडीशनल मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की कोर्ट में टोटल केसेज 755 हैं और उनमें से लालसोट एरिया के 359 हैं और इसका पर्सेन्ट 47 आता है ..

श्री मीठालाल मीणा : यह सही है।

श्री खेतसिंह : दोनों ही सही हैं। वह तो आपके विपरीत पड़ता है इसलिए ठीक नहीं है। टोटल नम्बर आफ केसेज 2681 हैं और उनमें से लालसोट के 647 हैं अर्थात् 24 पर्सेन्ट हैं जब कि आपने प्रश्न में यह कहा है कि आधे से ज्यादा हैं। हकीकत कुछ और है। क्योंकि आप भी आये थे और युवा वर्ग भी आया था इसलिए इसको हाई कोर्ट को रिकमन्ड कर दिया है। अब हाई कोर्ट जो फैसला देगा उस पर विचार किया जायेगा।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय (बूंदी) : अध्यक्ष महोदय, कानून मंत्री महोदय से मैं इस विषय में पूछना चाहता हूं कि क्या काइटेरिया है मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट्स कायम करने का, डिस्ट्रिक्ट जजेज कायम करने का, एडीशनल डिस्ट्रिक्ट जजेज कायम करने का ? पहले के प्रपोजल्स थे वह मैंने सुना है कि टर्न डाउन कर दिये गये हैं। इसका क्या काइटेरिया है वह बताने की कृपा करें ताकि हम आगे उसी आधार पर प्रश्न पूछें।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय मंत्री ने बताया कि केसेज के आधार पर हम सोचते हैं तो सवाई माधोपुर में ए.डी.जे. कोर्ट की स्थापना की गयी है उसका क्या आधार है ?

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि नम्बर आफ केसेज को देखते हुए और वर्क के लोड को देखते हुए दौसा में ही तीसरा मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कोर्टस स्थापित करने का मामला सरकार के विचाराधीन था जिससे कि केसेज में डिले नहीं हो ? इसको देखते हुए क्या सरकार मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की कोर्ट की स्थापना करने पर विचार करेगी ?

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि क्या काइटेरिया है। अब जुडीशियल डिपार्टमेन्ट बहुत बड़ा डिपार्टमेन्ट है और काइटेरिया की पूरी फाइल हर वक्त हमेशा मैं साथ नहीं रखता हूं। इसके बारे में कृपा करके अलग से प्रश्न पूछ लें मैं बता दूंगा। जहां तक गंगापुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि सवाई माधोपुर और गंगापुर में टोटल केसेस क्या हैं तो यह भी मेरे पास सूचना इसलिए उपलब्ध नहीं है कि यह तो दौसा में मुन्सिफ मजिस्ट्रेटी का प्रश्न था....

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : मेरा निवेदन तो यह था। माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि हम केसेज के आधार पर इनको खोलते हैं या व्यवस्था करते हैं तो ए.डी. जे. कोर्ट सवाई माधोपुर में स्थापित की गयी जब कि टोटल केसेस ही वहां पर 6 या 7 हैं। उसकी स्थापना वहां कर दी गयी इसका कारण जानना चाहता था।

श्री खेतसिंह : क्राइटेरिया सिर्फ केसेज का ही नहीं है पर केसेज इज ए मेजर फैक्टर। उसके अलावा और क्राइटेरिया हैं जिनके आधार पर खोला जाता है। दौसा में तीसरे कोर्ट की बात कही वह नम्बर आफ केसेज के हिसाब से आवश्यक होगा तो हाई कोर्ट इसको हमें लिख कर भेज देगा और उस समय गौर कर लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

प्रश्न संख्या 59

श्री रामप्रसाद वोहरा।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री नानालाल

राजस्थान में ऊन का उत्पादन

60. श्री नानालाल (राजसमन्द) : क्या भेड़ व ऊन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में प्रति वर्ष कुल कितनी ऊन उत्पन्न होती है? राज्य सरकार कितनी ऊन खरीदती है तथा कितनी ऊन उपयोग में लाने के साधन विभाग के पास हैं? तथा अन्य ऊन के लिए क्या व्यवस्था एवं योजना है?

(2) राजस्थान के कौन कौन से जिलों में कितनी ऊन पैदा होती है और किस किस जिले की ऊन क्या क्या काम आती है?

राज्य मंत्री, भेड़ व ऊन (श्री मुन्शीलाल महावर) : (1) राजस्थान में प्रतिवर्ष लगभग 110 लाख किलोग्राम ऊन उत्पन्न होती है। पिछले दो साल पहले तक (1973-74) कुल उत्पादन के 7 पर्सेन्ट से 10 पर्सेन्ट तक राज्य सरकार खरीदती रही है। विभाग के पास उपयोग के वर्तमान में कोई साधन नहीं हैं। विभाग सारी खरीदी गई ऊन का वर्गीकरण करके बेच देता है।

(2) ऊन उत्पादन आदि की जिलेवार सूचना संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखिए)

श्री नानालाल : अध्यक्ष महोदय माननीय मंत्री महोदय ने जो लिस्ट भेजी है उसके आधार पर उन्होंने अभी तक सिर्फ कालीन उद्योग के काम में बताई है, लेकिन राजस्थान में अभी तक कालीन उद्योग के बारे में कोई व्यवस्था नहीं है। यह कालीन उद्योग हर जिले में स्थापित हो सकते हैं। उन्होंने फिगर्स दिये हैं हर जिले और तहसील में कालीन उद्योग स्थापित हो सकता है और लोगों को रोजगार मिल सकता है। ऊन का उत्पादन बिना किसी खर्चे के होता है और उसका उपयोग नहीं है। इससे राज्य सरकार को विदेशी करेन्सी भी प्राप्त हो सकती है। सारी ऊन, आपने बतायी नहीं है। आज तक कहीं नहीं बनता है। आपने भीलवाड़ा में बता दिया कि बनते हैं। लेकिन यह कोई भी नहीं बता सकता है अगर भीलवाड़ा में चकमे बनते हैं।

एक माननीय सदस्य : यह चकमा ही चकमा है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपका मतलब यह है कि भेड़ बकरी के घर चकमा बनता है।

श्री मुन्शीलाल महावर : ऊन के उपयोग को सार्वजनिक क्षेत्र में बढ़ाने पर राज्य सरकार गहराई से विचार कर रही है। ऊन के उपयोग पर पूर्ण जानकारी वर्तमान में उद्योग विभाग द्वारा ही की जा सकती है। साधारणतया राज्य में उत्पादित ऊन मोटी, मध्यम और कुछ उत्तम श्रेणी की होती है। जो कालीन, ऊनी वस्त्र, होजरी, शाल, कम्बल, पट्टू नमदे आदि के काम आती है।

श्री रामरघुनाथ सिंह चौधरी (डेगाना) : पिछले दो साल में कितनी ऊन खरीदी गयी और बेची गई और उसमें नफा नुकसान क्या हुआ ?

श्री मुंशीलाल महावर : यह अलग से प्रश्न है।

श्री रणजीतसिंह (ओसियां) : एक भेड़ के ऊपर से कितनी ऊन निकलती है ?

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : माननीय मंत्री महोदय यह बतायें कि राज्य सरकार ने ऊन के बारे में····

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : थोड़ी सी ऊन मोटे मंत्री पर भी रहने दो।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहता हूं कि जो उन्होंने अभी कहा कि राज्य सरकार ऊन के बारे में बहुत गहराई से सोच रही है तो मैं जानकारी चाहता हूं कि गहराई में कितने फिट गहरी है।

श्री मुंशीलाल महावर : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने····

(व्यवधान–शोरगुल–अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हैं।

श्री मुन्शीलाल महावर : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य श्री चुन्नीलालजी इन्दलिया ने, कितनी गहराई से विचार कर यह प्रश्न पूछा है तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार इसके लिए एक कार्पोरेशन बनाने के बारे में विचार कर रही है और इसके लिए एक कमेटी भी नियुक्त की जा चुकी है। यह कमेटी ऊन के उपयोग पर और इससे सम्बन्धित सभी पोइन्ट पर या पहलुओं पर विचार कर रही है और उसकी रिपोर्ट आने पर सरकार आगे विचार करेगी एवं निर्णय लेगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

(व्यवधान–अश्रव्य)

श्री मूलचन्द सामरिया : वह किस पहलू पर विचार कर रही है ? क्या पहलू हैं विचार के ? ये कुछ भी नहीं समझे हैं।

श्री रणजीतसिंह : क्या मंत्री महोदय, यह बता सकते हैं कि राजस्थान में कुल कितनी भेड़ें हैं और कितनी भेड़ों पर कितनी ऊन उतरती है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : वह तो तगड़ी भेड़ की बता सकते हैं, कमजोर की नहीं।

श्री मुन्शीलाल महावर : अलग अलग भेड़ पर अलग अलग ऊन उतरती है। किसी पर पांच सौ ग्राम से आठ सौ ग्राम तक ऊन उतरती है लेकिन जो मेरिना वगैरह

(श्री मुन्शीलाल महावर)
अच्छी भेड़ें हैं उन पर तो नौ से बारह किलो तक ऊन उतरती है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आप जितनी बड़ी भेड़ हो तो कितनी ऊन उतरेगी ?

(व्यवधान, शोरगुल–अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री रघुनाथ विश्नोई।

सांचौर क्षेत्र में गेहूं की फसल में बीमारी

61. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि सांचौर जिला जालौर में नेहड़ क्षेत्र में गेहूं की फसल में गेरू की बीमारी इस साल फैली है ? अगर हां, तो कहां कहां और कितने क्षेत्र-फल में ?

(2) उक्त बीमारी की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या क्या कार्य-वाही की गई है ?

(3) क्या यह सत्य है कि उक्त बीमारी को पूर्ण रूप से रोकने में सरकार कामयाब नहीं हुई है ? अगर हां, तो क्यों ? भविष्य में इस बीमारी की रोकथाम के लिए सरकार क्या क्या कदम उठाना उचित समझेगी ?

(4) उक्त बीमारी से कितने काश्तकारों को कितना कितना नुकसान हुआ है ? काश्त-कारों को कब तक क्या राहत पहुंचाना उचित समझेगी ?

कृषि मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : (1) जी हां। पंचायत समिति के नेहड़ क्षेत्र में 1000 एकड़ में गेहूं की फसल में गेरू बीमारी का प्रकोप पाया गया।

(2) रोली रोग के प्रकोप की सूचना प्राप्त होते ही भारत सरकार एवं राज्य सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण किया गया। रोग के प्रकोप वाले क्षेत्र के कुछ रकबे पर प्रदर्शन के बतौर शत प्रति-शत अनुदान पर फफूंदनाशक दवा छिड़क कर प्रसारण को रोका गया। इसके अति-रिक्त ग्राम दूठवा में रोग प्रसारण रोक के 5 प्रदर्शन लगाए गए। जिलाधीश, जालौर की सिफारिश के अनुसार राज्य सरकार ने जालौर जिले की पंचायत समिति, सांचौर के नेहड़ क्षेत्र में बोई गई रोली रोग से शीघ्र प्रभावित होने वाली देशी गेहूं की फसल को 5000 हैक्टर में रोली रोग के प्रसारण पर रोक हेतु महामारी घोषित कर 50 प्रतिशत अनुदान व 50 प्रतिशत ऋण पर फफूंद-नाशक दवा वितरित करने हेतु आदेश दिये। क्षेत्र में छिड़काव कार्य हेतु रसायनों व उपकरणों की समुचित व्यवस्था कर दी गई।

(3) जी नहीं। छिड़काव किए गए क्षेत्र में रोग प्रसारण से रोक हुई है। भविष्य में प्रत्येक काश्तकार को नियंत्रण उपाय अनि-वार्य रूप से करने हेतु राज्य सरकार राजस्थान कृषिनाशी कीट एवं रोग अधिनियम, 1951 का सख्ती से पालन करवाने की सोचती है, ताकि बीमारी का समय पर नियंत्रण किया जा कर फसल को हानि से बचाया जा सके। चूंकि रोग देशी गेहूं में ही लगा है, अतः इस प्रकार देशी गेहूं की काश्त को रोकने के प्रश्न पर भी सरकार विचार कर रही है।

(श्री शिवचरण माथुर)

(4) काश्तकारों के सही नुकसान का अनुमान खड़ी हुई फसल में लगाना कठिन है। कृषि विभाग किसानों को जिन क्षेत्रों में रोली का असर नहीं हुआ है वहां बड़े पैमाने पर महामारी घोषित कर फसल को बचाने का प्रयत्न कर रही है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, 1973–74 में भी आपके क्षेत्र में फिफ्टी पर्सेंट फसल नष्ट हो गई थी तो इस साल शुरू में ही स्टेप क्यों नहीं लिए गए ?

श्री शिवचरण माथुर : देशी गेहूं की वैराइटी में ही यह रोग लगता है इसलिए किसानों को कहा गया कि देशी गेहूं की वैराइटी नहीं बोयें...

(व्यवधान–अश्रव्य)

यही बिकाशन हो सकता था, यही पोसीबली करने वाली बात हो सकती थी जो की गई। वैसे भी एक्सटेंशन मैथड से भी सजेस्ट किया गया था कि इस तरह का बीज मत बोओ क्योंकि देशी गेहूं में भी यह रोली का रोग लगता है। एक बार यह बीमारी लगने के बाद वाइल्ड फायर की तरह फैलती है। एक बार यह बीमारी फैलने के बाद कोई इलाज नहीं है इसका। एक बार जहां यह गेरू रोग फैल गया वह फैलता ही चला जाता है उसको रोकने का कोई इलाज नहीं है और यह देशी गेहूं की वैराइटी में ही एक्सप्टेबल है। जो दूसरी वैराइटी है मैक्सीकन गेहूं है या हाई यील्ड वैराइटी है उसमें यह रोग नहीं लगा है। यह बीमारी देशी गेहूं में ही लगी है...

श्री झाबरमल सुण्डा (फतेहपुर) : आपकी सूचना गलत है। मैक्सीकन गेहूं में भी और हाई यील्ड वैराइटी दोनों में ही यह रोग लगता है और अभी भी लगा है।

(व्यवधान–अश्रव्य)

श्री शिवचरण माथुर : मेरा पूरा जवाब सुन लीजिए।

तो मेरा निवेदन है कि हमने किसानों को यह कहा था कि आप देशी गेहूं मत बोइये। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, और कि माननीय सदस्य भी इस को जानते हैं कि नेहड़ क्षेत्र में लोग एक बार बोने के लिए जाते हैं और फिर तैयार हो जाता है तो उसको काटने के लिए जाते हैं। एक बार बीज बिखेर देते हैं और अगर तैयार हो जाता है तो उसको काट लाते हैं। वहां पर अगर यह रोग फैल जाता है तो फिर वह फैलता ही चला जाता है सारे राजस्थान में, और इसको रोकना मुश्किल हो जाता है। जो भी अफेक्टेड एरिया है उसके अन्दर हमने एक्शन लिया है और प्रिवेंटिव मेजर्स भी लिए हैं। जहां कहीं पर भी मालूम पड़ा वहां फौरन कलेक्टर को बुलाकर कहा कि आप वहीं तक सीमित नहीं रहें, जहां जहां पर भी लाइकली समझें, जहां इसका अफेक्ट हो सकता है, हमको तुरन्त सूचना दो ताकि स्टेप्स लिए जा सकें। हमने रिपोर्ट मंगा कर कार्यवाही की है और महामारी घोषित की है। उसके बाद में फिफ्टी परसेंट राज्य सरकार से किसानों को अनुदान मिल जाता है और उसके बाद में फिफ्टी पर्सेंट किसानों को राहत देने के लिए तकावी की व्यवस्था कर दी है ताकि किसानों

(श्री शिवचरण माथुर)

के पास पैसा नहीं हो तो उनको पैसा भी मिल जाय और उनको राहत मिल सके। यह हमने अब तक व्यवस्था की है लेकिन एक बात मैं निश्चित तौर पर आपसे कह सकता हूं कि एक बार यह रोग फैलने के बाद में इसका इलाज करना बड़ा कठिन होता है, इसको रोक पाना कठिन है।

श्री विजय सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय.....

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्रीजी ने...

(व्यवधान : अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता महोदय।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप कहते हैं कि हमने किसानों को कहा कि देशी गेहूं मत बोओ तो शुरू-शुरू में स्टेप लेकर उनको यह गेहूं बोने से रोका क्यों नहीं? जिस क्षेत्र के अन्दर यह रोग फैला है, नेहड़ क्षेत्र में यह रोग फैला है तो उसके अन्दर गेहूं बोते नहीं हैं, छिड़का है, बोया नहीं है। वैसे भी गेहूं वहां बोते नहीं हैं, छिड़काव कर देते हैं और अगर उग गया तो काट लाते हैं। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने और उनके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अफसरों ने यह सावधानी क्यों नहीं बरती कि उस क्षेत्र के अन्दर अच्छी वैराइटी का गेहूं ही बोने देते, बाकी किसी तरह का गेहूं नहीं बोने देते? इसके अलावा बीज का भाव उस समय तीन रुपया किलो था। जो गरीब किसान हैं, शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं उनके पास पैसा कहां था कि वे इतना महंगा बीज खरीद सकते। आपने उस समय ही अच्छे बीज की व्यवस्था क्यों नहीं की? अब आप कहते हैं कि फिफ्टी पर्सेंट क्रेडिट की व्यवस्था की है तो पहले से ही काश्तकार को क्रेडिट पर बीज मिल सके, उसके वितरण की व्यवस्था क्यों नहीं की? अगर नहीं की तो यह बात है कि जैसा भी बीज उनको उपलब्ध हुआ, कुछ महाजनों से लिया, सीधे राशन की दुकानों से सड़ा गला गेहूं मिला वही लेकर उन्होंने छिड़क दिया। यह राज्य सरकार की खुद की लायबिलिटी थी, आपको नेग्लीजेंस रही है इसके बारे में क्या कहना है?

(व्यवधान–अश्रव्य)

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : मैं भी एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। केवल एक प्रश्न।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरसिंह रावत।

श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो रोली का रोग है यह हर साल नहीं होता है। जब ज्यादा वर्षा होती है तो ज्यादा बरसात होने के बाद ही गेरू रोग होता है। जो धोरों पर दाब होती है उसी में सबसे पहले रोग होता है और वहीं से मालूम हो सकता है। आप यह जानते हैं कि रबी की फसल बरसात के बाद में बोई गई थी तो यह आपको सोचना था कि इस साल रोली का प्रकोप हो सकता है। किसानों को यह क्यों नहीं कहा कि यह देशी गेहूं मत बोइये। इसके अलावा आपके ग्राम सेवक हैं, एग्रीकल्चर के वर्कर हैं उनको पहले से ही संकेत मालूम होते ही रोग के रोकने की कार्यवाही करनी चाहिए थी क्योंकि ज्यादा फैल जाने के बाद

(श्री शंकरसिंह रावत)
में रोकना सम्भव नहीं होता है। लेकिन रोली के रोग के सम्बन्ध में आपका विभाग कुछ नहीं कर पाया है इससे फिफ्टी पर्सेंट तक हानि होने वाली है। इसलिए जहां-जहां देशी गेहूं है वहां कुछ न कुछ ऐसी दवाइयां मिला कर रोकथाम की कोशिश करनी चाहिए और इसके लिए प्रयास करना चाहिए।

(व्यवधान – प्रश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : एक बार में एक माननीय सदस्य बोलें। One at a time.

श्री विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, जो आपका कहना है कि देशी गेहूं में ही यह रोग लगता है और दूसरी वेराइटी में नहीं, यह सही नहीं है। मेरे खुद के खेत में मैक्सीकन गेहूं में रोग लगा है, और सारा खेत साफ हो गया है। आप अभी भी जांच करवा लीजिए।

दूसरी बात यह जानना चाहता हूं, कि आपने एपेडेमिक घोषित किया है, भीलवाड़ा जिले में सिर्फ दो तहसीलों को ही, लेकिन जो बाकी तहसीलें हैं वहां पर भी यह रोग फैला है, और आपके डिपार्टमेंट ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। यह बात सही है कि काफी रोली लगी है और दूसरी तहसीलों में भी एपेडेमिक की घोषणा करके कार्यवाही करें वरना आपको थोड़े दिनों में फेस करना पड़ेगा कि अकाल पड़ गया रोली की वजह से।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : मैं भी एक प्रश्न करना चाहता हूं।

श्री रामरघुनाथ सिंह चौधरी : अध्यक्ष महोदय, सरकार यह बताये कि एब्सोल्यूटली रस्ट प्रूफ कौन सा बीज है? नम्बर वन। दूसरा यह है कि क्या आपके विभाग को यह मालूम है कि रोली रोग किस वजह से लगता है, किस क्लाईमेटिक कण्डीशन में रोली लगती है? नम्बर तीन, जहां सिंचाई नहीं होती है, और सिचाई नहीं होने वाले कौन-कौन से क्षेत्र हैं जिनमें कौन-कौन सा गेहूं बोया जाता है और इस प्रकार बोये जाने वाले गेहूं में कौनसा गेहूं है ऐसा जिसमें रोग नहीं लगता?

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न इसी के साथ जुड़ा हुआ है...

श्री अध्यक्ष : Just a minute.

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव (आमेर)। एक मिनिट...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह किसानों का मामला है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानकारी चाहता हूं मंत्री महोदय से कि क्या आपके विभाग की तरफ से कोई इस तरह की आज तक लिस्ट पब्लिश हुई है कि ये ये बीज रस्ट के लिए एक्सप्टेबल है? आज सारे विश्व में इस बात का डिकशन हो रहा है कि क्वान्टिटी को प्रिफरेन्स दिया जावे या रस्ट को प्रिफरेन्स दीया जावे। कोई बढ़िया क्वालिटी हाई ईल्डिंग की नहीं है जिसमें ज्यादा क्वान्टिटी होती हो। और यह जो आपका लालबहादुर है, इसकी तो ज्यादा दुर्दशा है। मैं यह कहूंगा कि आपके डिपार्टमेन्ट को उन इलाकों के लोगों को केटेगरिकली एप्राइज

(श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा)
करना चाहिये कि इसके लिये यह यह प्रिकाशन लिया जावे। क्या आपने ऐसा किया है? इसके बारे में इस सदन को जानकारी दें।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : अध्यक्ष महोदय, इतना ही निवेदन करना चाहूंगी कि जो कुछ भी अभी कहा गया है, वह सरकार के ऊपर एक तरह से लांछन लगाया गया है। मुझे मालूम है कि···

(शोरगुल : व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : न मालूम है तब भी सुन लीजिये।

सुश्री शकुतला श्रीवास्तव : क्या सरकार के पास कोई नियम है जिससे रोक ले? यह प्रिकाशन ले और हमारे ऊपर रोक ले..

एक माननीय सदस्य : किसको रोक ले?

श्री अध्यक्ष : सुन लीजिये।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है, उसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि सांचोर में जो देशी गेहूं है उसे रोली लग गयी है। तो जब यह स्पष्ट हो गया और इसके लिये हर साल व्यवस्था होती है, कृषि विभाग यह व्यवस्था करता है, यह विभाग हर साल बीज की व्यवस्था करता है और अच्छे बीज की व्यवस्था होती है ताकि खराब गेहूं के बीज का प्रयोग न हो, तो इसके लिए क्या राज्य सरकार व्यवस्था करने को तैयार है? राज्य सरकार इसके लिए तैयार है या नहीं? इसके लिए एक स्टेन्डिग इन्स्ट्रक्शन होनी चाहिये ताकि हर साल इसके लिए समुचित व्यवस्था हो जावे। क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करने को तैयार है?

श्री भ. बरमल सुंडा : एक प्रश्न है अध्यक्ष महोदय···

श्री अध्यक्ष : आप जवाब भी सुन लीजिये।

श्री जगमोहनसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष राजस्थान में कई जगह रोली से गेहूं में नुकसान हुआ है। और चने के अन्दर भी इल्ली लग कर फसल बहुत ज्यादा नष्ट हो गयी है। राज्य सरकार ऐसे इलाकों के लिए कोई उचित प्रबन्ध करे ताकि काश्तकारों को राहत मिले। इसके लिए चाहे तो राज्य सरकार गिरदावरी करवा सकती है कि किन किन को कितना नुकसान हुआ है। दूसरे उन काश्तकारों को वसूली की छूट राज्य सरकार राहत पहुंचाने की दृष्टि से दे सकती है। क्या राज्य सरकार ऐसी कार्यवाही करने का आदेश देगी? कृपया मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : श्री सुण्डा।

श्री भाबरमल सुण्डा : अध्यक्ष महोदय, गेहूंओं को रोली लग जाती है तो उसके लगने के बाद समूची फसल नष्ट हो जाती है और तब किसी पर्सेन्टेज के बचने की गुंजाइश नहीं रहती है। क्या उसके ऊपर कोई स्टेडी की गयी है कि यह रोग नहीं लगे और कोई ऐसी वैरायटी निकाली है?

श्री अध्यक्ष : ज्यादातर माननीय सदस्य राय दे रहे हैं। सवाल नहीं पूछ रहे हैं।

श्री बिरदाराम (जालोर) : अध्यक्ष महोदय, नुकसान बहुत हो गया है। सरकार

(श्री भाबरमल सुण्डा)
समय पर बीज नहीं देती है, खाद नहीं देती है। सलाह भी नहीं देती है। सरकार की तरफ से इसका बन्दोबस्त होना चाहिये ताकि काश्तकारों का पैसा बर्बाद नहीं जावे। इस साल चने में भी नुकसान हुआ है। इसके अलावा श्रोला पड़ जाने से फसल को नुकसान हो गया है। सरसों में भी नुकसान हुआ है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह तो तकरीर हो रही है, और बाकी के सवाल रह जायेंगे। मेरी अर्ज यह है कि तकरीर न करी जाये।

श्री अध्यक्ष : मैं आपकी राय से सहमत हूं। उन्होंने भी आपकी राय सुनी है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मेरी राय का कोई असर नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : मेरी राय का थोड़ा ज्यादा होता है।

श्री बिरदाराम : यह रोग फैल रहा है। सरकार को मदद करनी चाहिए। हमारे काश्तकार लोग बर्बाद हो गये हैं। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने जानकारी दी है, तकनीकी जानकारी दी है। इसके लिए मैं उनका आभारी हूं। मैं यह निवेदन करना चाहता था और पहले भी मैंने यही कहा था कि जहां कहीं देशी गेहूं बोया गया है वहीं पर यह रोली ज्यादातर लगी है। इसका यह मतलब कतई नहीं है कि मेक्सीकन गेहूं में नहीं लगी है। मेरे पास जो रिपोर्ट आयी है, उनमें अधिकतर यही है बड़े पैमाने पर देशी गेहूं में यह रोग लगा है।

श्री विजय सिंह : उस वक्त यह नहीं कहा था··

श्री शिवचरण माथुर : देशी गेहूं में यह अधिक लगा है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : देशी ज्यादा है परन्तु दूसरा गेहूं भी है

श्री अध्यक्ष : आगे चलिये।

श्री शिवचरण माथुर : मेरे पास जो इन्फार्मेशन है उसके आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि मेक्सीकन गेहूं देशी गेहूं से कहीं ज्यादा इस रोग को रेसिस्ट कर सकता है। यह कहना कि हमेशा ही मेक्सीकन गेहूं की जो वैरायटी है, उसमें यह लगता है, यह गलत है। दूसरे गेहूं की जो वेरायटी है वह इतना रेसिस्ट नहीं करेगी। हो सकता है कि यह रोग मेक्सीकन गेहूं में भी लग जाये, इससे मैं इन्कार नहीं करता हूं परन्तु बड़े पैमाने पर कम लगता है। जहां तक देशी गेहूं का सवाल है उसमें तो बहुत जल्दी, थोड़ी सी कन्डीशन गड़बड़ हुई कि उसमें यह लग जाता है। यह हमने मौके पर जाकर देखा है। जहां पर देशी गेहूं है वहां पर ज्यादातर यह बीमारी लगी है। आम तौर पर देशी गेहूं बारानी इलाके में ज्यादा बोया जाता है। यह भी कहा गया माननीय सदस्यों की ओर से कि पहले से ही प्रबन्ध क्यों नहीं किया गया और किसानों को

(१५)

(श्री शिवचरण माथुर)

सूचना क्यों नहीं दी गयी, मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि जिस दिन हमको सूचना मिली, हमने प्रबन्ध करना प्रारंभ कर दिया। रेसिस्ट करेगा या नहीं करेगा इसका अन्दाज पहले से नहीं लगाया जा सकता है। जहां तक किसानों को बीज देने का सवाल है, पहले दिन का सवाल है, इस सम्बन्ध में भी निवेदन करना चाहता हूं कि बीज के लिए किसानों को कोआपरेटिव सोसाइटीज के माध्यम से व्यवस्था की गई है। 50 करोड़ का लोन दिया गया है। इतना रुपया दिया गया है कोआपरेटिव्ज को, बीज के लिए, खाद के लिये, इस सारे के लिये व्यवस्था की गयी है। इसलिए इस व्यवस्था से गांव का कोई किसान महरूम रह गया हो, यह बात सही नहीं है। इतने बड़े पैमाने पर कोआपरेटिव को लोन दिया गया है, यह आप मानेंगे कि राजस्थान में यह लोन अधिक दिया गया है। खाद, बीज के लिए शार्ट टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन, और लांग टर्म लोन पिछले वर्ष के मुकाबले काफी बड़े पैमाने पर इस वर्ष दिया गया है। यह बात हो सकती है कि कोई सहकारी समिति का सदस्य न हो और उसको यह सहायता नहीं मिली हो लेकिन यह बात सही है कि लोन देने की व्यवस्था की गयी है। जहां तक देशी वेराइटी का उनको इनकार करने का सवाल आता है मैं कहता हूं कि पेम्फलेट के जरिये किसानों से कहा गया था कि यह देशी गेहूं का बीज है इसमें यह रोग होता है तो इसको नहीं बोया जाय। यह पेम्फलेट आज मेरे पास नहीं है वह मैं आपको बता दूंगा। इसमें यह कहा गया है कि अर्जुन और प्रताप वेराइटी का बीज है, उसको रिकमण्ड किया गया था। इस बीज के बोने से रस्ट इन्सीडेन्स कम होगा, लेकिन जैसा कि मैंने निवेदन किया कि आम तौर पर देशी गेहूं बोने से यह बीमारी रस्ट की लगी है। ह्यूमनली पासिबल जितना हो सकता था उसको रोकने के लिए प्रयत्न किये गये हैं। जो कुछ हो सकता था वह किया गया है।

माण्डल से आने वाले माननीय सदस्य का जहां तक सवाल है कि उनकी तहसील में इसको महामारी घोषित क्यों नहीं किया गया, तो मैंने इम्प्लीमेन्टेशन कमेटी में भी कहा था कि जिन जिन पंचायत समितियों में इसका प्रकोप है उनको फौरन बतला दिया जाय तो उसमें महामारी घोषित कर देंगे।

श्री विजय सिंह : जानकारी दी है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : 50 पर्सेन्ट कौन देगा ?

श्री शिवचरण माथुर : वह अन्त में है।

50 पर्सेन्ट लोन दिलवाया है और 50 पर्सेन्ट गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है। पहले किसान को अपनी जेब से एक पैसा भी देने की जरूरत नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : बाद में वसूल कर लेंगे।

श्री शिवचरण माथुर: और क्या हो सकता है? जहां तक राहत देने का सवाल आता है तो माननीय सदस्य जानते हैं कि जब कभी भी देवी प्रकोप हो जाता है तो गिरदावरी बनती है और बहुत बड़े पैमाने पर चीज

(श्री शिवचरण माथुर)

सामने आये और अकाल की स्थिति हुई तो अकाल राहत कार्य भी खोले जायेंगे। ऐसी भयंकर स्थिति का मुकाबला करने के लिए और आदमियों में शक्ति पैदा करने के लिए राहत कार्य खोलने का सवाल आता है। वह यदि मौका आयेगा तो बाद में देखा जायेगा। फसल का एक-एक दाना सरकार को दे दें मैं समझता हूं यह कभी भी सम्भव नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री गुरदयाल सिंह संधु।

राज्य में खोले गये स्कूल

62. श्री गुरदयालसिंह संधु (श्री करणपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में 1975-76 में किस जिले में कहां-कहां कितने-कितने नये स्कूल खोले गये या क्रमोन्नत किये गये तथा इसका क्या आधार था ?

(2) क्या यह सही है कि विरोधी सदस्यों के क्षेत्र में कोई भी स्कूल 1975-76 में न तो खोला गया और न ही क्रमोन्नत किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री फारुक हसन): (1) सूची एवं शाखा क्रमोन्नति का आधार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) यह सही नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री गुरदयाल सिंह सन्धु : मेरा प्रश्न यह है कि मेरी कान्स्टीटुएन्सी में तीन जगहों का नाम लिया है। उन तीन जगहों में कोई भी नया स्कूल मन्जूर नहीं किया गया। मुझे यह बतलाया गया है कि 6-7 किलो मीटर के हलके में खोले गये थे उस सारे एरिया को पूरा कर रहे हैं, और जो खोले गये हैं तो उदाहरण के रूप में नाम बता दूं कि उससे कोई 3 मील के फासले पर लालगढ़ और दो ढ़ाई मील के फासले पर नरसिंहपुरा है और कई गांव हैं आसपास। तो मैं पूछना चाहता हूं कि मेरी कान्स्टीटुएन्सी में ऐसे हाई स्कूल खोलने की कोशिश नहीं की गई।

शिक्षा मंत्री (श्री खेतसिंह) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो गणेशगढ़ का उदाहरण दिया तो उसका नाम आपकी पार्टी के लीडर प्रोफेसर केदारनाथ ने दिया था कि यह बहुत बड़ा गांव है और उसकी आबादी बहुत ज्यादा है इसलिए वहां पर हाई स्कूल होना आवश्यक है। मंत्री मण्डल ने आपकी तरह से संकुचित भावना नहीं रखी और 12 स्कूल अपोजिशन मैम्बर्स के यहां पर खोले गये हैं..

एक माननीय सदस्य : केदार नाथ जी तो हैं नहीं।

श्री खेतसिंह : अपोजिशन मैम्बर्स के यहां पर कहां कहां खोले गये हैं–महारावल लक्ष्मणसिंहजी के चुनाव क्षेत्र में रामगढ़ में खोला गया है, श्री रामकिशनजी के चुनाव क्षेत्र में जगाना, श्री गिरधारीलाल भार्गव के चुनाव क्षेत्र गंगापोल में, श्री मीठालाल मीणा के चुनाव क्षेत्र में रामगढ़ में, श्री रामानन्द अग्रवाल के चुनाव क्षेत्र में शाहपुरा, श्री हरि

(श्री खेतसिंह)
किशन के चुनाव क्षेत्र में दरीबा, श्रीरामसिंह कुड़ी के चुनाव क्षेत्र में रोत, श्री केदारनाथ के चुनाव क्षेत्र में गणेशगढ़, श्री वृजेन्द्रपाल सिंह की कान्स्टीटुएन्सी में भाकर, राजा श्री मानसिंह के चुनाव क्षेत्र कुम्हेर में, श्री लक्ष्मी नारायण के चुनाव क्षेत्र में और आचार्य श्री निरंजन नाथजी की कान्स्टीटुएन्सी में बेतारी।

श्री गुरदयाल सिंह सन्धु : हमें क्यों भूल गये ? मेरी रिक्वेस्ट यही है।

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : मुझे भी भूल गये।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : मूणवाल में स्टूडेन्ट्स इतने ज्यादा हैं और सब कुछ होते हुए भी आपने दूसरे सब छोड़ दिये। इतने बड़े गांव को भूल गये। चार मेरे गांव हैं वहां पर 5–7 मील तक कोई स्कूल नहीं है मानकसर तक। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि भूणवाल एक बहुत बड़ा गांव है...

श्री मोहर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एजुकेशन मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि आपकी मेरे से क्या ज्यादा नाराजगी है इसलिए नहीं खोला ?

श्री ओंकार लाल चौहान : माननीय अध्यक्ष, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कि गांव भावर, तहसील बग के लिए मैंने निवेदन किया था ? वह अनुसूचित जाति का क्षेत्र होते हुए भी वहां पर क्यों नहीं दिया ? कृपया यह बताने की कृपा करेंगे।

श्री खेतसिंह : यह बात सही है। अगर सभी माननीय सदस्यों के यहां पर एक-एक स्कूल खोला जाय तो 184 स्कूलों की आवश्यकता होती है और हमारे पास 156 स्कूल ही थे और उन स्कूलों में वह स्कूल भी शामिल है। जिनका सैल्फ कन्ट्रीब्यूशन है। ऐसे कई माननीय सदस्य कांग्रेस पार्टी के भी रह गये हैं, और कई अपोजिशन के माननीय सदस्य भी रह गये हैं। उसके लिए मुझे स्वयं को बड़ा अफसोस है। अगले वर्ष कोशिश की जायगी।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्री शंकर लाल।

श्री मोहर सिंह : मैंने जो पूछा उसका, अध्यक्ष महोदय, एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने उत्तर नहीं दिया !

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

(व्यवस्था सूचक घण्टी)

श्री मोहरसिंह : अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्रीजी।

श्री मोहरसिंह : मेरे प्रश्न का जवाब देना चाहिए। मेरे से क्या नाराजगी है, राठौर साहब, कि आप मुंह मोड़ लेते हैं। मेरे से क्या नाराजगी है कि आप मुंह उधर फेर लेते हैं, आप बतलाइयेगा ?

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्रीजी।

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, सादुलपुर से आने वाले माननीय सदस्य से यह कहना चाहता हूं कि चूरू जिले में राजगढ़ में सबसे ज्यादा स्कूल पहले से ही हैं।

श्री मोहरसिंह : पहले से हैं तो वह सेठों के हैं। आपने क्या किया ?

श्री खेतसिंह : हमने न्याय किया है।

(व्यवधान)

हमने वहां पर जरूरत नहीं समझी।

श्री मोहरसिंह : पब्लिक कम्ट्रीब्यूशन से हैं तो सरकार ने क्या किया ?

(व्यवस्था सूचक घण्टी)

श्री अध्यक्ष। श्री शंकर लाल।

पाली नगर में आवासीय समस्या

63. श्री शंकरलाल (पाली) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) क्या यह सही है कि पाली नगर में आवास की गंभीर समस्या है और कई सरकारी कर्मचारी मकान न मिलने के कारण हमेशा जोधपुर और पाली के बीच में इसलिए सफर करते हैं कि दिन में सरकारी दफ्तर का कार्य करने के बाद वापिस रात्रि में जोधपुर जाकर रहते हैं ?

(2) सरकार इस समस्या को हल करने के लिए क्या कदम उठाने जा रही है ?

राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : (1) जी नहीं। ऐसी सूचना राज्य सरकार के ध्यान में नहीं है।

(2) राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों की आवासीय समस्या का समाधान करने के लिए राज्य सरकार ने रेन्टल हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत विभिन्न जिलों में आवास हेतु मकान बनाये हैं और अब भी बनवाये जा रहे हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : पाली का क्या किया आपको जानकारी मिल गई।

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : दरअसल में शायद राजस्थान के एक जिले में नहीं सभी जिलों में यह समस्या है खास तौर से लो पेड एम्पलाइज को ही ज्यादा कठिनाई है इसलिए गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर एक स्कीम बनाई थी, किन्तु प्लानिंग कमीशन द्वारा हाउसिंग स्ट्रक्चर को लास्ट प्रायोरिटी में रखा गया इसलिए हमारे लिए नये मकानात बनाने की समस्या हो गई है। लेकिन हम देख रहे हैं कि किस तरह इसको मीट करें। तो जैसा कि मंत्रीजी ने कहा कि रेंटल हाउसिंग स्कीम को अपने हाथ में लिया है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामसिंह कुड़ी।

राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर के पास विचाराधीन अपीलें।

64. श्री रामसिंह कुड़ी (बायल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर के पास पेंडिंग अपील आदि किस किस जिले की कितनी कितनी है ?

(2) राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर ने नागौर जिला मुख्यालय पर कितने कैम्प किये एवं अब भविष्य में उन्हें कार्य के भार को देखते हुए अधिक कैम्प कराने का क्या राज्य सरकार विचार रखती है ?

राज्य मंत्री, राजस्व (श्री मूलचन्द मीणा) : (1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

Page No 18

(18)

(श्री मूलचन्द मीणा)

(2) राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर में वर्ष 1973 से 1-1-76 तक नागौर मुख्यालय पर 20 कोर्ट कैम्प किये। नागौर जिले के मामलों की संख्या इतनी अधिक नहीं है। इस बात को देखते हुए वहां कैम्प कोर्ट की व्यवस्था को राज्य सरकार जरूरी नहीं मानती।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

राजस्व मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : रेवेन्यू अपील अधिकारी, जोधपुर का मुख्यालय जोधपुर में हैं। पाली, जालौर, जैसलमेर और बाड़मेर जिले दक्षिण, उत्तर और पश्चिम में आये हुए हैं और नागौर ही एक ऐसा जिला है जो कि जोधपुर के पूर्व में है और कोर्ट के पास नागौर के जो केसेज हैं वह कुल केसेज का तीस पर्सेन्ट है तो वहां पर कोर्ट के हैडक्वार्टर्स को शिफ्ट करने से दूसरे जिलों के लिटिगेन्ट्स और मुवक्किल हैं उनको इन्कन्वीनियेन्स और हरेसमेंट हो जायगा।

श्री रामसिंह कुड़ी : हैडक्वार्टर शिफ्ट करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं तो कैम्प रखने के लिए कहता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : नागौर सड़क से भी जुड़ा हुआ है और 84 मील दूर है और वह रेल से भी जुड़ा हुआ है। जालोर और बाड़मेर का डिस्टेन्स 140 मील और 118 मील है। ऐसे मुकद्दमे कोर्ट में ले जाने के इन्जक्शन या स्टे आर्डर वगैरह कराने के कोर्ट में बहुत ज्यादा केसेज होते हैं तो पहले ही आदेश दिया है, और जैसा कि प्रश्न के भाग (2) में बताया गया है 20 के आसपास, कैम्प वहां पर हुए हैं। अब 429 केसेज हैं इस संबंध में गवर्नमेंट का इन्सिसटेन्स नहीं है कि वहां पर न चले, लेकिन इस तरह की कोई व्यवस्था की जा सकती है तो मैं चेयरमैन, रेवेन्यू बोर्ड से बात करूंगा क्योंकि इन कोर्ट्स का सुपरवीजन और कन्ट्रोल बोर्ड आफ रेवेन्यू के पास है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : वहां बोर्ड कोई काम ही नहीं कर रहा है।

श्री अध्यक्ष : श्री दीपंकर।

श्री परसराम मदेरणा : अभी रेवेन्यू अपीलेट अधिकारी कार्य कर रहे हैं।

श्री मूलचन्द सामरिया : क्या रेवेन्यू अपीलेट अधिकारी का इतना भी महत्व नहीं समझा जा रहा है? जयपुर में भी 3 महीने से शून्य है। कोई व्यक्ति नहीं लगाया गया है।

श्री परसराम मदेरणा : जल्दी ही अधिकारी का पोस्टिंग हो रहा है।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

नागौर जिले के अभावग्रस्त गांव

65 श्री दीपंकर (नोहर) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने **की कृपा करेंगे** :—

(1) क्या यह सही है कि नागौर जिले के बहुत बड़े हिस्से में वर्षा ज्यादा होने से सावणु फसल के न होने पर राज्य के प्रत्येक तहसील के गांवों की फसल खराबी की लिस्ट

(श्री दीपंकर)
प्राप्त हुई है जिससे सरकार ने बीगोड़ी अदायगी बन्द कर दी है ? अगर हां, तो जिले में कुल कितने गांवों को अतिवृष्टि से अकालग्रस्त घोषित किया जा रहा है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) अभावग्रस्त क्षेत्र में राहत कार्य कब से चालू करवाने का इरादा है ?

राज्यमंत्री, अकाल सहायता (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : (1) जी हां, अन्तिम प्रतिवेदन दिनांक 11 मई, 1976 को प्राप्त हुआ है जो विचाराधीन है।

(2) अभी प्रतिवेदन विचाराधीन है।

श्री दीपंकर : अध्यक्ष महोदय, सरकार के पास प्रतिवेदन पहुंच गया है। इसका मतलब है, नागौर जिले के जितने गांव अभावग्रस्त घोषित किये जाने वाले हैं उनकी सूची पहुंच गई है। वह हमें नहीं दी गई है। सरकार मानती है कि फसल रद्द हो गई है। गांवों को अभावग्रस्त घोषित करने जा रहे हैं तो जो लोग बेकार बैठे हैं, उनके लिए अकाल राहत कार्य खोलने का क्या सरकार का इरादा है ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : नागौर जिले में वर्षा से नुकसान होने का प्रतिवेदन जिलाधीश से प्राप्त हुआ है। 436 गांवों में खराबा होना बताया गया है जिनमें नागौर तहसील में 50, 33, मेड़ता 77, डेगाना 100, नांवा 28, परबतसर 68, डीडवाना 57, इन तहसीलों के गांवों के लिए जिलाधीश ने सिफारिश की है। 11 मार्च को प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, प्रतिवेदन विचाराधीन है। जिलाधीश ने न पानी की कमी बताई है, न चारे की कमी बताई है। न ऐसा बताया है जिससे अविलम्ब कार्यवाही करने की आवश्यकता हो। जिलाधीश ने लिखा है कि अभी तो राहत कार्य खोलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन, भविष्य में पड़ सकती है। उसकी इन्टेंसिटी ऐसी होगी। जब मवेशी माइग्रेशन होने लगे, चारा नहीं मिले, पानी नहीं हो, तभी यह आवश्यक होगा। अभी भी भारत सरकार ने फ्लड डेमेज के तहत 2 करोड़ रुपया दिया था, उसमें से 16 लाख रु. नागौर जिले को दिया है। इसके अन्तर्गत कार्य चल रहा है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री दीपंकर : जिलाधीश ने कोई सिफारिश नहीं की है। न सरकार ने कोई कार्य शुरू किया है। क्या सरकार ने यह माना है कि जिले में अभाव रहा है ? इन गांवों में बैठे हुए लोगों के लिए जो बेकार हैं, जब जिलाधीश लिखेंगे तभी खोलेंगे। मैं निवेदन करूंगा कि लाडनूं तहसील में 11 गांव ऐसे हैं जहां लोग रोटी के लिए मोहताज हो रहे हैं। वहां तीन चार साल तक पानी की कमी नहीं हो सकती है। वहां किसान बेकार बैठकर क्या करें ? ऋण मिलता नहीं है। बाजार से धान आता नहीं है। घर में धान आता है नहीं। आप अभी काम नहीं खोलेंगे तो क्या उनके मर जाने पर खोलेंगे ?

श्री अध्यक्ष : श्री रावतराम।

श्री दीपंकर : कोई जवाब आना चाहिए। लोग भूखे बैठे हैं।

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : मैं जवाब दे रहा हूं।

(श्री हरिदेव जोशी)

जैसे ही कोई राहत कार्य खोलने की बात होगी तो वहां कार्य खोल दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

बुनकर सहकारी समिति सुजानगढ़ को अनुदान व ऋण

66. श्री रावतराम आर्य (छापर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सुजानगढ़ (जिला चूरू) बुनकर सहकारी समिति को उद्योग विभाग ने मकानादि बनाने के लिए अनुदान व ऋण स्वीकृत किया था? यदि हां, तो कब और कितना?

(2) क्या उक्त समिति के मकान बन कर तैयार हो गये हैं? यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

(3) क्या सरकार उक्त समिति के इस मामले की जांच किन्हीं उच्च अधिकारी से करवाकर इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही शीघ्र करने को रजामन्द है?

राज्य मंत्री, उद्योग (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : (1) जी हां। सुजानगढ़ बुनकर सहकारी समिति, सुजानगढ़ को बुनकर बस्ती निर्माण हेतु 9 मार्च, 1960 को 1,20,000 रु. का ऋण तथा 62,000|– रु. का अनुदान स्वीकृत किया गया था।

(2) जी नहीं। मकान अपूर्ण स्थिति में है। मकान पूर्ण न होने के कारण अनुदान एवं ब्याज की वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

(3) जांच उप निदेशक, उद्योग, चूरू द्वारा करवाई गयी तथा रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की जा रही है।

श्री रावतराम आर्य : अध्यक्ष महोदय, यह सन् 1960 में राशि दी थी। उसके बाद में आज तक मकान बने नहीं हैं। जो भी बने हैं, वह अधूरे पड़े हैं लोग उनमें पाखाना फिरते हैं। गवर्नमेंट की इतनी बड़ी पूंजी लगाई गई है। आपके डिपार्टमेंट को पूछना चाहिए। पूरा करने के लिए कोआपरेटिव सोसाइटी को दिया है। कोई उसकी व्यवस्था करे। 2 लाख की पूंजी का इनवेस्टमेण्ट कर दिया। उसमें गड़बड़ी हो गई। वह बुनकर सहकारी समिति किस स्टेज पर है? क्या वह डिफाल्टर हो गई है? आगे के लिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं? यह बतायें। आप किन से वसूल कर रहे हैं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जैसा कि शुरू में निवेदन किया था, इस समिति को मकान बनाने के लिए, 1 लाख 20 हजार रु. की राशि सदस्यों को मकान बनाने के लिए कर्जे के रूप में दी थी। सदस्यों ने मकान बनाने का काम शुरू किया था। तीन स्टेजेज में रुपया शर्तों के अनुसार दिया गया। पहले 45 हजार, नींव भरने पर 40 हजार, और छत तक आने के बाद 40 हजार देने की व्यवस्था थी। इसके आधार पर 1 लाख 20 हजार रुपया दे दिया। 60 हजार रु. अनुदान दिया गया था। लेकिन छत की स्टेज पर आकर रुक गया। वह पूर्ण नहीं हो पाया। इसलिए जो रुपया लगाया गया,

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)
यह व्यक्तिगत रूप में उनकी जिम्मेदारी के रूप में दिया गया। राज्य सरकार ने किश्तों के रूप में उनको कर्ज मदद के रूप में दिया था। बाकी रुपया सदस्यों को स्वयं को अपने पास से लगाना था, उनके अपने हिस्से की राशि नहीं लगाने से मकान अधूरे रह गये। इसलिए वह रुपया सदस्यों से रिकवर करने का है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न बहुत जरूरी है। इसको आप स्थगित फर्मा दें।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

झालावाड़ जिले में वन विभाग की काश्त योग्य भूमि का अलॉटमेंट

59. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला झालावाड़ में वन विभाग की काश्त भूमि कहां-कहां पर कितनी-कितनी है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) उक्त काश्त भूमि, जो आज तक वन विभाग की है और जिसे जिला स्तर कमेटी द्वारा रेवेन्यू में देने की सिफारिश कर दी गई थी, को आज तक भूमिहीनों में अलॉट क्यों नहीं की गई ?

(3) अब उक्त भूमि का कब तक अलॉटमेंट हो जायेगा ?

उत्तर

(1) भूमि का वर्गीकरण वन विभाग द्वारा नहीं किया जाता।

(2) जिला स्तरीय समिति द्वारा 236.10 बीघा वन भूमि को राजस्व में रिलीज करने हेतु सिफारिश की गई है जो मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(3) वन भूमि के रिलीज होने के पश्चात् भूमि का अलाटमेंट सम्भव हो सकेगा।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

1. श्री सुरेशचन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि खाद्य विभाग से हटाये गये जिला रसद अधिकारियों व प्रवर्तन कर्मचारियों के मामलों में 21-3-75 को सदन में दिये गये आश्वासन के अनुसार अभी तक पुनरावलोकन का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है एवं क्या अभी तक ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों के मामले पर पुनः विचार नहीं किया गया जिन्हें हटाने के बाद भी राज्य सरकार ने कार्य की सराहना करते हुए प्रशंसा-पत्र जारी किये ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

(2) क्या यह सही है कि हटाये गये जिन जिला रसद अधिकारियों/प्रवर्तन कर्मचारियों का वापिस लिया गया उनकी अपेक्षा जो व्यक्ति वापिस नहीं लिये गये

(२२)

(श्री सुरेशचन्द्र शर्मा)
उनका सेवा रेकार्ड अच्छा है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

सीमावर्ती क्षेत्र के गांवों में दिये गये सरकारी हथियार

2. श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला श्री गंगानगर के पाकिस्तान के साथ लगते भारत के समीपवर्ती क्षेत्र में 1965 व उसके आसपास से लेकर आज तक जो सरकारी हथियार और लाइसेन्स दिये गये थे उन हथियारों को वापिस लिए जाने और इस क्षेत्र की जनता के लाइसेन्स कैंसिल करने के क्या कारण हैं ?

(2) जो हथियार दिए गये थे वे किस किस गांव में कितने कितने और जो वापिस लिए गये हैं वे किस किस के और जो लाइसेन्स कैंसिल किये गये हैं वह किस गांव में कितने कितने हैं और उसका क्या कारण है ?

(3) क्या सरकार अपनी नीति पर पुर्नविचार करेगी और जो बोर्डर क्षेत्र में असला लिया जा रहा है और लाइसेंस कैंसिल किये जा रहे हैं उसे बन्द करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(स्थगित किया गया)

पुलिस वायरलैस विभाग में अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारी

3. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य पुलिस वायरलैस विभाग में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के कितने प्रतिशत व्यक्ति सेवारत हैं ? श्रेणीवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अनुसूचित जाति व जन-जाति के कर्मचारियों में से कितनों की पदोन्नति व अवनति की गई ? पूरा ब्योरा सदन की मेज पर मय कारणों के रखें।

उत्तर

(1) वांछित सूचना की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) वांछित सूचना की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

औद्योगिक बस्तियां बनाने का निर्णय

4. श्री जयकिशन लाल तोसावडा (फागी) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

राजस्थान में सन् 1975 तक प्रत्येक जिले में कितनी कितनी औद्योगिक बस्तियां बनाने का निर्णय लिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(उद्योग मंत्री)

उत्तर

राजस्थान में सन् 1975 तक 13 औद्योगिक बस्तियां बनाने का निर्णय लिया गया। जिलेवार सूची संलग्न है।

(कृपया सूची के लिये परिशिष्ट 5 देखिये)

स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन के विचाराधीन मामले

5. श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा (फागी) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में कुल कितने स्वतंत्रता सेनानियों को पेन्शन दी जा रही है ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) कितने स्वतंत्रता सेनानियों के मामले विचाराधीन हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) विचाराधीन मामले कब तक निपटा दिये जावेंगे ?

उत्तर

(1) अब तक राज्य सरकार द्वारा 833 स्वतन्त्रता सेनानियों/आश्रितों को पेंशन स्वीकृत की गई है। केन्द्रीय योजनान्तर्गत अब तक 969 व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृत की गई है। जिलेवार सूचियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(2) राजस्थान स्वतंत्रता सेनानी सहायता नियम, 1959 के अन्तर्गत 46 मामले विभिन्न स्तरों पर सूचना व आवश्यक रिपोर्ट हेतु विचाराधीन हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) संबंधित जिलाधीशों से वांछित सूचना तथा आवश्यक रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जाकर इन मामलों को भी यथाशीघ्र निपटा दिया जायेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

मुस्लिम अल्प संख्यकों का राजकीय सेवाओं में प्रतिशत

6. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में मुस्लिम अल्प संख्यकों की कितनी जनसंख्या है ? यह राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है ?

(2) राज्य की फर्स्ट क्लास, सेकेण्ड क्लास, थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास सर्विसेज में उनकी अलग अलग संख्या कितनी कितनी है ? इन सर्विसेज म कुल कितने-कितने लोग कार्यरत हैं और इनमें मुस्लिम अल्प संख्यकों की तादाद कितने-कितने प्रतिशत है ?

(3) क्या पुलिस में मुस्लिम अल्प-संख्यकों की भर्ती करने में राज्य सरकार ने कोई रोक लगाई हुई है ? यदि नहीं, तो गत 5 वर्षों में पुलिस विभाग की विभिन्न श्रेणियों में कितने-कितने लोग भर्ती किये गये हैं और उसमें मुस्लिम अल्प संख्यकों का प्रतिशत

(२४)

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कितना कितना है ? कृपया सूची विवरण सहित देने का कष्ट करें।

(4) क्या राज्य सरकार मुस्लिम अल्प संख्यकों के लिये राज्य सेवाओं में कोई न्यूनतम कोटा निर्धारित करने पर विचार करेगी ?

(स्थगित किया गया)

साक्षरता का प्रतिशत

7. श्री रामसिंह कुडी (आयल) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में वर्ष 1975–76 में भवनों के लिये कितनी-कितनी राशि किस संस्था को शिक्षा मद में स्वीकृत की गई एवं कितनी-कितनी राशि उसमें से तारीख 29–2–76 तक व्यय नहीं हुई है ?

(2) राजस्थान के प्रत्येक जिले में साक्षरता का प्रतिशत कितना-कितना है एवं गत चार वर्षों में उसमें वृद्धि या कमी कहां-कहां हुई है ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। 29–2–76 तक कितनी राशि व्यय हुई यह बतलाना अभी सम्भव नहीं है क्योंकि उपयोग की सूचना अप्रेल के प्रथम सप्ताह तक प्राप्त होगी।

(2) जिले अनुसार साक्षरता के प्रतिशत की सूची सदन को मेज पर रख दी गई है। साक्षरता की गणना मुख्य जनगणना के साथ की जाती है तथा वर्तमान में सन् 1971 की साक्षरता-प्रतिशत ही प्राप्त है। इसके बाद प्राप्त नहीं है यह गणना हर दस वर्ष बाद होती है। अतः गत चार वर्षों में साक्षरता में वृद्धि या कमी बतलाया जाना सम्भव नहीं है।

(कृपया सूची के लिये परिशिष्ट 6 देखिये)

शिक्षा विभाग चूरू के इन्सपेक्टर द्वारा की गई नियुक्तियां

8. श्री रावतराम आर्य (छापर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सन् 1974 से अब तक शिक्षा विभाग चूरू के इन्सपेक्टर ने चतुर्थ श्रेणी एवं कनिष्ट लिपिक आदि कर्मचारियों की कितनी नियुक्तियां कब–कब की हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त इन्सपेक्टर ने रोस्टर सिस्टम मेन्टेन किया है ? यदि हां, तो की गई समस्त नियुक्तियों में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को कितने स्थान मिलने थे ? तथा कितनी नियुक्तियां की गई हैं उनका पूरा विवरण अनुसूचित जाति के कौन और कितने व्यक्ति हैं, की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला अधिकारी चूरू के द्वारा वर्ष 1974 से अब तक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं कनिष्ट लिपिकों की नियुक्तियां निम्नानुसार की गई हैं:—

(शिक्षा मंत्री)

सन्	व.अ.क.	क. लिपिक
1974	—	—
1975	31	1
1976	8	—

(2) जी हां। कुल 7 अनुसूचित जाति के आशार्थियों को स्थान मिलने थे जिनके स्थान पर 8 अनुसूचित जाति के आशार्थियों को नियुक्तियां दी गई। सूची सदन की मेज पर दी गई है।

(कृपया सूची के लिये परिशिष्ट 7 देखिये)

शिक्षा विभाग में संगीत अध्यापिका का पद

9. श्री मालाराम (नीम का थाना) :— क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने 'विद्याविनोदिनी' को मैट्रिक के समकक्ष मान्यता देकर कई आशार्थियों को विभागीय एस. टी. सी. प्रशिक्षण का अवसर देकर नियुक्तियां की हैं? यदि हां, तो फिर श्रीमती गांधारी शर्मा, सहायक- अध्यापिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सवाई रामगढ़, नीम का थाना को क्यों हटाया गया?

(2) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग में संगीत अध्यापिका का पद निहित है? यदि हां, तो फिर उक्त श्रीमती गांधारी देवी शर्मा को, जो डिप्लोमा होल्डर हैं और विभाग में रिक्त स्थान होते हुये भी, पदस्थापित क्यों नहीं किया?

उत्तर

(1) जी हां। श्रीमती गांधारी देवी शर्मा, सहायक अध्यापिका को सेवा से हटाया नहीं गया।

(2) जहां संगीत वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है उन्हीं शालाओं में संगीत अध्यापक रखे जाते हैं। तृतीय श्रेणी वेतन शृंखला संगीत अध्यापक केवल उन्हीं व्यक्तियों को नियुक्त किया जा सकता है जिनके सैकेण्डरी में संगीत वैकल्पिक विषय हों या इसके समकक्ष योग्यता रखते हों। सीकर जिले में संगीत अध्यापक तृतीय श्रेणी का कोई पद उपलब्ध नहीं है।

कोटपूतली के पुस्तकालय को अनुदान

10. श्री सुरेशचन्द्र शर्मा (कोटपूतली) :— क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर जिले में किस किस सार्वजनिक पुस्तकालय को शिक्षा विभाग द्वारा कितना-कितना अनुदान दिया जाता है? सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कोटपूतली के पुस्तकालय में स्टाफ बढ़ाने व वर्तमान स्टाफ के वेतन वृद्धि के सम्बन्ध में काफी अर्से से कागजात विचाराधीन हैं?

(3) क्या यह सही है कि आवश्यक स्टाफ की सरकार द्वारा स्वीकृति न होने के कारण कोटपूतली में बहुत ही कम अनुदान दिया जा रहा है? यदि हां, तो सरकार कब तक इस सम्बन्ध में आदेश प्रदान करेगी?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(शिक्षा मंत्री)

(2) इस प्रकार का कोई भी प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है ?

(3) यह सही नहीं है। संस्था को नियमानुसार अनुदान स्वीकृत किया जा रहा है।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

शिक्षा संस्थायें खोलने का प्रावधान

11. श्री मोहरसिंह (सादुलपुर):– क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय एवं राज्य योजना के तहत कितना कितना प्रावधान प्राथमिक, माध्यमिक व कालेज स्तर की शिक्षा हेतु किया गया है ?

(2) उपरोक्त के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में उपरोक्त स्तर की कितनी कितनी शिक्षण संस्थायें खोलने का प्रावधान है ? कृपया जिलेवाइज सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में केन्द्रीय एवं राज्य योजना के अन्तर्गत उच्च (कालेज) शिक्षा हेतु क्रमशः 421 लाख एवं 680 लाख का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार प्राथमिक शिक्षा व माध्यमिक शिक्षा के लिए 3279 व 1070 लाख रुपये का राज्य योजना के अन्तर्गत प्रावधान क्रमशः किया गया है। केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत इस योजना के लिए कोई प्रावधान स्वीकृत नहीं है।

(2) उपरोक्त प्रावधान का जिलेवार वर्गीकरण नहीं होता है। इस प्रावधान से 2000 प्राथमिक 2000 उच्च प्राथमिक विद्यालय, 200 माध्यमिक विद्यालय एवं सात महाविद्यालय खोलने का लक्ष्य है।

राजकीय सहायता प्राप्त कालेज व स्कूल

12. श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (कामी):– क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे :–

राजस्थान में कुल कितने राजकीय सहायता प्राप्त कालेज एवं स्कूल हैं ? सूची जिलेवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राजस्थान कैनाल के काश्तकारों को ट्रेक्टर हेतु ऋण

13. श्री बेगाराम चौहान (रायसिंहनगर):—क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1971 में राजस्थान कैनाल क्षेत्र में जिनको भूमि अलाट की गई, उन्होंने नियम के अनुसार भूमि की किश्तें समय पर भर दी हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इन काश्तकारों को भूमि गिरवी रख कर ट्रेक्टर नहीं दिया जा रहा है ? क्या सरकार अब इन

(श्री बेगाराम चौहान)
काश्तकारों को भूमि बन्धक रख कर ट्रैक्टर के लिये ऋण दिलाये जाने पर विचार करेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 13 में भूमि गिरवी रख कर भूमि विकास हेतु ऋण प्राप्त करने के प्रावधान है।

कोटपूतली तहसील में बन्दोबस्त कार्य

14. श्री सुरेशचन्द्र शर्मा (कोटपूतली):–क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि कोटपूतली तहसील में बन्दोबस्त का कार्य चालू है ? और दौरान बन्दोबस्त तहसीलदार, गिरदावर, पटवारी नामान्तरणकरण वगैरह भरने व तस्दीक करने की कार्यवाही नहीं कर सकते? यदि हां, तो किस किस कर्मचारी ने नियम विरुद्ध कार्य किया है ? उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जावेगी ?

उत्तर

हां यह सही है कि कोटपूतली तहसील में बन्दोबस्त का कार्य चालू है और दौरान बन्दोबस्त तहसीलदार, गिरदावर पटवारी नामान्तरकरण तस्दीक करने के लिए अधिकृत नहीं हैं। किसी भी कर्मचारी द्वारा नियम विरुद्ध नामान्तरकरण तस्दीक करने का मामला राज्य सरकार के सामने नहीं आया है। अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

भूदान यज्ञ की भूमि पर काश्त

15. श्री केशरीमल (ब्यावर):–क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान में भूदान यज्ञ कब से शुरू हुआ, इस कार्य में कितनी भूमि निकाली और उसमें से कितनी भूमि कितने किसानों को कब-कब बांटी गई ?

(2) क्या इस भूमि पर जिन लोगों को भूमि आवन्टित की थी वही काश्त कर रहे हैं या भूमि बिना काश्त के पड़ी है ? जिन लोगों को भूमि आवंटित की गई है उन्हें भूमि सुधार और अन्य कार्य हेतु कितनी-कितनी धनराशि दी गई है ? तथा जो भूमि प्राप्त हुई उसकी किस्म क्या थी ? कृपया किस्मवार ब्यौरा दें।

उत्तर

(1) राजस्थान में भूदान यज्ञ संबंध कार्य सन् 1951 में शुरू में हुआ था। भूदान में कुल 459861 एकड़ भूमि प्राप्त हुई जिसमें से समय समय पर 101103 एकड़ भूमि 13443 किसानों में बांटी गई है।

(2) जी हां। राजस्थान भूदान यज्ञ बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार जिन लोगों को भूदान की भूमि बांटी गई थी वे ही काश्त कर रहे हैं। आवंटितियों में से कौन कौन व्यक्ति आवंटन के पश्चात् काश्त नहीं कर रहे हैं। यह सूचना भूदान बोर्ड के पास उपलब्ध नहीं है। जिन लोगों को भूदान में भूमि बांटी गई है उन्हें भूमि सुधार के लिए भूदान बोर्ड द्वारा किसी प्रकार की धनराशि दिये जाने का प्रावधान नहीं है। अतः भूदान

(राजस्व मंत्री)

बोर्ड द्वारा किसी को भी धनराशि नहीं दी गई है। भूदान में प्राप्त भूमि की किस्म बारानी थी।

तहसील गंगधार व पचपहाड़ में भूमिहीनों को भूमि का अलाटमेंट

16. श्री ओंकारलाल चौहान (डग) :— क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

तहसील गंगधार व तहसील पचपहाड़ जिला झालावाड़ में भूमिहीनों को भूमि अलाट किये जाने के अभियान में कितनी भूमि अलाट की है? सूची ग्रामवार सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

जिला झालावाड़ में भू अभियान के अन्तर्गत तहसील पचपहाड़ में भूमिहीन व्यक्तियों को 4275 बीघा 8 बिस्वा तथा तहसील गंगधार में 4946 बीघा 11 बिस्वा भूमि अलाट की गई है। ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री गंगानगर के भूमिहीनों को राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमि

17. श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर):— क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान नहर क्षेत्र में आज तक कितने भूमिहीनों को कितनी भूमि बांटी गई? इसमें से जिला श्रीगंगानगर के भूमिहीनों को कितनी तथा श्री गंगानगर के बाहर के भूमिहीनों को कितनी-कितनी भूमि दी गई?

(2) क्या सरकार ने जितनी भूमि श्री गंगानगर के बाहर के भूमिहीन लोगों को दी है उतनी ही भूमि श्री गंगानगर के भूमिहीन निवासियों को दूसरे जिलों में देने के लिये तैयार है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

(स्थगित किया गया)

ग्राम टोरडा ब्राह्मण (कोटपूतली) में ट्यूब वैल बनाने का विचार

18. श्री सुरेशचन्द्र शर्मा (कोटपूतली) :— क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटपूतली तहसील के ग्राम टोरडा ब्राह्मण में सिंचाई के लिये कूप निर्माण रेतीली मिट्टी होने के कारण काफी खर्च आता है जिससे उक्त ग्राम में कोई सिंचाई कूप नहीं बन पाया है?

(2) क्या सरकार इस पूरे गांव की जमीन में सिंचाई हो सके इसके लिए कोई ट्यूब वैल बनाने का विचार रखती है।

उत्तर

(1) ऐसी कोई सूचना राज्य सरकार के पास नहीं है।

(2) फिलहाल कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

आपात कालीन स्थिति के दौरान आवश्यक वस्तु वितरण हेतु बनाई गई निगरानी समितियां

19. श्री गिरधारी लाल भार्गव (हवा महल, जयपुर) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) आपात कालीन स्थिति के दौरान राजस्थान में आवश्यक वस्तु नियंत्रण कानून के अन्तर्गत दिसम्बर 1975 के अन्त तक कुल कितने मामलों का चालान किया गया और कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है ?

(2) राज्य में आवश्यक वस्तु वितरण के लिये कुल कितनी दुकानें खोली गई और निगरानी समितियां बनाई गई हैं ? जिले अनुसार सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत करने की कृपा करें।

उत्तर

(1) आपात कालीन स्थिति के दौरान राजस्थान में आवश्यक वस्तु नियंत्रण कानून के अन्तर्गत दिसम्बर, 75 के अन्त तक कुल 938 मामलों के चालान प्रस्तुत किये गये हैं और 282 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

(2) राज्य में आवश्यक वस्तु वितरण के लिये निम्नांकित दुकानें खोली गई हैं:–

(क) सस्ते गल्ले व चीनी की उचित मूल्य की दुकानें	10,063
(ख) कैरोसिन	4,013
(ग) कपड़ा	1,190
(घ) सीमेन्ट	665
(ङ) सौफ्ट कोक	489

निगरानी हेतु 1025 मोहल्ला एवं सतर्कता समितियां गठित हो चुकी हैं। जिलेवार तालिकायें सदन की मेज पर प्रस्तुत हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अनुपस्थिति के लिए अनुमति

श्री गिरधारीलाल भार्गव व श्री विशम्भर दयाल बोहरा को सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री गिरधारी लाल भार्गव सदस्य विधान सभा ने 8 मार्च, 1976 से सत्र के अन्त तक और श्री विशम्भर दयाल बोहरा सदस्य विधान सभा ने 8 मार्च 1976 से 12 मार्च 1976 तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति दी जाय ?

(स्वीकृत)

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति दी गई।

(श्री अध्यक्ष)

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री श्रीराम गोटेवाला

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान के वित्त मन्त्रीजी ने 1976-77 का जो बजट सदन में प्रस्तुत किया उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मैं वित्त मन्त्रीजी को इस बात के लिए भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हिम्मत करके कुछ ऐसे तथ्यों की तरफ अपना ध्यान आकर्षित किया है और सजग रहे हैं कि हमारे राजस्थान के अन्दर बिक्री कर की वजह से जो असमानता थी, उससे जो असन्तोष बढ़ता जा रहा था, उसके लिये उन्होंने कुछ कदम उठाये हैं, इसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

हमारे देश में जब 26 जून से पहले, बुरी तरह से इस प्रकार का वातावरण हो गया था जिससे देश के क्षत-विक्षत होने की स्थिति हो गई थी। आपातकालीन स्थिति की घोषणा के बाद देश को ऊंचा उठाने के लिए हर तरफ से प्रयत्न किये गये। इसके बाद पहली जुलाई को हमारे सामने आर्थिक कार्यक्रम आया और इसको सारे देश में द्रुत गति से लागू किया गया और आज उसी का परिणाम है कि जहां बाजार में आम जनता के लिये सभी प्रकार की चीजें उपलब्ध होने लगी हैं, वहां दूसरी तरफ जमाखोरी करने वालों में, तस्करी का व्यापार करने वालों में और गलत काम करने वाले लोगों में अब आतंक छाया हुआ है। इस सारे बजट को देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं और इसके लिए मैं वित्त मन्त्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं, साथ ही कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी पेश करना चाहता हूं।

मेरा निवेदन है कि जहां वित्त मन्त्रीजी से राजस्थान के भविष्य के बारे में हमको बहुत बड़ी आशायें थी, वहां एक दूसरा चित्र भी मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं और वह यह है कि आल-इण्डिया फिगर्स के आधार पर मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, हमारे सम्पूर्ण विकास के लिये, सड़कों के विकास के लिए, सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध हों इसके लिए और बिजली उपलब्ध हो इसके लिए यह सब चीजें बहुत ही आवश्यक हैं और इनका ठीक ढंग से और सही रूप में हम विकास कर पाते हैं तो हमें समझना चाहिए कि हम तरक्की कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में मैं अखिल भारतीय स्तर पर कुछ आंकड़ों के आधार पर निवेदन करना चाहूंगा कि हम किस प्रकार से और कितनी तरक्की और विकास आल इण्डिया स्तर पर कर रहे हैं।

सड़कों के विकास के अन्दर मेरा निवेदन यह है कि जम्मू-काश्मीर, असम और नागालैण्ड को छोड़कर हम सारे राज्यों से सड़कों के बारे में पिछड़े हुए हैं, बिजली का उपभोग भी हमारे यहां पर आसाम और नागालैण्ड को छोड़कर प्रति व्यक्ति न्यून है। मेरे स्वयं के एक प्रश्न के उत्तर में विद्युत मन्त्री महोदय ने बताया था, जयपुर जिले में अभी तक करल इलेक्ट्रिफिकेशन की जो योजना स्वीकृत की गई है उसका उपयोग अभी तक नहीं किया जा सका है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सड़कों और बिजली के बारे में हम लगभग सभी राज्यों से देश में पिछड़े हुए हैं, बिजली का उपभोग अखिल भारतीय स्तर के मुकाबले में हमारे यहां राजस्थान में न्यूनतम है, और उसके साधन मिलने के बाद भी उसका उपयोग नहीं हो रहा है।

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

शिक्षा के क्षेत्र में भी जम्मू-काश्मीर को छोड़ कर सारे देश में हम पिछड़े हुए हैं। सन् 1971 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 19 प्रतिशत लोग साक्षर हैं और 1951 की जनगणना के अनुसार 1 करोड़ 20 लाख व्यक्ति निरक्षर थे। आज इस प्रगतिशील युग में जहां हमने शिक्षा का बजट डेढ़ करोड़ से 85 करोड़ का कर दिया है, वहां पर भी बिना पढ़े लिखे लोग दो करोड़ के बराबर हैं फिर मुझे समझ में नहीं आता कि आप किस प्रकार से तसल्ली करके चल रहे हैं और यह सोच कर चलते हैं कि हमने विकास की गति पकड़ ली है। आंकड़ों के आधार पर, जो जनगणना के आंकड़े हैं, उनके आधार पर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि दो करोड़ व्यक्ति राजस्थान के अन्दर साक्षरता से दूर हैं। मैंने इसके बारे में शुरू में ही निवेदन किया कि मैं अपने महत्वपूर्ण सुझाव पेश करना चाहूंगा। हमारे राजस्थान के अन्दर केवल 60 लाख व्यक्ति ही शिक्षित हैं। इसके लिए क्या हम कोई अभियान नहीं चला सकते? राजस्थान में 180 शहर हैं, कम से कम शहरों में तो इसको दूर किया जा सकता है एक अभियान चलाकर। क्या हममें इतनी भी तड़फ नहीं है जब कि हम बुरी तरह से साक्षरता में पिछड़े हुए हैं, दो करोड़ 60 लाख व्यक्तियों में से दो करोड़ व्यक्ति साक्षरता से दूर हैं, इस तड़फ का आभास हमको क्यों नहीं है? इसके लिए हमको एक अभियान के रूप में कार्य करना चाहिए। इस सन्दर्भ में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि गर्मियों की छुट्टियों में हमारे जो नवयुवक हैं उनको इस सारे काम में लगाया जा सकता है। हम देख रहे हैं कि आपातकालीन स्थिति के बाद हमारे नवयुवक सही दिशा में काम कर रहे हैं और अच्छे ढंग से चल रहे हैं। क्यों नहीं हम उनको एक कार्यक्रम दें और प्रति व्यक्ति इस बात की व्यवस्था कर दें कि हर युवक कम से कम दस व्यक्तियों को साक्षर करेगा तो शहरों से तो हम निरक्षरता को जल्दी ही दूर कर सकते हैं। आप जानते हैं कि निरक्षरता की वजह से हमको कितना नुकसान उठाना पड़ता है। जितनी भी योजनायें स्वीकृत होती हैं, जितना रुपया हम प्रदेश के डवलपमेन्ट के लिए खर्च करना चाहते हैं, जिस प्रकार से हम आम आदमी को ऊंचा उठाने की कल्पना करके चलते हैं वहां पर इस निरक्षरता की वजह से जितनी सफलता हमको मिलनी चाहिए, उतनी नहीं मिल पा रही है। हमको इसकी वजह से बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है।

चिकित्सा के क्षेत्र में भी हमारा प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ है। राजस्थान में केवल 14 प्रतिशत क्षेत्र में ही सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं जब कि सारे देश में 22 प्रतिशत है। हमने यह लक्ष्य रखा है कि 50 हेक्टेयर में कृषि की जायगी। बीस सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति में इस जमीन को उपजाऊ बनाकर लाखों करोड़ों इन्सानों को फायदा पहुंचायेंगे और उनको भी इस काम में जुटायेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि धौलपुर और भरतपुर क्षेत्र में रिवाइन्स का एरिया काफी उपजाऊ है लेकिन खेद की बात है कि कृषि विभाग के अधिकारियों ने कह दिया है कि वह अधिक उपजाऊ नहीं रहेगा। इसके लिए जो भारत सरकार से आठ करोड़ रुपया मिल रहा था वह हमको

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

नहीं मिल सका क्योंकि स्थानीय लोगों के स्वार्थ के वश इस प्रकार की सूचना राजस्थान के अधिकारियों ने दे दी, राजस्थान के अन्दर 6 करोड़ एकड़ के आसपास भूमि है उस भूमि के अन्दर साढ़े तीन करोड़ में खेती की जाती है। 50 हजार हेक्टेयर का हमने लक्ष्य निर्धारित किया है, उसमें से बहुत बड़ा काम हमारे राजस्थान के अन्दर करके, जिससे कि अनाज का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, दूसरी तरफ लाखों इन्सानों को भी काम दे सकते हैं।

मैं इस बात के लिए राजस्थान सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं कि उसने हजारों भूमिहीनों को छोटे छोटे टुकड़े भूमि के वितरित किये हैं। मैं व्यक्तिशः इस बात का विरोधी हूं। इस प्रकार दो दो, पांच पांच बीघा भूमि देकर, यह सही है, आपने उनको हैसियत प्रदान कर दी, यह सही है, नाम मात्र के लिए, कहने के लिए, आपने यह कह दिया, यह कह सकते हैं कि उनके पास भूमि है लेकिन उसके साथ साथ बड़ी विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा, सहकारी कृषि के माध्यम या सामूहिक कृषि माध्यम को अपनाते तो अधिक अच्छा होता। सारे साधन देकर गरीब इन्सान को हर सुख-सुविधायें देते तो निश्चित रूप से एक तरफ वे उत्पादन बढ़ाने में योग देते, दूसरी तरफ उनकी मेहनत, उनके परिश्रम के परिणाम का फायदा राज्य आराम से उठा पाता।

मैं राज्य सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि राज्य सरकार ने लगभग 8 लाख से ऊपर ऐसे परिवार, जिनके पास रहने को मकान नहीं, को भूमि दे दी। मैं राज्य सरकार से इस बात के लिए अनुरोध करना चाहूंगा, वह इस बात को देखे कि उनके किस प्रकार से पक्के मकान बनाये जा सकते हैं। शिक्षा के बारे में सुझाव दिया है साक्षरता अभियान को चलाने के लिए। मैं इस बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं, जिस प्रकार से केरल में अभियान चलाया गया है, वहां एक लाख मकान एक वर्ष में बनाये गये हैं, जंगल की लकड़ी की सुविधा दी गई, ईंट और चूना बनाने के लिए मिट्टी उनको फ्री दी गई, सामूहिक रूप से बैंक से व्यवस्था करके कर्ज की सुविधा दे दी, इस प्रकार का अभियान चला कर मकान का काम पूरा कर दिया। राजस्थान के सामने यद्यपि बहुत बड़ा काम है, लेकिन इस काम को करने की जिम्मेदारी हमारी है। उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर हम इस सारे काम को पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ अंजाम दें तो आगे आने वाले लोग यह कहेंगे कि केवल मात्र हमने भाषण ही नहीं दिये, केवल मात्र नारे ही नहीं लगाये, हमने वास्तविकता के अन्दर काम करके दिखाया।

मैं सिंचाई सुविधाओं और इसके बारे में यह निवेदन कर रहा था कि जहां हम राजस्थान कैनाल योजना, माही प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जा रहे हैं, वहां राजस्थान का बहुत बड़ा भू भाग इस बात के लिए तड़पता है। एक तरफ हरियाणा पड़ोस का राज्य जिन सुविधाओं का उपयोग कर सकता है, दूसरी तरफ जिस गंगा के पानी के बारे में राजस्थान वर्षों से डिमाण्ड करता आ रहा है, उस पानी का उपयोग नहीं कर पाया है। मैं निवेदन करूंगा, हम योजना बना कर झुंझुनू, सीकर के आस पास के

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

इलाके हैं, जो हरियाणा के आस पास का इलाका है, वहां उपयोग करके यह जो बहुत बड़ा भू भाग, इतनी जमीन पड़ी हुई है, इसे खेती लायक बनाने के लिए उसको लाया जाय।

मैं औद्योगिक स्थिति के बारे में ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, वित्तीय संस्थाओं से सहायता, रिजर्व बैंक से सहायता की हमारी स्थिति अत्यन्त निराशाजनक है। औद्योगिक विकास बैंक द्वारा राजस्थान के उद्योगों को दी गई सहायता न्यूनतम है। महाराष्ट्र को 30 प्रतिशत, बंगाल को 19 प्रतिशत, तामिलनाडू को 11 प्रतिशत और राजस्थान में 1 प्रतिशत औद्योगिक बक, वाणिज्यक बैंक द्वारा सहायता दी जा रही है। औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ प्रदेश है, जिसके कई जिलों के अन्दर सिवाय चक्की के कोई उद्योग नहीं है, आटा पीसने की चक्की के अलावा। भारत सरकार पिछड़े हुए जिलों को जो सहायता देती है उस सहायता के अन्दर राजस्थान जो प्राप्त कर पाता है वह है 1.6 पर्सेन्ट सहायता, जब कि महाराष्ट्र, जो औद्योगिक दृष्टि से अत्यधिक विकसित राज्य है, ले जा रहा है 52 प्रतिशत सहायता। मैं इस बात के बारे में अनुरोध करना चाहूंगा, राजस्थान मिनरल्स के बारे में धनी प्रान्त है, यहां की धरती के अन्दर लगभग 80 हजार करोड़ के मिनरल छिपे पड़े हुए हैं। राजस्थान के अन्दर सीमेन्ट के कारखाने लगे हैं। राजस्थान का सीमेन्ट का कारखाना दुनियां के अन्दर, एशिया के अन्दर सबसे आगे था, एशिया की सबसे बड़ी सीमेन्ट फैक्ट्री हमारे यहां पर थी। दुर्भाग्य है वह सीमेन्ट फैक्ट्री बन्द पड़ी है। मैंने गत सत्र में इस चीज को उठाया था। वहां चार हजार मजदूर आज भी परेशान हैं। दिवाली के ऊपर बड़ी मुश्किल से वहां के जिलाधीश ने तीस रुपये बीस रुपये सहायता देकर उन बेचारों की दिवाली बड़ी मुश्किल से मनवाई। आज होली का त्योहार, जो मजदूरों का त्योहार है, चार दिन के बाद आ रहा है। वहां के मजदूर नेता आये थे, वह कह रहे थे, मजदूरों को प्राविडेंट फंड से पैसा मिल गया, अब की बार तो होली यों की यों जायेगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैंने औद्योगिक क्षेत्र के सम्बन्ध में यह बात निवेदन की है, मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारे यहां यह फैक्ट्री बन्द पड़ी है। इसके अलावा विश्वकर्मा इन्डस्ट्रियल एरिया में आठ सौ शेड्स अलाट किये हैं। मैं निवेदन करूंगा कि उनमें से केवल दो सौ को विद्युत् कनेक्शन दिये गये हैं और केवल मात्र 34 फैक्ट्री चल रही हैं। हमें इस बात को देखना होगा, हमारे यहां रोजगार के दो साधन हैं एक कृषि है, एक यह लघु उद्योग का साधन। लघु उद्योग के सिवाय जो बड़े उद्योग हैं, उनकी स्थिति के बारे में तो निवेदन किया कि सवाई माधोपुर सीमेन्ट फैक्ट्री बन्द पड़ी है, जयपुर की बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, वह फैक्ट्रीज किसी न किसी बहाने मजदूरों की छुट्टी करती जा रही हैं। भारत सरकार के श्रम मंत्री, श्री रघुनाथ रेड्डी ने पालियामेंट में खुद यह माना है कि एमर्जेन्सी के बाद तीन लाख रुपये का नुकसान हुआ है, जब कि मजदूरों ने हड़ताल करना बन्द कर दिया, अपनी बात कहना बन्द कर दिया। मजदूर हमारी प्रधान मंत्री के बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को पूरा करने के लिए जी जान

(श्री श्रीराम गोटेवाला).

से जुटे हुए हैं, उस वक्त फैक्ट्रीज बन्द होती हैं, फैक्ट्रीज के मालिक लोग अजीब अजीब तरीके अपना कर श्रमिकों को बाहर निकालते फिरते हैं और हम लोग सारी बातों को चुपचाप बैठे देखते हैं तो थोड़ी परेशानी होती है। मैं निवेदन करूंगा, इस रोजगार में महत्वपूर्ण बात होती है, रोजगार के साधन देने के लिए हमें सजग और सतर्क रहना आवश्यक होता है। मैं नम्र निवेदन करना चाहूंगा, चाहे कोई फैक्ट्री हो, चाहे सीमेण्ट फैक्ट्री हो, चाहे कपड़ा मिल हो, चाहे और किसी प्रकार की कोई इन्डस्ट्री हो, सरकार की इस बात की जिम्मेदारी है कि वह इस बात को देख कर चले कि राजस्थान के ढ़ाई करोड़ इन्सान के लिए जो रोजगार के साधन बनाये हुए हैं वह बन्द नहीं हों। मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं, हमारे मुख्य मंत्री ने पिछले सत्र में कहा था उसके अनुसार उन्होंने व्यक्तिगत दिलचस्पी इस बात के लिए ली कि सवाई माधोपुर सीमेन्ट फैक्ट्री जल्दी चालू हो। व्यक्तिगत प्रयास करके उन्होंने और श्रम मंत्रीजी ने बैंकों के माध्यम से इसे चलाने की बात की। मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा, अगर हम शुरू से सतर्क रहते, शुरू से व्यवस्था को देखते रहते, हमारे जो डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्री हैं, जो बोर्ड आफ डाइरेक्टर में मेम्बर हैं वह इस बात पर चैक रखते तो करोड़ों रुपये के गबन, करोड़ों रुपये उड़ाने की स्थिति नहीं आती और हमारे राजस्थान का सबसे बड़ा उद्योग, जो अपने आप में एशिया के अन्दर एक नम्बर की फैक्ट्री है बन्द नहीं होता, और चार हजार मजदूर परिवार, जिनके जिनमे कम से कम पच्चीस हजार आदमी हैं, को संकट का सामना नहीं करना पड़ता। मैं आज बजट पर बहस के दौरान वित्त मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा, वह इस सारी बात को देखें और प्रयास करें कि राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति, जहां तक रोजगार का ताल्लुक है, रोजगार के लिए मुंह जोहता है, वह मुंह नहीं जोहे। राजस्थान में मैं निवेदन कर रहा था, उद्योग के संगठित क्षेत्र में रुपये का अंशदान चार-पांच प्रतिशत है, जब कि सम्पूर्ण देश में 13 प्रतिशत आता है।

मैं वित्त मंत्रीजी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा, उन्होंने तथ्यों के आधार पर कहा कि उन्होंने तीन करोड़ की बात राजस्थान में इस 26 जून की आपातकालीन स्थिति की घोषणा के बाद की है। मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं। मैं साथ साथ इस बात के लिए मांग करता हूं, मेरी समझ में यह बात नहीं आती है, इंजिनियरिंग कोड के अनुसार तो यह कह नहीं सकता कि सुपरिटेंडिंग इंजिनियर की पोस्ट किस काम के लिए है, चीफ इंजिनियर और एक्जीक्यूटिव इंजिनियर की पोस्ट के बीच यह पोस्ट क्यों कायम कर रखी है–मैं समझ नहीं सकता, डी.आई.जी. की पोस्ट किस बात के लिए रख रखी है–यह सारी बात क्यों रख रखी है। इसके साथ ही मैं और निवेदन करूंगा, जितना बड़ा अमला लेकर चल रहे हैं अधिकारियों का, जिस ढंग के अधिकारी हैं, कोई कह नहीं सकता है, दो हजार के करीब अधिकारी और कर्मचारी कम्पलसरी रिटायरमेंट में रिटायर किए हैं।

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

प्रशासन ठीक हो गया है और सुधर भी जाना चाहिये। मैंने एक सवाल पिछली बार पूछा था, माननीय अध्यक्ष महोदय, उसका जवाब नहीं आया। मैंने पूछा था, सतर्कता आयोग ने किन किन अधिकारियों, किस किस की जांच की और उन्होंने किस किस के खिलाफ तथ्य पाये कि इनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये ? मैं नम्रता से पूछना चाहता हूं कि इस कम्पलसरी रिटायरमेंट में उन अधिकारियों में से कौन–कौन अधिकारी हैं ? जहां तक मेरी जानकारी है, मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि जिन आई. ए. एस. या आई.पी.एस. अधिकारियों के खिलाफ उन्होंने जांच की थी और आरोप प्रमाणित माने थे, उनमें से एक भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है। यह सही है कि आई. ए. एस. अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने में आपको थोड़ी झिझक होती हो, कहीं तकलीफ भी होती हो, लेकिन दो रुपए लेने वाले कान्सटेबल को तो आप सजा दें और दो लाख रुपए लेने वाले राजेन्द्र जैन को वापिस उसी जगह लाकर बिठा दें और इससे लिए यह कहें कि यह हमारे यहां भ्रष्टाचार रोकेगा इससे अधिक ताज्जुब की बात और नहीं हो सकती। इसलिए मैं नम्र शब्दों में कहना चाहता हूँ कि कृपा करके इस बात को देखें और चाहे कोई व्यक्ति किसी जगह पर बैठा हो, कितना ही बड़ा आदमी हो, अगर वह भ्रष्टाचार में लिप्त है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए।

इसी सदन में एक एस. डी. ओ. का जिक्र भी हुआ था, तारीखें तो मुझे याद नहीं। उस एस. डी. ओ. ने खाली वारंट पर बिना किसी के नाम लिखे हुए दस्तखत कर दिए और वह वारंट मैंने सदन में पेश किया था, नाम मुझे याद नहीं, मैंने लिस्ट दे दी है, बिश्नोई साहब नाम बता रहे हैं, मैं वेरीफाई नहीं कर पाया हूं इसलिये नाम नहीं लेना चाहता। लेकिन इस प्रकार की बात हो जाए और उस अधिकारी का नाम कम्पलसरी रिटायरमेंट में नहीं है जो खाली कागज पर बिना किसी का नाम लिखे वारंट पर दस्तखत कर दे और उसके बाद भी कोई कार्यवाही न हो तो यह हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। इसके साथ मैंने सुपरिटेंडिंग इंजीनीयर के लिए कह दिया, डी.आई.जी के लिए कह दिया। लार्ड कर्जन ने एक मामले में टिप्पणी मांगी थी। जो सेक्रेटरी ने किया था, डिप्टी सेक्रेटरी, एसिस्टेंट सेक्रेटरी, आफिस सुपरिंटेंडेंट ने सबने वही का वही डिटो किया। लेकिन यू.डी.सी. ने दूसरा नोट लिखा, एस. डी. सी. ने यू.डी.सी. से एग्री किया, तो उसने यू.डी.सी. के नोट को रेड मार्क किया। बाद में सेक्रेटरी को बुलाकर कहा कि इन 8 सीढ़ियों में से 5 सीढ़ियों को क्यों न तोड़ दें क्योंकि जो बात यू. डी. सी. से चलती है, जो यू. डी. सी. ने कही, वही चल रही है। आज भी लंबा चौड़ा अमला बना रखा है और फौज खड़ी कर रखी है। आपात् स्थिति के बाद अच्छा वातावरण बना था, थोड़ी बहुत फुर्ती आई थी अब हम वापस समझने लगे हैं कि ब्यूरोक्रेसी के बिना नहीं चल सकता। जब तक एक व्यक्ति मंत्री न होकर केवल विधायक होते हैं तब तक वे ब्यूरोक्रेसी की आलोचना करते हैं और ज्यों ही मंत्री बन जाते हैं तो उन्हीं अधिकारियों को डिफेंड करते हैं। इस सारे लंबे चौड़े

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

अमले को देख लें। जो कागज एल. डी. सी. से चलता है, ऊपर तक वही नोटिंग चलती रहती है। फिर इतने लंबे चौड़े ढांचे की क्या आवश्यकता है? आपने तीन करोड़ की बचत की, उसके लिए धन्यवाद देता हूं। मेहरबानी करके विधायकों की एक कमेटी बना दें जो इस प्रशासनिक ढांचे को देखे। 25 करोड़ की बचत हो सकती है; बिना किसी प्रकार के सरकारी ढांचे में तकलीफ हुए, आज जो काम 2 महीने में करवाते हैं, वह एक दो दिन में करवाने की बात की गारंटी देता हूं, 25 करोड़ की बचत का दावा करता हूं क्योंकि अनावश्यक रूप से आपने इतना सारे का सारा डिपार्टमेंट खोल रखा है, जिसका कोई मकसद नहीं, जिनका उत्पादन से कोई ताल्लुक नहीं।

मुझे तो जहां तक जानकारी है, जो जिला कृषि अधिकारी होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि जिले में जाकर हर जगह इस बात को देखे कि किसानों को किस बात की आवश्यकता है, किस प्रकार की सहायता और सुविधायें चाहिए। लेकिन उस अधिकारी को खुद जानकारी नहीं है, वह खुद जीरो होता है।

आपने अभी एक नई पोस्ट क्रीएट की है, कृषि उपज मंडियों में, उनकी जांच पड़ताल करने के लिए जो अधिकारी लगाये हैं उनका काम केवल मात्र यह है कि भावों की सूचना दे दें। जो एग्रीकल्चर में बी. एस. सी. हैं उनको वहां लगाया है। जैसा मैंने पहले आंकड़ों के आधार पर साबित करने की कोशिश की है कि राजस्थान देश में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है और इस पिछड़े हुए राज्य को ऊंचा लाने की हमारे मन में तड़प है। कृषि, उद्योग, सिंचाई, बिजली व नगर विकास की दृष्टि से हम भी हिन्दुस्तान के अन्दर बराबरी के स्तर पर हों, उसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम अपनी प्रतिभाओं का सही उपयोग करें और गलत कामों के लिए नहीं लगायें। तो एक जो आपके खर्चे की बात थी और तीन करोड़ की बचत की बात है, उसके लिए मैंने निवेदन किया है और पुनः जोर देकर कहता हूं कि सिंचाई, सार्वजनिक निर्माण विभाग या अन्य विभाग हैं जिनमें सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर के पद हैं उन्हें समाप्त करें, इन पदों के साथ पूरे का पूरा अमला रहता है। आप बतायें कि किसी भी इन्जीनियरिंग कोड के हिसाब से यह पद आवश्यक है? आप केवल इन अधिकारियों को संतुष्ट करने के लिए ये नए नये पद क्यों सृजित करते जा रहे हैं? फिर एडीशनल चीफ इंजीनियर। पता नहीं कितने कितने अधिकारी सारे काम को कर रहे हैं। मैं ज्यादा उचित यह समझूंगा कि हमारे यहां उत्पादन का काम है, जो खनिज नीचे से निकालने हैं, पढ़े लिखे युवकों को उनकी विद्वता का सही उपयोग करके लाखों एकड़ धरती में जोत करें, समतल करके उपजाऊ काम में लगायें तो हम देश में काफी आगे हो जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूं विशेष कर जयपुर शहर के बारे में निवेदन करूं। यहां पर 30 लाख पानी निकास की व्यवस्था, सिवरेज लाइन की व्यवस्था के लिए रखे हैं। सिवरेज लाइन पर लगभग एक घंटा चर्चा हुई थी

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

उसके बाद तय हुआ था इस विषय पर कि वह रुपया खर्च किया जाएगा। मेरी समझ में नहीं आता कि हमारे यहां पर सारा खर्चा मार्च के महीने के क्यों होता है? क्यों 11 महीने अधिकारी सोए रहते हैं? मंत्रीगण आंकड़े अपने सामने रखें कि किस काम के लिए कितना रुपया दिया गया है और कौन अधिकारी किस महीने से उसका उपयोग कर रहे हैं। 30 लाख रुपये दिए गए हैं तो हर ढ़ाई लाख के फिगर्स उनके सामने आने चाहिये। आज वह 30 लाख रुपये लैप्स हो गए। जिस प्रकार से मेरे यहां स्थिति है वह स्थिति कमोबेश सारे राजस्थान में होगी। पिछली बार मैंने बजट चर्चा पर सवाल उठाया था और कहा था कि आप मार्च महीने में पैसे का उपयोग करने की परम्परा को बंद करें। सिचाई विभाग में खरीद हो रही है, सार्वजनिक निर्माण विभाग में ऊंचे नीचे टेण्डर लिए जा रहे हैं और 31 मार्च को 12 बजे तक पेमेंट करेंगे और 11 माह तक मोज मारते हैं।

मुझे अफसोस होता है कहते हुए कि जयपुर शहर को दस लाख रुपये मिनिमम नीड्स प्रोग्राम के लिए दिए गए हैं और रिलीफ इसलिए नहीं मिल रहा है कि पिछले 22 लाख रुपये का उपयोग नहीं कर पाये हैं। ब्यूरोक्रेट्स के बारे में कहते हैं कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं लेकिन यह तथ्य है कि किसी भी शहर के लिये जो, 1728 में बसाया जाए, जिसकी सुन्दरता से आकर्षित होकर दुनिया का हर इन्सान जो हिन्दुस्तान में आता है, वह जयपुर में आना चाहता है, जयपुर की सुन्दरता को देखना चाहता है, उसके सौन्दर्य के लिए आपने जो काम किया है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। पर्यटन विभाग ने पेड़ पौधे लगाये सांगानेर एयरोड्रम तक, विद्याधर के बाग को डवलप किया, नाहरगढ़ के विकास के लिए 5 लाख रुपए स्वीकृत हुए, उसके लिए भी धन्यवाद देता हूं लेकिन इसके साथ ही एक बात कहना चाहता हूं कि अभी भारत सरकार की टूरिज्म डाइरेक्टर मिस ठाकुर यहां आई थीं। मैंने जयपुर के कई स्थल उनको दिखाये, बड़ी प्रसन्न हो रही थीं। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, जब मैं उन्हें जल महल दिखाने के लिये ले गया तो वह उसे देख कर रोने लग गयीं। उन्होंने कहा कि ऐसा सुन्दर स्थान और यहां पर इतनी ज्यादा गन्दगी। सारे शहर की गन्दगी वहां पर एकत्रित हो जाती है, चारों तरफ सड़ांध और दुर्गन्ध आती है। तो, अध्यक्ष महोदय, जब ऐसी हालत आकर फारिनर्स देखते हैं तो क्या सोचते हैं जयपुर के बारे में? क्या कल्पना वह जयपुर की खूबसूरती के बारे में लेकर आते हैं लेकिन जब वह यहां आकर सारे सुन्दर दर्शनीय स्थान देखने के बाद जल महल को देखने जाते हैं तो क्या सोचते होंगे? अध्यक्ष महोदय, यहां मैं एक बात और इसी के साथ में निवेदन करना चाहता हूं। पहले इसी सदन में यह आश्वासन दिया गया था कि जयपुर में ट्रीटमेन्ट प्लान्ट लगाया जायेगा लेकिन मुझे खेद के साथ कहनापड़ता है आज तक उस ट्रीटमेण्ट की प्रारम्भिक कार्यवाही भी चालू नहीं की गयी है। अध्यक्ष महोदय, सारे दर्शनीय स्थानों को देखने के बाद जब हम जल महल को देखने जाते हैं तो बहुत ही परेशानी लोगों को होती है। वहीं पर, अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान भर की एक बहुत बड़ी आयुर्वेदिक संस्था राज्य सरकार द्वारा स्थापित की हुई है तो मेरा राज्य सरकार से यह

(श्री श्रीराम गोटेवाला)
अनुरोध है कि इसके बारे में कोई ठोस कार्यवाही करे।

अध्यक्ष महोदय, आज हमारे राजस्थान में हर साल करीब 40 हजार फोरिनर्स टूरिस्ट्स आते हैं जब कि आगरा, जो कि हमारे राजस्थान के पास में ही है करीब डेढ़ लाख फोरिन टूरिस्ट्स आते हैं। लेकिन मैं समझता हूं यहां पर टूरिस्ट कम आने का एक बड़ा कारण यह है कि टूरिस्ट्स को यहां पर कम फैसिलिटीज हैं और अभी तक यहां ट्रीटमेन्ट प्लान्ट नहीं लगने से थोड़ी गन्दगी है। कुछ लोग तो यह भी सोच सकते हैं कि क्या अभी भी यहां पर वही राजा महाराजाओं के जमाने वाली हालत है। अध्यक्ष महोदय, यह मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वह तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, करीब डेढ़ करोड़ रुपये राजस्थान सरकार को फोरिन टूरिस्ट्स से प्राप्त होता है। अगर हम हमारे यहां के जो दर्शनीय स्थान हैं उनको राजस्थान में जगह जगह डवलप करें तो काफी राजस्थान सरकार को आय हो सकती है। यहां पर मैं आपका इस बात के लिये भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप कुछ जगहों को विकसित भी कर रहे हैं। पर हमारे यहां जो स्थान आप विकसित कर रहे हैं वह कम है। अभी काफी जगह हैं जिन्हें हमें डवलप करना है।

अध्यक्ष महोदय, जब बाहर से टूरिस्ट्स आते हैं तो यहां लोगों से लोकल चीजें परचेज करते हैं, जिसमें कई दस्तकारी और हैन्डीक्राफ्ट की चीजें हैं लेकिन उन लोगों को, जो कि इसको बनाते हैं, पूरी तरह से आर्थिक मदद नहीं मिलने के कारण उनका भी पूरी तरह से विकास नहीं हो पा रहा है। इसके साथ में एक बात यहां पर निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जयपुर को, जो गुलाबी नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, वापिस खूबसूरत करने के लिये उसी गुलाबी रंग में रंगने के लिये पहल की है। उसके लिये तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं लेकिन आपने एक तरफ तो गुलाबी रंग दिया है दूसरी तरफ अभी तक गुलाबी रंग नहीं हो पाया है। मुझे खेद के साथ आज कहना पड़ता है कि थोड़े दिन बाद जब बरसात आयेगी तो जो एक तरफ गुलाबी रंग किया हुआ है वह भी धुल जायेगा। तो मेरा निवेदन है इस कार्य को जल्दी कराया जाय ताकि जयपुर की खूबसूरती बढ़े। इसके साथ साथ मैं यहां यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जब हर व्यक्ति से सौ सौ रुपया गुलाबी करने के लिये ले लिया है जब कि उसकी लागत सिर्फ 20 रुपये ही होगी कोई बात नहीं आपने बीस रुपये की लागत वाले काम के लिये 100 रुपये ले लिये पर जाकर देखें तो सही। आपकी मशीनरी को चाहिये कि उसको चैक करें। आखिर सवार से ही तो घोड़ा दबेगा। अगर आप लोग उसे नहीं देखेंगे तो काम कैसे चलेगा ?

अध्यक्ष महोदय, तो मैं टूरिस्ट्स के बारे में बात कर रहा था, बीच में मैंने थोड़ा दूसरा निवेदन कर दिया। आज, अध्यक्ष महोदय, पूरे भारत वर्ष में जितनी भी यह हैन्डी क्राफ्ट की चीजें, लोक उद्योग की चीजें होती हैं चाहे आप जयपुर की हैन्डी क्राफ्ट को ले लें, जयपुर के बन्धेज को लें, चाहे गुजरात में हैन्डी क्राफ्ट को लें, बनारस की साड़ियों को लें, चाहे कर्नाटक में जितने भी हैन्डी क्राफ्ट्स

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

की चीजें हैं वह सभी वहां टैक्स फ्री है। पहले जयपुर में भी थीं, लेकिन पता नहीं लगता ऐसी क्या बात हुई कि उन पर सैल्स टैक्स लगना शुरू हो गया। इसके लिये हालांकि गवर्नमेन्ट के आर्डर्स भी हैं, मैं आपको पढ़ कर सुना रहा हूं जो कि डिप्टी सेक्रेटरी जी. ए. डी. ने श्री एन. एन. वर्मा को लिखा है।

"In continuation to this department letter of even number dated 18th December, 1975, on the above subject, I am directed to request you kindly to stay the recovery of tax arrears on sale of pure shiffon, chinnon, and georgette tie and dye sariees till further orde s from the Government."

(12.35 म.प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

और, उपाध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आता कि आपके यह सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के जो कामर्शियल टैक्सेज आफिसर हैं वह उसका क्या मतलब निकालते हैं। एक तरफ तो राज्य सरकार उपरोक्त आदेश निकालती है दूसरी तरफ सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से उन लोगों की दुकानों पर रेड्स होती हैं। जो लोग बन्धेज का काम करते हैं उनको परेशान किया जाता है। इसके बाद में गवर्नमेंट की तरफ से आर्डिनेन्स भी निकला, उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही विनम्रता से निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये। क्योंकि आज हमारे पूरे राजस्थान में करीब 5 लाख व्यक्ति ऐसे हैं जो कि इस पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। यह लोग आपको जोधपुर, जयपुर, चूरू और कई जगह मिलेंगे जो कि बन्धेज का काम करते हैं। आपको इन लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिये। इसमें वह लोग हैं जो लोग माइनोरिटी क्लास को बिलोंग करते हैं। इनमें महिलायें घर पर बैठी बन्धेज वगैरह के काम करती रहती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने पहले 15 रुपये तक की चीज के ऊपर सैल्स टैक्स की छूट दी थी तो, उपाध्यक्ष महोदय, 15 रुपये में तो कोई साड़ी का कपड़ा भी नहीं हाथ आ सकता। इसमें बन्धेज की क्या चीज हाथ आयेगी? इसलिए मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार गुजरात में, बनारस में, मद्रास में, मध्यप्रदेश में और महाराष्ट्र में ऐसे उद्योग वालों को छूट दी है, आप भी दें ताकि हमारे यहां का व्यापार बढ़े, टूरिस्ट्स भी आकृष्ट हों उन चीजों पर। मैं आपको इस बात का तो धन्यवाद देता हूं कि आपने रेफरीजेरेटर्स, कूलर वगैरह पर सैल्स टैक्स कम किया। यह आपने वास्तविकता की नीति अपनाई है। चाहे मेरी इस बात के लिये सदन के माननीय सदस्य मुझे रीएक्शनरी कह कर मेरी आलोचना कर सकते हैं। लेकिन मैं इस आलोचना से डरने वाला नहीं हूं। क्योंकि 15 पर्सेन्ट में तो आपको एक धेला भी नहीं मिलता था लेकिन दस पर्सेन्ट कर देने से आपकी आमदनी बढ़ेगी। इसके अलावा जो यह डाई वर्किंग और रेडीमेड गारमेंट्स पर आपने पहले 15 रुपये तक तो छूट दी

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

पर आपने, अब उस को समाप्त कर दिया। वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में यह कहा कि लोग इसका बहुत ही दुरुपयोग करते थे इसलिये यह किया गया है हालांकि इस वक्त मैं इसका खन्डन करने की स्थिति में तो नहीं हूं कि कितना दुरुपयोग होता था पर मैं इतना जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे पास की जो स्टेट्स हैं उन्होंने सात पर्सेन्ट भी टैक्स नहीं लगाया है। मैं आपको इसके बारे में कुछ जगहों के उदाहरण प्रस्तुत करूंगा··

"दिल्ली में 30 रुपये तक के रेडीमेड गारमेन्ट्स पर सैल्स टैक्स की छूट है और उसके बाद में दो प्रतिशत सैल्स टैक्स है। इसी तरह बम्बई यानी महाराष्ट्र में 20 रुपये तक छूट आगे पौने तीन प्रतिशत सैल्स टैक्स, मध्यप्रदेश में सैल्स टैक्स सिर्फ दो प्रतिशत ही है।"

तो मेरा निवेदन यह है कि मेरी समझ में नहीं आता कि यह सैल्स टैक्स सभी जगह एक तरह का ही क्यों नहीं होता ? एक तरफ तो वित्त मन्त्री जी समानता की बात करते हैं दूसरी तरफ जब भी वित्त मन्त्रीजी वित्त मन्त्रियों की कान्फ्रेन्स में आते है तब भी समानता सेल्स टैक्स में होनी चाहिये यह बात करते हैं। तो यहां आप इस प्रकार के टैक्सेज लगाकर, मैं समझता हूं, उन लोगों का रोजगार ही चौपट कर देंगे। इसलिये मेरा बहुत ही विनम्र निवेदन है कि वित्त मन्त्रीजी खास तौर से इस ओर ध्यान दें तो बड़ी कृपा होगी।

इसके साथ ही मैं एक और उद्योग के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। वह जयपुर शहर का लोकल उद्योग है जिसका दुनियां में काफी नाम है। उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर में करीब एक लाख लोग ऐसे होंगे जो कि इस जवाहरात उद्योग से डाईरेक्टली और इन-डाईरेक्टली कनेक्टेड हैं। आप चाहें तो मुझे रीएक्शनरी कह दें, लेकिन आपको जो आज तीस लाख की आय सैल्स टैक्स से इस जवाहरात उद्योग से होती है वह भी एक्पोर्ट से। लेकिन यहां पर जो छोटे छोटे बिजनेस-मैन हैं जो एक्सपोर्ट का काम नहीं करते हैं जो कि जवाहरात का काम करते हैं उनको बुरी तरह से परेशान सैल्स टैक्स के मामले में किया जाता है। यह बात सही है कि कुछ लोग इसमें लखपति बन गये हैं। करीब 500 नये लखपति भी बने हैं। कुछ हुआ है। लेकिन यहां पर इस उद्योग में काम करने वाले ऐसे व्यक्ति भी हैं जो कि रोजाना काम करने वाले हैं और प्रति दिन 30 रुपये रोज तक कमा लेते हैं। इसके बारे में भारत सरकार ने भी राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया है और मैं भी आपको निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप उनको कुछ रियायतें दें तो हजारों लोगों का भला हो सकता है। मेरा निवेदन इसमें यह है कि आपको अपनी रेवेन्यू में भी कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप चाहें तो यहां बैठकर मैं भी उसमें साथ हो जाऊं, उनसे बात करें, तो मैं यह दावे से कह सकता हूं कि जहां आपको तीस लाख की जवाहरात उद्योग से आमदनी होती है उसकी जगह 50 रुपये की आमदनी कराने की जिम्मेदारी हम लेने को तैयार हैं। यह जिम्मेदारी है। केवल भाषण की बात नहीं कहता। जयपुर नगर परिषद्

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

ने एक बार आक्ट्राय ड्यूटी लगाई थी। उस समय सुखाड़िया साहब मुख्य मंत्री थे। हमने उनसे पूछा था कि आप कितना लेना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि हम चार लाख लेना चाहते हैं। मैंने कहा था चार लाख का नहीं चार करोड़ का शिड्यूल है। हमने बैठकर सारी आक्ट्राय का शिड्यूल तय किया। आज राजस्थान में और नगर-पालिकाओं में आलोचना होती है लेकिन जो शिड्यूल हमने बनाकर दिया था, उससे एक तरफ चोरी कम हो गई और दूसरी तरफ आमदनी बढ़ गई और आज नगर-पालिका को इस आक्ट्राय से सवा करोड़ की आमदनी हो गई। तो हम इस प्रकार की व्यवस्था कर लें कि रोजगार समाप्त भी न हो। एक यहां के आम व्यापारी में स्टाक रजिस्टर को लेकर बड़ी गलतफहमी है। स्टाक रजिस्टर 1969 में शुरू किया था। इस सारी बात के लिये कहा गया था कि इसको भी तय करेंगे और जिनको दिक्कत आयेगी उनको मुक्त कर देंगे। मैं अधिक तो नहीं कहना चाहता हूं लेकिन इतना जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसको देखें। वित्त मंत्रीजी अभी यहां हैं नहीं लेकिन सिंहजी विराजमान हैं। अगर इसके फार्म को भी भरो तो मालूम होगा कि कौनसे जमाने की बात कर रहे हैं, उसमें वेल्यूएशन भी लगा रखा है। पहले से था, लेकिन पहले 500) रु. तक की पेनेल्टी थी लेकिन अब सजा का भी प्रावधान है।

आपके जो छोटे छोटे इन्सपेक्टर्स हैं और अधिकारी हैं, निश्चित मानिये, वे इसका दुरुपयोग करेंगे। रेड करने के अधिकार आफिसर को हैं लेकिन आपने इन्सपेक्टर को कर दिया है और फिर आप कहते हैं कि हमने भ्रष्टाचार खतम कर दिया। लेकिन मैं नम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं आपके कितने ऐसे इन्सपेक्टर्स हैं जिनके पास स्कूटर नहीं है, कितने ए.सी.टी.ओ. ओज हैं, जिनके पास स्कूटर नहीं है? क्या हैसियत है उनको जो 450) रु. पाने वाला आदमी स्कूटर मेन्टेन कर सकता है, अपना बंगला बना सकता है और अपने बच्चों को पढ़ा सकता है? मैं निवेदन करूंगा इस तथ्य को भी आप देखें। केवल मात्र एक वर्ग को पूरा बेईमान समझ लें और दूसरे वर्ग को दूसरी तरफ जिनकी कितनी खुशहाली है, जो 450) रु. में स्कूटर से नीचे पैर नहीं रखते हैं और बढ़िया बढ़िया बंगलों में निवास करते हैं और उनके बंगलों की हालत भी देखें कि किस प्रकार वे 450) रु. में उसको मेन्टेन करते हैं। इतने कम वेतन में कितना अच्छा जीवन यापन करते हैं। तो मैं बहुत नम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा कि इस स्टाक रजिस्टर वाले मामले को भी देखें और ऐसा कदम उठायें कि जो आदमी बेईमानी नहीं करना चाहता है लेकिन आपके जो कानून कायदे हैं उनसे गड़बड़ी पैदा हो जाती है। अभी भारत सरकार ने भी छूट दी है और उससे छिपे हुये धन के टेकमती 15 करोड़ रुपये इस देश के सामने आ गये। मैं आज आपसे भी कहता हूं कि हर आदमी को चोर समझने के बजाय उसको ठीक करें, उसकी व्यवस्था करें तो यहां पर अच्छे रिजल्ट्स आयेंगे।

(विराम)

Page No 42

(42)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त कीजिये।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं समाप्त कर रहा हूं। मेरा एक ऑडिट के बारे में भी क्वेश्चन था, वह लगा नहीं है। मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा इन सारी सहकारी समितियों की अगर आप समय पर ऑडिट करवायें तो जयपुर मर्केन्टाइल बैंक जैसी स्थिति नहीं हो। मैं सदन में दो साल से मांग करता रहा हूं–15-15 साल से आपके अधिकारी ऑडिट करने नहीं जायं और आपके अधिकारी, कर्मचारी दर गुजर करते रहें और आज आम आदमी को और उस विधवा को भारी नुकसान उठाना पड़ गया जिसके पैसे जयपुर मर्केन्टाइल बैंक में जमा थे। आज वह फेल हो गई और आज पैसे उठाने की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारी इस व्यवस्था की कमजोरी के कारण यह लोगों को नुकसान पड़ा। अगर सुपरवाइजर ठीक होते, ऑडिट समय समय पर होता रहता तो यह गड़बड़ी नहीं होती। मैं सुझाव दूंगा आप चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स को यह अधिकार दीजिये, उनके जिम्मे कीजिए और इन सारी सहकारी समितियों को जो सहकारी आधार पर चलने वाली संस्थायें हैं, को निर्देश दीजिये कि उनसे ऑडिट करवायें। प्रति वर्ष ऑडिट करायें ताकि आम आदमी का जो रुपया डूबता है वह न डूबे।

एक नगरीय व्यवस्था के बारे में भी बात कहता हूं और यह नगरीय व्यवस्था की बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। नगरों का विकास जो 1728 में जयपुर बसा था और जिसको तीन शहरों की गिनती में लिया गया है। 1728 का विकास और हम कह सकते हैं कि हम 12 वीं शताब्दी का विकास कर रहे हैं मैंने सारे बजट को छान मारा और मैंने कई अपने मित्रों से भी कहा कि नगरीय व्यवस्था के सुधार के लिये कहीं कुछ रखा है तो निकाल कर बतायें लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। आज भी राजस्थान की 20 प्रतिशत आबादी नगरों में रहती है। उसकी जो हालत हुई है, वह सबके सामने है। हमारे जयपुर शहर में जहां वायदा किया था कि 1976 तक 18 हजार मकान बना कर दिये जायेंगे। मगर मेरे प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि 746 मकान ही बनाये गये हैं, मगर मुझे धन्यवाद तो देना है, वित्त मंत्रीजी के बजट भाषण का समर्थन भी करना है, अधिकारियों की जय भी बोलनी है, उनका भी समर्थन करना है लेकिन जहां आंकड़े दिखते हैं और जिस प्रोग्राम की बात करना चाहते हैं, उनके बारे में जब देखते हैं तो परेशानी होती है। 1976 तक जयपुर शहर में 18 हजार मकान बना कर देने का वायदा किया था लेकिन हम दे पाये हैं केवल 746 तो फिर बतायें कि प्रशंसा किस हिसाब से करूं, यह मेरी समझ में नहीं आता है।

आज भी हजारों कच्ची और गन्दी बस्तियां जयपुर शहर में और अन्य जगहों पर बराबर बढ़ती जा रही हैं। अगर उनको प्लान्ट वे में और जमीन समतल करके झोंपड़ी बनाने की व्यवस्था करें, पीने के पानी की व्यवस्था करें तो मैं समझता हूं वह सारी व्यवस्था कम से कम इन नगरों के बारे में कर सकते हैं। मुझे आश्चर्य है कि वित्त मंत्रीजी यहां नहीं हैं, उनके पास बल प्रवाय का महकमा भी है। मैं प्रमाण से

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

कहना चाहता हूं लगभग 200 परिवारों को पाइप के कनेक्शन दिये गये थे वे आज यू. आई. टी. ने तोड़ दिये हैं, वे टूट चुके हैं वहां आज यह हालत है कि नलों के बिलों का पेमेन्ट किया जा रहा है और उन गरीबों को पानी पीने को नहीं मिल रहा है। यह हालत है कच्ची और गन्दी बस्तियों की। हमने कनेक्शन दिये हैं और अगर यू.आई.टी. ने तोड़े हैं तो आप यू.आई.टी पर दावा दायर कीजिये और उन गरीबों को राहत पहुंचाइये। जो गरीब हैं, जिन की कोई आवाज नहीं है, जिनके पास टेलीफोन नहीं है, जो कोई डिमान्ड नहीं कर सकते हैं, वह किसके पास जाकर अपना दुखड़ा रोयें? आज उसका पानी का कनेक्शन एक महीने से कटा पड़ा है। मैं उनसे आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं जो यदि पानी का पेमेन्ट करता है और जिस आदमी ने कनेक्शन लिया है सरकार की जिम्मेदारी है, जल प्रदाय विभाग की जिम्मेदारी है कि पानी का कनेक्शन वापिस चालू करें और उसका सारा खर्चा यू.आई.टी. से वसूल करें। आपने यह भी कहा था कि दिसम्बर, 72 तक जयपुर की सारी बस्तियों में पीने के पानी की व्यवस्था कर देंगे और सारी जगह व्यवस्था हुई है लेकिन आज उस व्यवस्था को तोड़ दिया गया है। अभी सर्दी का मौसम था, पानी की किल्लत बर्दाश्त हो गई लेकिन अब गर्मी का मौसम आ रहा है, इस गर्मी के मौसम में पानी की छटपटाहट होगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं इस पानी की व्यवस्था को टॉप-प्रायोरिटि देकर करवाने की व्यवस्था करें·····

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय हमें भी बोलना है। वैसे तो कहने की बहुत सी बातें हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं यह निवेदन करते हुये कि जहां हम एक तरफ प्रोग्रेसिव बातें कहकर राष्ट्र को आगे बढ़ाने में लगे हुये हैं और देश का विकास योजनाबद्ध ढंग से करना चाहते हैं वहां राजस्थान हर दृष्टि से हर राज्य से पिछड़ा जाता है। पूरी तड़प के साथ जन शक्ति का प्रयोग करके और साधनों का समुचित प्रयोग करके हमारी गति को तेज करें तो मैं निश्चित रूप से मानता हूँ कि राजस्थान हिन्दुस्तान का समृद्ध शाली प्रान्त होगा और आवश्यकता इस बात की है कि हिम्मत से, साहस से जनता के प्रति पूरी आस्था रखें और केवल मात्र यह नहीं करें कि हम बातें ही करें। हमें देश को आगे समृद्धि की ओर ले जाना होगा। एक दुकानदार जो अपना धन्धा करता है वह भी लखपति होने पर आगे कल्पना करता है कि करोड़पति बने। मुझे तीन दिन पहले एल.आई.सी के आफिसर्स कह रहे थे कि जयपुर की गटर व्यवस्था के लिए हम सारा रुपया देना चाहते हैं लेकिन यहां लेने की सारी तैयारी नहीं है।

एक बात कह कर समाप्त करता हूं कि जिस ढंग से सारे राजस्थान का विकास करना चाहते हैं और साधन भी सौभाग्य से प्राप्त हैं, उनको प्राप्त करके राजस्थान विकास की गति देने में अग्रसर हो।

श्री विश्वम्भर नाथ (शांतीकुई) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल तो मैंने केवल भूमिका बनायी थी और सारी मेरी बात रह गयी थी। I certainly did not conclude my speech and now I must

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)
be given chance to conclude it.

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज की स्थितियों में जब कि हमारा यह प्रान्त 900 करोड़ के अन्दाज की राशि खर्च कर रहा है और हमेशा इसको केन्द्र का मुंह देखना पड़ता है और इसलिए विकास नहीं कर पाता है कि इसके पास आर्थिक साधन नहीं हैं। हमारे लिये यह नितान्त आवश्यक हो जाता है कि हमारे पास जो भी सीमित साधन उपलब्ध हैं उनका हम सदुपयोग करें। इस पृष्ठ भूमि में आज हम यह देखते हैं कि राजस्थान का कोई नगर, शहर, टाउन ऐसा नहीं है कि जहां पर कृषि भूमि पर, जिसको मकानों की तामीरात में काम में नहीं लाया जा सकता है, उस भूमि पर नाजायज तौर से कब्जे नहीं किये गये हों और बहुत से लोगों ने तो तामीरात कर ली हैं। नाजायज मोहल्ले बन गये हैं और नाजायज तरीके से मार्केट बन गये हैं। हमारी सरकार इस सार्वजनिक भूमि की कतई रक्षा नहीं कर सकी। वह सोती रही और लोग नाजायज तरीके से कब्जे करते रहे। बड़ी तादाद में कब्जे हो रहे हैं। उन कब्जों को कानूनी कार्यवाही करके हटाया जाय और सार्वजनिक भूमि को बाकायदा आवंटन करके प्राप्त की जाय, लेकिन वह नहीं किया जा रहा है। हमारे अधिकारी देखते रहते हैं और सोते रहते हैं और हम भी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं कुछ कर नहीं पाते। कुछ स्थलों के बारे जब ये तामीरात नोटिस में आते हैं तो उसके लिये नोटिस दिये जाते हैं और पांच दस साल के बाद यह सोच लेते हैं कि तामीरात हो गये हैं, मकानात बना लिये गये हैं, उनको गिराना और नाजायज कब्जे को समाप्त करना बेकार है आवश्यक इसलिये इनको रेगुलराइज कर दिया जाय इस प्रकार से इन नाजायज कब्जों को रेगुलराइज किया जाता है एक बार कोई सख्त एक्शन ले लिया जाय तो यह सोच लेते हैं कि लोगों ने काफी इन्वेस्टमेन्ट कर दिया है उन्हें इस प्रकार की सख्ती से टैरोराइज करना उचित नहीं है। बदकिस्मती राजस्थान की यह है कि यहां पर एक माहौल हो गया है। हर दूसरे तीसरे साल निर्णय ले लेते हैं कि गवर्नमेंट जमीन पर ट्रैसपासिंग होते हैं उनको रेगुलराइज करते हैं। इस प्रकार खुली अराजकता को निमन्त्रण देते हैं और कानून को तोड़ने वालों को मौका देते हैं या फिर दुबारा या तो उन्हीं शहरों या छोटे छोटे नगरों में बीस एकड़ जमीन पर बोगस कोआपरेटिव सोसाइटीज बना कर कब्जा कर लेते हैं। उन कोआपरेटिव सोसाइटीज में वे लोग शामिल होते हैं जो नाजायज कब्जा करके अपनी ऊपर पहुंच भिड़ा कर सिफारिशें करवा लेते हैं और इस प्रकार से करोड़ों रुपयों का नुकसान जो कि आवंटन के द्वारा सरकार को प्राप्त हो सकता था वह नहीं हो रहा है। सरकार योजनाओं के लिये साधन नहीं जुटा पाती है और स्थान को रकम भी देना मुश्किल हो जाता है। The logic of rewarding law breakers is beyond my understanding.

कानून तोड़ दिया और जमीन का मालिक बना कर बैठा दिया। खिलाफत होगी इसलिये उसको मालिक बना देते हैं। यह तो खुली अराजकता को निमन्त्रण देना है। इस तरह से आप जो संरक्षण इन लोगों को प्रदान करते हैं इसका नतीजा यह होगा कि कड़ाई से आगे के लिये प्रशासन चलाना

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)

नामुमकिन कर देना चाहते हैं, ला एन्ड आर्डर की स्थिति को बिगाड़ देना चाहते हैं और लोगों की आदतों को बिगाड़ देना चाहते हैं।

हाउसिंग बोर्ड ने कुछ मकान बनाये। माननीय सदस्यों ने इस ओर तवज्जह दिलायी। हाउसिंग बोर्ड का काम अच्छा चलता है। काफी काम किया है काफी मकान बना कर दिये हैं। उसके चेयरमैन और मेम्बर्स बधाई के पात्र हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब हम समाजवादी युग में पब्लिक सैक्टर की बात करते हैं, हाउसिंग बोर्ड राजस्थान का एक पब्लिक अन्डरटेकिंग है और भूमि के बिना कई स्कीम्स उसकी ठप्प पड़ी हुई हैं। हाउसिंग बोर्ड ने उन जमीनों की मांग की। सरकार से मांग की। नोटिसेज भी जारी हो गये। सम्बन्धित लोग और वेस्टेड के लोगों ने उस सारी जमीनों पर नाजायज तौर से कब्जा कर लिया और मिलकियत बना ली और कहा कि यह हमारी जमीनें हैं, ऊपर पहुंच हुई और नतीजा यह हुआ कि पब्लिक अन्डरटेकिंग अच्छा काम कर रहा था, मकानों की जनता की पूर्ति कर रहा था, उसकी मांग को रिजेक्ट कर दिया गया और एक्वीजिशन के नोटिसेज को विथड्रा कर लिया और प्रोसिडिंग्स को विथड्रा कर लिया। उन जमीनों को जिन लोगों के बोगस को-ओपरेटिव्ज बना लीं, जो रेकेटीयर्स हैं, जो रेकेट चला रहे हैं, उनको वह जमीनें मामूली दरों पर रेगुलेर इज करके दे दिया गया। ब्लाक आमेर। उसके सामने और बगल में कई को-आपरेटिव सोसाइटीज हैं, उनकी जमीनें हैं, उन जमीनों पर नाजायज कब्जे किये गये हैं जिनकी अनुमति नहीं ली गयी थी, खुले आम कानून तोड़ा गया था, हाउसिंग कार्पोरेशन ने मांगा उनको न देकर, उन लोगों के एक्वीजिशन के नोटिस को विथ ड्रा किया गया, और प्रभावशील लोगों की सिफारिश पर रेकेटियर्स को बोगस को-ओपरेटिव्ज को दे दिया। बड़ी चर्चा है और हर प्रकार की इस बारे में अफवाहें हैं। सरकार की प्रतिष्ठा पर आंच आने वाली बातें हैं। मुख्य मंत्री और सारा मंत्रिमण्डल इन्क्वायरी इन्स्टीवूट करे। इस प्रकार सार्वजनिक पैसे का, करोड़ों रुपयों का सरकार को नुकसान हुआ है यदि इस जमीन को आक्शन करके बेचा होता तो 50,60 करोड़, 70 करोड़ रुपये की इनकम सरकार को होती। लेकिन उन लोगों को नोमिनल रेट्स पर दे दिया गया। रेकेटियर्स को दे दिया जो मकान नहीं बना रहे हैं। आम जनता का कल्याण नहीं हुआ। बदनामी हुई। इसकी सी.बी.आई. से जांच कराई जाये या और किसी भी एजेन्सी से जांच कराई जाये और जो भी उस जांच के नतीजे निकलें उन नतीजों को यहां सदन के सामने रखा जाये।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि एक तरफ हम कोशिश करते हैं कि मकान बनाकर लोगों को दें। दुख के साथ कहना पड़ता है कि दूसरी तरफ हम यह भी कार्यवाही करते हैं कि जिन बने बनाये मकानों में गरीब लोग शताब्दियों से रह रहे थे उनको उनके मकानों से हटा दिया गया और यह बात जयपुर शहर में राजधानी में हुई। अजमेरी गेट के पास नाला है और उसके दोनों तरफ तीन सौ,

(श्री बिश्वम्भरनाथ जोशी)

चार सौ मकाने थे और वहां पर 97 प्रतिशत मकान थे वह या तो अनुसूचित जाति के लोगों के थे या फिर माइनारिटी लोगों के गरीब मुसलमान लोगों के थे। उनको वहां से हटाया गया। हटाया ही नहीं गया बल्कि वहां पर बुलडोजर वगैरह चलाकर उन मकानों को बिसमार करके तोड़ा गया और कहा गया कि यहां पर हम दुकानें बनायेंगे। और यह दुकानें बनाकर दूसरे लोगों को देंगे। अब मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कई आल्टरनेटिव सरकार के पास दिये गये और कहा गया कि आप यदि यहां पर दुकान ही बनाना चाहते हैं तो हम कर्जा लेकर दुकानें बना लेंगे और हम ऊपर की मन्जिल पर रह लेंगे तो हमें रहने के लिए जगह भी मिल जायेगी और हम बरबाद भी नहीं होंगे यह आफर भी उन लोगों ने सरकार को दी थी। इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को यह भी कहा गया था कि आप दूसरे लोगों को दुकानें अलाट करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं आप अपनी दुकानों की योजना को पूरी करलें लेकिन उसके ऊपर के हिस्से में हमारा रिहाइश का कब्जा हो और जहां दुकानें बनती हैं उनके ऊपर का हिस्सा हमको दे दो और उनके ऊपर हम अपने रिहाइश के मकान बना लेंगे। इस तरह से कुछ प्रपोजल्स सरकार को दिए गए और उनके ऊपर बड़ी सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए था। आज हम, उपाध्यक्ष महोदय, बात करते हैं गरीबों की, उनको दूसरे वर्गों के बराबर लाने की लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं देखता हूं कि एक तरफ हमारी योजना चल रही है हाउसिंग बोर्ड के मार्फत लोगों को मकान देने की और दूसरी तरफ एक शताब्दी से ऊपर कब्जा उनका था और शताब्दी से ज्यादा का कब्जा कानून में मान्य हो जाता है। इसके अलावा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको ज्ञात होगा कि जुरिस्प्रुडेन्स कहता है : Possession is nine tenths of the ownership कब्जा 9/10 मिल्कियत है। 100 वर्ष से ज्यादा का कब्जा उनका था और उन गरीबों के मकानों पर बुलडोजर से बिसमार किया गया और उसी शाम को मैंने नजारा देखा था कि औरतें और बच्चे उन बिसमार किये गये मकानों के ढेर पर बैठे हुए थे और वह बड़े परेशान थे। किसी महिला को एक रोज पहले डिलीवरी हुई थी और किसी महिला को डिलीवरी होने वाली थी। एक तरह से कहर उन लोगों के ऊपर गिर गया। पता नहीं किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारी सरकार ने यह किया। उसके बाद में उन लोगों को दूसरी साइड भी नहीं दी जा सकी। उनको बहुत दूर शायद बिड़ला फैक्ट्री से आगे जो गन्दा नाला है और बहता है और बड़े-बड़े मच्छर और डांस वहीं रहते हैं और जो बहुत ही बदबू वाला इलाका है और वहां के लिए कहा गया कि यहां रहें लेकिन कोई उनको कम्पन्सेशन नहीं दिया गया, कोई ड्यूज नहीं दिये गये, कोई मेटेरियल नहीं दिया गया और कड़ाके की सर्दी में बहुत से लोगों को निमोनिया हो गया और मैंने तो यहां तक सुना है कि बहुत से लोग सर्दी के मारे मर गए। इस प्रकार की हालत हुई है राजस्थान में और जयपुर जैसी राजधानी में। मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह चाहूंगा कि जो इसके लिए जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : उस जमीन को किस भाव में बेचा ? उस जमीन को 900 रुपये फीट में मालदार और पूंजीपति लोगों को बेचा।

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी : कुछ मजलूम लोगों की मजबूरी से पैसा कमाना किसी भी डेमोक्रेटिक सरकार का उद्देश्य नहीं हो सकता। अगर ऐसा किया गया तो बहुत गलत किया गया और वह दुर्भाग्यपूर्ण कार्यवाही हुई।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज देश में प्रधान मंत्री की बीस सूत्री योजना चल रही है और उसके बारे में बजट में कहा है कि हम उस योजना के अन्तर्गत अपने टारगेट्स पूरे कर रहे हैं। उस योजना में अच्छा काम हो रहा है उसके लिए जरूर मैं सरकार को बधाई देना चाहूंगा और वित्त मंत्री जी को भी बधाई देना चाहूंगा मगर मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय, कि असलियत में उस कार्य के क्रियान्वयन में जिस गम्भीरता से चलना चाहिये उस गम्भीरता से नहीं चल पाये। उपाध्यक्ष महोदय, इस बीस सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए सबसे पहले राज्य स्तर पर इम्पलीमेन्टेशन कमेटी बनाई गई और फिर उसके बाद जिला स्तर पर भी यह इम्पलीमेन्टेशन कमेटी बनाई गई। परन्तु इन इम्पलीमेन्टेशन कमेटीज के निर्माण में भयंकर भूल हुई है और उन कमेटीज में ऐसे व्यक्तियों को ले लिया गया है कि जो नियम है उनके अनुसार उनको इनमें नहीं लिया जाना चाहिये था। अवांछनीय तत्व जिनका कि इस कार्यक्रम में कोई विश्वास ही नहीं है और जिनका पालिटिकल कैरियर बहुत शंकी रहा है वह लोग इन कमेटियों में हैं। इसी प्रकार के लोग सीकर की कमेटी में हैं इसी प्रकार के लोग पाली की कमेटी में हैं और इसके बारे में विभिन्न लोगों ने अपनी राय का इजहार किया है लेकिन फिर भी इन कमेटियों के निर्माण को दुरुस्त नहीं किया गया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के सेक्रेटरी गये थे और उन्होंने अजमेर की इम्पलीमेन्टेशन कमेटी की बैठक अटेण्ड की थी। श्री अन्तुले, जनरल सैक्रेटरी, आल इन्डिया कांग्रेस कमेटी ने उसमें भाग लिया था तो यह पाया जिलाधीश और कमेटी के दूसरे मेम्बर्स से भेंट भी उन्होंने की तो उन्होंने यही कहा कि रूरल एरिया के कितने प्रतिनिधि हैं जो गांव से ही आते हैं। अजमेर के सिटिंग एम.पी. जो कि मीटिंग में मौजूद थे उन्होंने खड़े होकर मन्जूर किया कि जो गांवों में रहते हैं और जिनका कार्यक्षेत्र ग्रामीण के उत्थान का है ऐसे सदस्य कमेटीज में नहीं हैं और जो 22–23 मेम्बर्स थे उनमें से किसी ने भी उनके कथन का खण्डन नहीं किया। इसका मतलब यह है कि यह कमेटीज प्योरली लाप–साइडेड हैं। अब देखना यह है कि कोई भूमि आवंटित होगी तो गांव में होगी, कृषि की प्रगति के या सिंचाई वगैरह की प्रगति के कार्यक्रम हैं वह सब गांवों में चलते हैं और ऐसी पृष्ठभूमि में जबकि इन कमेटीज में गांव के मेम्बर्स नहीं हैं और अरबन डोमीनेटेड कमेटीज बना दी तो उसका कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। इन

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)

कमेटीज में क्षेत्रीय असन्तुलन है और बनाने का हमारा मकसद पूरा नहीं होता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसी प्रकार का असन्तुलन गांव और शहरों का राजस्थान में सभी जगह पर है। सबसे बड़ा जिला हमारे राजस्थान का जयपुर जिला है और वहां भी इन इम्पलीमेन्टेशन कमेटी में ऐसे ही मेम्बर हैं। इस जिले से 17 विधान सभाई सीटें है और जयपुर शहर में साढ़े तीन सीटें हैं क्योंकि चौथी सीट आधी ग्रामीण क्षेत्र से बनती है। तो साढ़े तेरह सीटें हमारे देहाती इलाके की हैं लेकिन देहाती क्षेत्र के लोग इस जयपुर जिले की क्रियान्वयन समिति में कम हैं और जयपुर शहर के लोग उसके अन्दर ज्यादा हैं तो यह भी एक ऐसी स्थिति है जिसको गम्भीरता से देखा जाना चाहिए और उस पर कार्यवाही की जानी चाहिए।

इसके अलावा अब मैं भूमि आवंटन के बारे में निवेदन करूंगा कि हम बड़े लम्बे चौड़े आंकड़े देकर, बड़े प्रभावशाली ढंग से यह बात सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि हमने इतने लोगों को भूमि दी, इतने लाख एकड़ भूमि का वितरण कर दिया लेकिन मैं आपको अपने तजुर्बे की बात निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ समय पहले 17, 18, 19, 20 को लैंड असाटमेंट हुआ था और मैं भी चारों दिन उस मीटिंग में गया था, वहां पर उपस्थित हुआ था। मैंने इस बारे में स्वयं ने जानकारी की तो मैं अपने ही क्षेत्र के एक गांव की बात आपको बताता हूं एक खालावास ग्राम के नाम से एक गांव है जिसमें 35 मकानों के लिए पट्टे मेरे हाथ से वितरित कराए गए थे एस.डी.ओ. और स्थानीय अधिकारियों ने। मैंने उनसे मालूम किया तो मुझे पता चला है कि दस ग्यारह महीने के बाद भी उन 35 मकानों के लिए दिए गए प्लाटों में से एक भी व्यक्ति को वाकई फिजीकली पजेशन नहीं मिल पाया है। जब कि वे बराबर दरख्वास्तें देते रहे हैं, तहसीलदार से मिले हैं, बराबर कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनको अभी तक वाकई कब्जा नहीं दिलाया जा सका है। इसी प्रकार जो भूमि आवंटित की गई गांवों में, उनमें मैं आपको एक गांव अलीपुरा जो हमारे बस्सी तहसील में है जयपुर जिले की, उसमें आज से करीब दस ग्यारह साल पहले कुछ जमीन शिड्यूल्ड कास्ट के भाइयों को अलाट की गई थी। करीब 13 परिवारों को यह जमीन आवंटित की थी लेकिन आज तक कब्जा नहीं दिला सके हैं। उल्टे जिम्मेदारी आ गई लगान की। लगान वे देते हैं उस जमीन का लेकिन कब्जा वाकई में उनको नहीं दिया जा सका है और वे हरिजन धक्के खाते फिर रहे हैं और आज तक कब्जा नहीं ले पाये हैं। ऐसे, इस प्रकार के कितने ही मामले हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि कागजों में एलाटमेंट के लम्बे चौड़े आंकड़े दिखा कर हम किसको धोखे में डाल रहे हैं। हम अपने आपको धोखे में डाल रहे क्या किसको धोखे में डाल रहे हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस सारे कार्यक्रम को जो हमारे अलाटमेंट हुए हैं, भूमि के, हाउस साइट के इसका इवल्यूएशन किया जाना चाहिए। हम को इस सारे कार्यक्रम को बहुत गम्भीरता से लेना चाहिए। भारत का भविष्य प्रजातन्त्र का भविष्य इस कार्यक्रम की सफ-

(श्री विश्वम्भर नाथ जोशी)

लता पर निर्भर करता है इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। इसलिए हमको देखना चाहिए कि कहां गल्तियां हो रही हैं और क्यों गल्तियां हो रही हैं, कौन इस कार्यक्रम में हमें सेबोटेज कर रहा है, कहां सेबोटेज हो रहा है इसको अच्छी तरह से देखने के लिए एवेल्यूएशन कमेटी बनाना चाहिए इस सदन के माननीय सदस्यों की जिसमें सभी फोरम्स के लोग हों। सारे कार्यक्रम का एवेल्यूएशन करें, मौके पर जाकर देखें कि उनका प्रोपर इम्प्लीमेंटेशन हुआ है या नहीं। जिसको अलाटमेंट हुआ है मौके पर उसको कब्जा मिला है या नहीं, जिसको पट्टा दिया है उस जमीन को वह रख पाया है या नहीं, उसकी फसल तैयार हुई है कि नहीं या हमला करके फसल काट ली है, जबरदस्ती फसल काट ली है। इन सारी बातों को देखना पड़ेगा। यदि वह नहीं देखेंगे तो यह सारा कार्यक्रम आधे से अधिक कागजों में ही रह जायेगा और इसका कोई नतीजा नहीं निकल पायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : इसके अलावा उपाध्यक्ष जी, अब मैं यह निवेदन करूंगा कि कम्पलसरी रिटायरमेंट करने की हमारी पालिसी बहुत अच्छी है अपने आप में और यह निश्चित बात है कि हमें जो भ्रष्ट तत्व हैं, एक-एक को चुन-चुन करके प्रशासन से निकाल देना चाहिए ताकि भ्रष्टाचार का जो कलंक हमारे पर लगा हुआ है और जिससे राजस्थान कराह रहा है और जिससे सारी जनता परेशान है, प्रशासन पर लगे हुए इस कलंक को हम धो सके और हमारा सारा प्रशासन स्वच्छ और निर्मल बन सके और हमारे सारे कार्यक्रम को हम सुगमतापूर्वक और सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर सकें। इसमें मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हम यह कैसे दावा कर सकते हैं कि हमारे जो अधिकारी हैं उनमें कितने ऐसे हैं, कितनी ही समझदारी से काम करें, कितनी ही सतर्कता से काम करें, मैं समझता हूं कि कोई यह दावा नहीं कर सकता है कि हमसे या हमारे किसी अधिकारी से, अधिकारी वर्ग में से किसी की कोई गलती हो ही नहीं सकती, कभी गल्ती हुई ही नहीं और भविष्य में कभी होगी ही नहीं, अगर कोई यह इनफेलेबिलिटी क्लेम करता है कि मैं भूल कर ही नहीं सकता, हमसे या हमारे अधिकारी से कोई गलती होगी ही नहीं तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ी भ्रष्टता हो ही नहीं सकती। तब आखिर हम कैसे कह सकते हैं कि जिनको हमने रिटायर किया है उनमें कोई गल्ती हुई ही नहीं। ये कर्मचारी होते हैं जिनके पास बेचारों के कोई दूसरा चारा नहीं होता है जिनके पास दूसरा कोई साधन नहीं है, सारे परिवार की आजीविका इनके रोजगार के पीछे चलती है तब आकर के उन पर सारी समस्या पड़ती है, उनके पास और कोई जरिया नहीं है अपनी आजीविका का। इसलिए हमको देखना पड़ेगा कि किसी के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा है। सर्विसेज में जो भी हैं उनके अन्दर हमें यह देखना पड़ेगा कि जो भ्रष्ट हैं अवांछनीय तत्व हैं उनको हम निकाल बाहर करें लेकिन उनके साथ जो ईमानदार लोग हैं वे तो कहीं पेनलाईज नहीं हो रहे हैं। हम यह देखते हैं कि ईमानदार लोग, जो अफसर हों या कर्मचारी हों, आम तौर पर जरा खरे आदमी

(श्री बिश्वम्भर नाथ जोशी)

होते हैं, जरा कटु वृत्ति के होते हैं, हमेशा खुशामद पसन्द नहीं होते इसलिए बड़े अफसर इनको पसन्द नहीं करते। ऐसे जो कर्मचारी और अफसर ईमानदार होते हैं, निर्भीक और निडर प्रकृति के होते हैं जो अपनी ईमानदारी से काम करना पसन्द करते हैं लेकिन अफसरों की खुशामद नहीं करते तो उनके खिलाफ वे अपनी नाराजगी का इजहार उसकी सी.आर. में करते हैं और उनके सी.आर में उल्टे सीधे रिमार्क दे देते हैं। हमारे मापदण्ड का क्राइटेरिया सी. आर. ही रह गया है और किसी भी एक ईमानदार अफसर के सी. आर. को उसके हैड आफ दी डिपार्टमेंट ने किसी नाराजी के कारणदो साल खराब कर दिया तो वही बड़ा हथियारन जाता है उसको हटाने के लिए। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि यह गानेरिटायरमेंट की प्रक्रिया होने के बाद भी हम देखते हैं कि राजस्थान में आज भी वे लोग खुले घूम रहे हैं, उसी प्रकार प्रशासन में बैठे हुए हैं जिनकी डाकुओं की सी हालत मशहूर है। वे अभी तक बादुरुस्त आराम से काम कर रहे हैं, स्वच्छन्द रूप से निर्भय होकर काम कर रहे हैं। मगर इसके अलावा हम यह भी देख रहे हैं कि ऐसे लोग जो ईमानदार हैं, जिनका भ्रष्टता से किसी प्रकार का वास्ता नहीं है, इस बारे में मैंने पहले भी एक मिसाल दी थी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलते हुए और आज भी उसको दोहराना चाहता हूं, एक उदयपुर कालेज के एक प्रोफेसर हैं, शायद उनका नाम वासुदेव शास्त्री है, डायरेक्टर आफ संस्कृत एजूकेशन के लिए पोस्ट एडवरटाईज हुई और वह अपने आपको बहुत ही काबिल मानते हैं और सारे विभाग में जितनी क्वालीफिकेशन चाहिए उसको पूरा करने वाले मानते हैं, वे मानते हैं कि एक मैं ही हूं जो इस पोस्ट के लिए वांछित क्वालिफिकेशन को पूरा करता हूं दूसरा कोई है नहीं और इसलिए बराबर दरख्वास्त दे दी। दूसरे लोग जो सीनियर हैं लेकिन क्वालिफिकेशन पूरी नहीं करते, फुलफिल नहीं करते, उनको और हमारे शिक्षा मंत्रालय को जो किसी और को बनाना चाहते होंगे उस जगह पर उनको अटपटा लगता होगा। तीन तीन बार उन्होंने दरख्वास्त दी लेकिन उसको नहीं माना गया। दूसरे लोग जो अपूर्ण क्वालिफिकेशन के पूरी योग्यता नहीं रखते थे, उल्टे सीधे रास्ते से आना चाहते थे, उनको कर दिया। वह हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट से रिट में उसको स्टे आर्डर मिल गया और हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के शिक्षा मंत्री और शिक्षा मंत्रालय के एक्शन को वॉईड कर दिया। स्टे आर्डर जारी कर दिया। उसके उपरान्त भी जब नहीं हुआ तो दुबारा कोर्ट गया, तिबारा कोर्ट गया और तीन बार रिट में कामयाब हुआ। उसका नतीजा क्या हुआ? उसके प्रति शिक्षा मन्त्रालय के लोगों की नाराजगी हो गई, दूसरे लोगों की नाराजगी हो गई और अब यह इमरजेंसी के अन्दर इस कम्पलसरी रिटायरमेंट का हथियार मिल गया और उस वासुदेव शास्त्री को घर बिठा दिया गया। उसका कसूर यही रहा कि उसने अपने अधिकार को मांगा, मजबूती से अपने अधिकार की मांग की और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा कर, जो हमारा उच्च न्यायालय है उसका दरवाजा खटखटा कर न्याय की मांग की और सही ढंग से मांग कर स्टे आर्डर हांसिल कर लिया, अपने न्याय को प्राप्त कर लिया तो इसमें तो कोई नाराजगी नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार

(श्री बिश्वम्भर नाथ जोशी)

न्याय प्राप्त करने से इस तरह का व्यू लेना, उस पर नाराज होना, उसको रोजगार से महरूम कर देना, आजीविका से वंचित कर देना, मैं समझता हूं कि, यह उचित नहीं है। इस प्रकार के जितने भी मामले हैं, मैं समझता हूं कि भारत सरकार ने भी राज्य सरकार को इस प्रकार के आदेश दिए हैं, होम मिनिस्टर आफ इंडिया मिस्टर रेड्डी ने पब्लिक स्टेटमेंट दिया है जो हमने अखबारों में पढ़ा है कि उनके पास इस प्रकार की शिकायतें आई हैं हमारे राजस्थान की शिकायतें हैं और कई राज्यों की भी शिकायतें आती रही हैं जिसके लिए उन्होंने परिपत्र जारी किया है कि उनके लिए रिव्यू बोर्ड कायम करें। मैंने पहले भी राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलते हुए उस वक्त भी निवेदन किया था और आज भी विनम्र सुझाव दूंगा कि एक रिव्यू बोर्ड बनाना बहुत जरूरी है ताकि एक तरफ हमारी सर्विसेज के लोग आश्वस्त हो सकें कि हमारे साथ गैर इंसाफी नहीं होगी। उनको सुनने के लिए दूसरी मशीनरी है, दूसरा फोरम है जहाँ हम न्याय प्राप्त कर सकते हैं,। फोरम होना बहुत जरूरी है। और हमारी सर्विसेज डीमोरेलाईज नहीं हों और उनकी एक प्रकार की सिक्योरिटि आफ टेन्योर होना बहुत जरूरी है वह कायम रहे इसलिए यह जरूरी है कि इस तरह का रिव्यू बोर्ड कायम किया जाना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि भले ही देरी कर दी लेकिन देरी करने के बाद भी कम से कम इस गलती को अब भी दुरुस्त कर लें तो इसमें अधिक देरी नहीं रहेगी।

अब अन्त में मैं एक बहुत छोटी सी बात और निवेदन कर देना चाहता हूं। वित्त मंत्री महोदय ने कई चीजों पर टैक्स लगाये हैं लेकिन आपने देखा होगा एक जगह शायद उनकी निगाह से ओझल रह गयी होगी जो कपड़े होते हैं, रेडीमेड कपड़े रग्स, जो कोर्स और मीडियम या छोटे-छोटे चिंदियों से. रग्स से चिंदियों को जोड जोड़ कर बनाए जाते हैं जिसको गरीब लोग, गरीब स्कूल के बच्चे रिडिकुलसली लो प्राइस पर खरीदते हैं, दो रुपये में एक छोटा जांघिया खाकी और एक रुपये में छोटा सा बच्चे का निक्कर जिसमें कपड़े की कीमत और सिलाई वगैरा सभी आ गई उसको लेकर अपना काम चला लेते हैं, वित्त मंत्री ने उस पर टैक्स लगा दिया है। पहले 15) रुपये से ज्यादा पर टैक्स था लेकिन उस पर भी अब टैक्स लगाया है।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : पन्द्रह रुपये तक की छूट थी उसको वापिस ले लिया है।

श्री बिश्वम्भर नाथ जोशी : हां, वह टैक्स लगा दिया है। इधर कपड़े पर टैक्स अलग लगता है और इस चिंदियों से और रग्स से बने कपड़े पर भी टैक्स देना पड़ेगा जिससे जो कपड़े बच्चों को गरीब बच्चों को मिल, जाते थे उनसे भी वह महरूम रह जायेंगे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कि इस समाजवाद के टाइम में मैं, समाजवाद के माहोल में हमें सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए और वित्त मंत्री इसका उत्तर देंगे ऐसी मैं आशा करता हूं।

अंतिम जो कुछ भी बिन्दू है उसको मैं छूना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, अब

Page No 52

(52)

(श्री विश्वम्भर नाथ जोशी)

मैं जिस बिन्दु को प्रस्तुत करना चाहता हूं वह राजस्थान राज्य के लिए, भारत के लिए समस्त राज्यों के लिए, इस देश की साठ करोड़ जनता के भविष्य के लिए हमारे प्रजातंत्र के भविष्य के लिए बहुत ही अहम मुद्दा और मसला है और उसकी तरफ इस सदन का भी, हमारी सरकार और हमारे वित्त मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और वह यह है कि मैंने बजट को आद्योपान्त पढ़ा है। मुझे सब से ज्यादा निराशा हुई। हमारे वित्त मंत्रीजी के बजट से और वह एक दिशा में हुई है। वह इस दिशा में हुई...

एक माननीय सदस्य : वित्त मंत्रीजी ध्यान से नहीं सुन रहे हैं आपकी बात को ?

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी : ध्यान से सुन रहे हैं। बैठे हुए हैं। मुझे यह निराशा जबरदस्त यह देख कर हुई कि इस राजस्थान राज्य पर भार के समान कर्ज का वजन बढ़ता चला जा रहा है आप के सान्निध्य में वित्त मन्त्रीजी यह काफी बढ़ा है और यह कर्जा एक हजार करोड़ रुपये को छू रहा है। एक हजार करोड़ रुपये से ज्यादा धनराशि कर्ज की हमारे ऊपर है। हमारा यह राजस्थान राज्य, जिसके अन्दर हम रहते हैं, यह कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, सुरसा के मुंह की तरह यह बढ़ता चला जा रहा है। इसको कम करने का, इसको खत्म करने का, कोई प्रयास, कोई योजना, किसी प्रकार के इफर्ट करने का कोई इशारा इस बजट में देखने को मुझे नहीं मिला है। आखिरकार, हमारी सरकार और हमारे वित्त मंत्री जी इसके लिये सोच क्या रहे हैं ? इस बारे में किस प्रकार से इस स्थिति का सामना करने की सोच रहे हैं। और आज ऐसी स्थिति में 60162 करोड़ रुपये की धनराशि इस गरीब राजस्थान के नागरिकों को ब्याज के रूप में देनी पड़ रही हैं। यह यहां के खजाने से देनी पड़ रही है, टैक्स लगाकर देनी पड़ती है जिससे हमारे सब जरूरी कार्यक्रम, स्कीम्स अधूरी रह जाती हैं और इस कर्जे के ब्याज को हमें चुकाना पड़ता है। हमारी इन योजनाओं के लिए पैसे की कमी रह जाने की वजह से हमारे राज्य के वित्त मंत्रीजी को दिल्ली के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं और छोटे बड़े कामों के लिए हमें दिल्ली का मोहताज रहना पड़ता है, दिल्ली की मन्जूरी के बिना हम कोई काम प्रारंभ नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति हमारे राज्य की बन गयी है। इस स्थिति से राजस्थान राज्य की जनता कब राहत पा सकेगी, यह एक अहम सवाल है, इस सम्बन्ध में राजस्थान राज्य के इस सत्ता सम्पन्न सार्वभौम सदन को सोचना चाहिये, अगर यह सार्वभौम सदन नहीं सोचेगा तो कौन सोचेगा ? यह सदन इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं करेगा तो मैं नहीं समझता कि वह कौनसी ऐजेन्सी है जो इस कर्जे के चुकारे के लिए कार्यवाही करेगी। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष जी, कि इस सम्बन्ध मे, इस दिशा मे कोई प्रयत्न नहीं किया गया है। सबसे बड़ा खतरा यह है कि चाहे रुपया हमें कम मिले, चाहे कोई काम अधूरा रह जाये, इसकी कोई कीमत नहीं है। कीमत की बात तो यह है कि एक कहावत है....

he who pays the piper, has the right to call the tune

(श्री विश्वम्भर नाथ जोशी)

सवाल यह है कि हमारे प्रजातन्त्र में, हमारे राज्य को कुछ अधिकार दिये गये हैं। भारत के प्रजातन्त्रीय संविधान में केन्द्र के और राज्यों के फंक्शन का स्ट्रिक्टली डिविजन किया गया है। हालांकि राज्य अपने क्षेत्र में, अपने विषयों में स्वाधीन है, और भारत सरकार भी अपने विषयों के क्षेत्र में स्वाधीन है। मैं भारत देश की अखंडता का जबर्दस्त हिमायती हूं। देश की यूनिटी का हामी हूं। स्ट्रांग सेन्टर का हामी हूं। इसके लिए जो कुर्बानी राज्य को करनी पड़े, करने के लिए हमेशा तैयार रहने का हामी हूं मगर इसके साथ ही, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह हमारे राज्य जो 22/23 हैं वे आखिर कब तक स्वायतता की, आटानोमी की कल्पना ही करते रहेंगे। यह राज्य एक छाया मात्र रह जायेंगे और इनका सारा सब्सटेन्स है वह चला जायेगा। हम इस देश की कायापलट करने की बात करते हैं। आखिर भारत क्या है? What is India? It is only a conglomeration of 23 States. भारत 23 राज्यों का एक समूह मात्र है। हरएक राज्य स्वायत्तहीन रहे, साधनहीन रहे, गरीब बना रहे, लुंजपुंज बना रहे, तो यह भारत कैसे मजबूत होगा, और भारत कैसे समर्थ होगा? यह मुझे कोई अर्थशास्त्री समझा दे। मुझे बड़ा दुःख, अफसोस होता है, जब हमारी योजनाओं की, पंचवर्षीय योजनाओं की चर्चाएं होती हैं और इस सदन में हम यह सुनते हैं। हमारे वित्त मंत्रीजी से हमारे योजना मंत्रीजी, बल्कि हमारे सदन के जो नेता हैं, एक तरह से इस राज्य के, प्रजातन्त्र के इस युग में, स्टेट आफ राजस्थान के जो रूलर हैं, हमारे मुख्य मंत्री यह कहते हुए सुने जाते हैं कि क्या करें, ये योजनाएं तो ली गई थीं किन्तु इनको प्लानिंग कमीशन ने मन्जूर नहीं किया। योजनाएं तो रखीं किन्तु उसके लिए प्लानिंग कमीशन ने धनराशि देना उचित नहीं समझा। हम तो बहुत लड़े, उसके बाद भी हमारी बात नहीं चल सकी और हमारा प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया गया। हमारे प्रस्ताव को हाई प्रायोरिटी नहीं दी गयी, लोएस्ट प्रायोरिटी दी गयी। मैं, उपाध्यक्ष जी, यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक तरफ हम बात करते हैं पीपुल प्लानिंग की, जनता की योजना की बात करते हैं, यह कहते हैं नीचे से योजना आनी चाहिये, जनता की आकांक्षाएं, आवश्यकताएं योजनाओं में होनी चाहिये, हम डिस्ट्रिक्ट लेवल से, पंचायत समिति से प्रस्ताव लेते हैं, इस तरह से योजनाएं बननी चाहिये। प्रजातन्त्र के युग में वास्तव में सही मायने में, हमारी जो इच्छाएं हैं, जो जन आकांक्षाएं हैं, उनका समावेश हमारी योजनाओं में होना चाहिये और सही मायने में जब इन पंचवर्षीय योजनाओं को देखते हैं, उनके बारे में हमारे वित्त मन्त्रीजी, मुख्य मन्त्रीजी को सुनते हैं तो यह लगता है कि जब उनकी बात ही नहीं मानी जा रही है तो जनता की योजना की जो बात हम करते हैं और ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद की राय को कौन पूछेगा। यह जो स्टेट आफ राजस्थान है, उसकी सरकार और इस सरकार के नेता वे ही अपनी मजबूरी दर्शाते है, परिस्थितियों की वजह से हताश हो जाते हैं और बार बार इस सदन को यह विश्वास दिलाते हैं और यह कहते रहते

(श्री विश्वम्भर नाथ जोशी)

हैं और यह कहते हुए सुने जाते हैं, प्लानिंग कमीशन की वजह से यह योजना मन्जूर नहीं हो पायी। प्लानिंग कमीशन ने इस योजना के लिए सहमति नहीं दी, मन्जूरी नहीं दी प्लानिंग कमीशन ने उनको डांट दिया है। तो फिर हम जिनके कल्याण के लिए, जिनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जिनके सन्तोष के लिए ये योजनाएं बनाना चाहते हैं, उनकी कोई राय ली जाये, यह प्रश्न नहीं आता है। उनकी बात की कोई कीमत नहीं है। आखिर दिल्ली में जो 5 ब्यूरोक्रेट्स प्लानिंग कमीशन में हैं, वे ही हमारे सारे राज्य के भविष्य को तय करते हैं। 5,7,9,11 जितने भी हों, ब्यूरोक्रेट्स जो प्लानिंग कमीशन के एक्सपर्ट्स कहे जाते हैं, वे कोई एक्सपर्ट्स भी नहीं हैं यदि योजनाओं का विश्लेषण किया जाए और उनकी खामियों को गिना जाये तो वे कोई एक्सपर्ट्स मालूम नहीं होते हैं...

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी : वाइन्ड अप कर रहा हूं। मैं यह निवेदन कर रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, आप ये देखिए, आज हालत यह है कि हमारे सारे काम के लिये स्टेट की आटोनामी एक प्रकार से प्लानिंग कमीशन में वेस्ट हो गयी है। भारत के संविधान में इसका कोई स्थान नहीं है। एक से लेकर आखिर तक के आइटम को आप देख लीजिये, प्लानिंग कमीशन का कोई ज़िक्र उसमें नहीं है स्टेट्यूटरी नहीं है। प्लानिंग कमीशन को कोई अधिकार नहीं दिया गया है। प्लान का एक जगह मेन्शन आता है, शिड्यूल में जरूर आता है, बीसवें आइटम में यह है कि यह कान्करेंट सब्जेक्ट होगा। इसके अलावा किसी प्रकार का कोई प्राविजन हमारे संविधान में नहीं है। फिर किस प्रकार हम इसको स्वीकार करते हैं? यह हमारी बात को उड़ा दें, यह कैसे प्लानिंग कमीशन कह सकता है और यह एक तरह से इन्टरनल सुपर गवर्नमेंट बन गया है। आज प्लानिंग कमीशन हमारे प्लान को डिटरमिन करता है और आज यह इतना मगरूर बन गया है कि उससे आज हमारे राज्य की स्वायत्तता एक प्रकार से खतरे में हो गयी है। मैं इस बारे में कहूंगा असलियत में जब हमारे देश का यह फेडरल फाइनेन्शियल इन्टीग्रेशन हुआ, उसके पहले हमारे यहां पर कई रजवाड़े, राज्य थे। राजस्थान राज्य का जब निर्माण हुआ उस वक्त जयपुर स्टेट की रेलवे थी, जोधपुर की रेलवे थी, उदयपुर स्टेट की रेलवे थी, बीकानेर स्टेट की अलग से रेलवे थी यह सारी रेलवे इण्डियन रेलवेज में चली गयीं, जो करोड़ों की स्टेट की असेटस् थीं। इसी प्रकार हरएक स्टेट के पास स्टेट हैड क्वार्टर्स पर उनकी फौजें थी, बन्दूकें थीं हथियार थे, ये सारी चीजें बिना एक पैसा दिये, किसी प्रकार का मुआवजा दिये, एक पैसा कीमत का दिया नहीं और भारत सरकार ने अपने अधीन ले लीं। फौजें डिफेन्स डिपार्टमेंट के अन्तर्गत चली गयीं। इसके अलावा जो रेलवेज थीं स्टेट की उनको इण्डियन रेलवेज ने टेक ओवर कर लिया इसकी बुक वेल्यू को लिया जाये, गिना जाये। हमारे जमाने में एक मजदूर चार पैसा लेकर दिन भर काम करता था। उस जमाने की यह बात है जो आज से पच्चीस साल पहले था। तो हमारे इन असेटस् की

(श्री बिश्वम्भर नाथ जोशी)

वेल्यू करोड़ों रुपयों की होती है, और उस जमाने से आज की कीमतों को 16 गुना मानें तो यह हमारी जो असेट्स थीं उनकी वेल्यू करीब 320 करोड़ के आस पास आती है। तो क्या हमारे ऊपर जो एक हजार करोड़ का कर्जा हो गया है, उसके अन्दर हमारी असेट्स की जो कीमत 320 करो है, उसमें एडजस्ट नहीं कर सकते? हमें इसको कर्ज में एडजस्ट कराने की मांग करनी चाहिये तो काफी हद तक हमारी देनदारी कम होगी। इस प्रकार से हमें हमारी देनदारियों में एक तिहाई राहत मिल सकेगी। इसके अलावा पिछली बार भी बजट पर वाद विवाद के समय मैंने एक सुझाव रखा था। आज से तीन चार साल पहले की बात है। और वह सुझाव एक तो यह हो सकता है कि असलियत क्या है कि वह फेडरल फाइनेन्शियल सेट अप हो हिन्दुस्तान का। भारतीय संविधान के निर्माता बहुत दूरन्देश थे। वे केन्द्र को मजबूत बनाना चाहते थे, तो जितने भी फ्लेक्सिबल सोर्सेज आफ रेवेन्यू हैं वह सेन्टर को जायं और हैवी एक्सपेन्डीचर के मद, जैसे पी. डब्लू. डी. इरिगेशन, एग्रीकल्चर वह सारे के सारे स्टेट्स के पास हों। खर्चा तो सारा स्टेट करे और आमदनी के सारे साधन रखे भारत सरकार के पास। भारत सरकार के पास रेल्वे है जिस पर खर्चा भी काफी होता है पर वे कमा कर देती हैं, मुनाफा कर सकती हैं। शिपिंग को देख लें। शिपिंग में अरबों रुपयों का खर्चा होता है लेकिन फारेन ट्रेड शिपिंग की आमदनी का जरिया है, सिविल एवियेशन आमदनी का जरिया है, इन्कम टैक्स डाइरेक्ट सोर्स आफ रेवेन्यू है। उसके पश्चात् बड़े-बड़े इकोनामिस्ट्स, अर्थशास्त्रियों ने यह कहा है कि हिन्दुस्तान में फैडरेशन बड़ा जबरदस्त है इसलिए यह प्रावधान रखा था कि हर पांचवें वर्ष में वित्तीय आयोग बैठाना पड़ेगा। वह पोजीशन को रिव्यू करेगा और उसके बाद में रियासतों को कितना मिलना चाहिए उसके बारे में अपना निर्णय देगा। मैं कहना चाहता हूं कि इस घोषणा के बाद में कुछ विधान सभाओं से इस प्रकार के सुझाव आये। इस तरह की बात मैंने तीन साल पहले कही थी, और तामिलनाड असेम्बली ने, महाराष्ट्र असेम्बली ने इस प्रकार की मांग की थी और कई सरकारों ने इस प्रकार की मांग की थी। उसके बाद में हिन्दुस्तान में पहली मर्तबा सिक्स्थ फाइनेन्स कमीशन आया। उसके टर्म्स आफ रेफरेन्स में यह था कि रियासतों की इन्डेटेडनेस है उसको कैसे लिक्वीडेट किया जाय, इसके बारे में कुछ चर्चा होनी चाहिए, इसके बारे में कुछ निर्णय होना चाहिए। यह टर्म्स आफ रेफरेन्स में था...

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त कीजिये।

श्री बिश्वम्भर नाथ जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि असलियत में बजट के बारे में जो भाषण होना चाहिए वह मैंने दिया है...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यही कहूंगा कि मौका आ गया है, और राजस्थान को हमने आज तक मजबूत किया है। राजस्थान पर कर्ज का भार छोड़कर जाने वाले हों यह बहुत समझदारी की नीति नहीं है। यह

(श्री विश्वम्भर नाथ जोशी)

नीति राजस्थान के भविष्य को अन्धकारमय बनाने वाली है, राजस्थान की राज्य सरकार की स्वायत्तता को नष्ट करने वाली है। सारे देश का समग्र विकास हो यह हमारा अभिप्राय हो। गरीब राजस्थान की इकोनामिस्ट्स ने लोएस्ट स्ट्रेटा पर गणना की है

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

राजस्थान जैसे गरीब राज्य के बारे में यह ग्रान्ट ज्यादा मिलनी चाहिए और लोन कम मिलना चाहिए, 70 पर्सेन्ट ग्रान्ट मिलनी चाहिए और 30 पर्सेन्ट लोन मिलना चाहिए। अभी तक यह हुआ है कि 70 पर्सेन्ट लोन मिलना चाहिए और 30 पर्सेन्ट ग्रान्ट। यह बहुत बड़ा इन्जस्टिस है। इसलिए वित्त मंत्रीजी को इस बारे में मुंह खोलना चाहिए, सरकार को इस बारे में मुंह खोलना चाहिए और अपने प्रान्त के बारे में सही निर्णय होना चाहिए। यही बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाना लाल।

श्री नाना लाल (राजसमन्द) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्रीजी ने 76–77 का बजट पेश किया है, उस पर बराबर चर्चा चल रही है। मैं भी उसके समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं। आगे वित्त मंत्री महोदय ने 76–77 में योजना आकार में 138.19 करोड़ का प्रावधान रखा है। उसका प्रमुख लक्ष्य प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को, पूरा करना बताया है। माननीय वित्त मंत्रीजी यह योजना लाने के बाद मेरे ख्याल से किसी शादी में चले गये और शादी के माहौल में यह बजट पेश कर दिया...

श्री उपाध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के आपस में बातचीत करने पर) आर्डर प्लीज।

श्री नाना लाल : उस आर्थिक कार्यक्रम के आधार पर बनाया हो, लेकिन उसका कहीं कोई सूत्र नहीं दिया है कि योजनाबद्ध रूप में इसमें बजट में रखा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अपने 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम में पिछड़े हुए लोगों के उत्थान के लिए आवासीय भू-खण्ड उपलब्ध कराने का सर्वप्रथम उल्लेख किया है। इस पर सरकार ने बहुत ही अच्छे ढंग से और अच्छे रूप से काम किया है, और करीब 8 लाख लोगों को भू-खण्डों का आवंटन कर दिया। इसमें राज्य सरकार की मशीनरी को काम करना पड़ा, किन्तु इस पर एक नया पैसा भी आज तक उन 8 लाख भू-खण्डों पर खर्च नहीं हुआ। जब खर्च का समय आया तो उन्होंने एक नये पैसे का भी भू-खण्ड बनाने के लिए कहीं प्रावधान नहीं रखा...

श्री उपाध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के आपस में जोर से बात करने पर) आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य बोल रहे हैं।

श्री नाना लाल : मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि आपने 20-सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए इस बजट में क्या आधार रखा है? मैं जानना चाहता था किन्तु वह मुझे नहीं

(श्री नानालाल)

मिला । आप जो आवासीय भूखण्ड उनको दे दिये वह इस प्रकार के दिये हैं जो कि गांव से बहुत दूर हैं और कोई उन्हें लेना नहीं चाहता हूं क्योंकि उनकी ऐसी स्थिति नहीं है कि वह उन पर पैसा खर्च कर सकें। आपने कोई योजना नहीं बनाई है । इसमें आपने कोई आधार नहीं रखा है तो किस प्रकार से वे मकान बनायेंगे । आप कह सकते हैं कि भूखण्ड दे दिये हैं, मगर यह तो नहीं कह सकते हैं कि इनको रहने के लिए मकान दे दिये । आज एक भी मकान बनाने के काबिल नहीं है कि वह मकान बना सके । माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस बात को पहले सोचना चाहिए था। जो लक्ष्य आपने रखा है उसमें कैसे इसको छोड़ दिया है ?

उसके बाद में ग्रामीण कर्जे को माफ करने का प्रश्न है । सरकार ने एक कानून बना दिया कानून बनाने के बाद लोगों में एक प्रकार की धारणा हो गई और गरीब लोगों को कर्जा मिलना मुश्किल हो गया । उधर उन्हें कोई कर्जा नहीं देता है और इधर वित्त मंत्री महोदय ने उनके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा है कि इस माध्यम से उनको कर्जा मिलेगा । आपने सहकारी संस्थाओं के मार्फत कर्जा देने का प्रावधान रखा है उसके लिए सभी माननीय सदस्य जानते होंगे कि सहकारी समितियों की किस प्रकार की हालत है, और किस प्रकार के मठाधीश उन पर बैठे हुए हैं जो कि उनको कर्जा दे पायेंगे या नहीं यह मुझे विश्वास नहीं होता है । इसलिए माननीय उपाध्यक्ष, मैं वित्त मंत्री महोदय का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि इसके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा है ।

राजस्थान की योजनाओं में आपने कुछ योजनाओं के बारे में कुछ प्रावधान रखा है उसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं । आपने प्राथमिक शालाओं में कुछ अध्यापकों की वृद्धि के लिए इस मद में रुपया रखा है, किन्तु मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा वित मंत्री महोदय का ध्यान उन पंचायत समितियों के स्कूलों की तरफ दिलाना चाहता हूं जिनकी हालत यह है कि लड़के और टीचर्स एक पेड़ की छाया में बैठे रहते हैं, कोई पंचायती चबूतरा है तो उस पर बैठे रहते हैं ..

एक माननीय सदस्य : कहीं तो चबूतरा भी नहीं है ।

श्री नाना लाल : कहीं चबूतरा भी नहीं मिल सकता है । जहां पर तीन-तीन सौ लड़के हैं और 10–10, 12–12 टीचर्स हैं वहां पर एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी नहीं है । उसका आपने कोई प्रावधान नहीं रखा है । उन पंचायत समितियों को आप पैसा नहीं देते हैं उसके लिए और न बजट में प्रावधान रखते हैं चाहे एकाध टीचर कम दे दें लेकिन कम से कम हर स्कूल में एक चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी हो ताकि कम से कम उनके बैठने की जो जगह है उसको ठीक कर सकें । चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी होगा तो वहां पर कुछ व्यवस्था भी होगी । इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं सुझाव देता हूं कि इस मद में सुधार करना चाहिए, संशोधन करना चाहिए । चिकित्सा के मामले में भी आपने कुछ कदम

(श्री नानालाल)

उठाये हैं। यह बात जरूर है कि आपने 200 चिकित्सालयों को खोलने का रखा है। इसके आप धन्यवाद के पात्र हैं। रेलमगरा तहसील के बारे में मैं निवेदन करूंगा। यह एक प्राचीन तहसील है। वहां पर चिकित्सा सुविधा के लिए एक प्रसूति गृह अवश्य होना चाहिए। मैंने बार बार माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय से निवेदन किया है। चिकित्सा की जरूरी सुविधायें गांव वालों को दी जायें। वहां पर गाव वाले अपने श्रमदान से व्यवस्था करने के लिए तैयार है। इसके लिए लिखित में भेज दिया है। लेकिन आपकी तरफ से कहा गया है कि अभी तैयार नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, पशु चिकित्सालय की भी बहुत बड़ी कमी है। आपको चाहिए था कि वहां पर खोलते। आपने तहसील हैड-क्वार्टर पर खोल दिया है। वहा पर कोई दो चार पांच आये वह नहीं हैं। आपको हर गांव में पंचायत समिति में पशु चिकित्सालय खोलना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय वित्त मंत्रीजी ने अपने वर्ग को राहत कैसे मिले इसी पर ध्यान दिया गया है। गरीब लोगों से कर लिया जाये, इसी पर ध्यान रखा गया है। जो विलासिता कि चीजें हैं, उन पर कुछ पैसा वसूल कर सकते हैं। क्योंकि सभी आपके रिश्तेदार बैठे थे इसलिए उनका ध्यान रखते हुए आपने बजट पेश कर दिया। मालूम पड़ता है आपने बजट में गरीब और पिछड़े वर्ग को देने के लिए जो नल बिजली का है, वह भी कुछ नहीं दिया। हरिजन लोगों के लिए भी कोई अधिक प्रावधान नहीं रखा गया है। तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा, भारत की प्रधान मंत्री चिन्तित हैं, जो गरीब तबका है पिछड़ा हुआ तबका है, उसका जीवन किस प्रकार से ऊपर उठे। गरीबी को मिट ने के लिए कोई योजना आपकी नहीं है। आपने स्कूलों को खोलने का प्रावधान रखा है। ऐसे स्कूल जहां छात्र आकाश के तले बैठे हैं, छत के नीचे बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। आप बगलों में बैठे रहते हैं आपको कुछ पता नहीं है। आप ग्रामीण स्कूलों की व्यवस्था का भी प्रावधान रखते तो हमें तसल्ली होती। तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री नानालाल : इस राजस्थान के अन्दर, उपाध्यक्ष महोदय, ऊन एक इस प्रकार की वस्तु है, जो बहुत मात्रा में होती है। 5% ऊन ऐसी होती है जो कम्बल वगैरह बनाने के लिए होती है। बाकी सारी की सारी उत्तर प्रदेश के लिए भदोही, मिर्जापुर वगैरह में बीकानेर से जाती है। वहां बनाने की कोई चीज नहीं है। वहां पर उसके गलीचे बनाते हैं। मन्त्री महोदय ने कहा है कि यहां पर उनके चकमा और नगमे बनाते हैं। अब चकमे नहीं बनाते हैं। अब तो मन्त्री चकमे बनाते होंगे।

एक माननीय सदस्य : आपको चकमा दिया ?

श्री नानालाल : ऊन हर जिले में पैदा होती है। सरकार इसके लिए यहां पर व्यवस्था कर सकती है। सरकार यहां पर कोई योजना बना ले। गलीचे यहां पर बनाये जाने चाहिए। हर जिले में गलीचे

(श्री नानालाल)

के कारखाने खोल सकते हैं गांव गांव और हर जिले में कारखाना खोल सकते हैं। मन्त्रियों ने ऊन देखी नहीं होगी। यह ऊन ऐसी चीज है कि हर गांव में मिलेगी। आप लाखों बेकार लोगों को इसमें खपा सकते हैं। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा वित्त मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस पर ध्यान दें। यही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भगराज चौधरी।

श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत लम्बी प्रतीक्षा के बाद मुझे बोलने का मौका मिला है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। वैसे जो अभी तक भाषण हुए हैं, उससे वित मन्त्री जी इस बात से तो अवगत हो गये होंगे कि सदन का रुख बजट के बारे में कैसा रहा है। मुझे भी, जो वित मन्त्री जी ने बजट भाषण पेश किया है, उससे निराशा हुई है। पिछले भाषण भी हुए हैं। जितनी निराशा इस भाषण को पढ़ कर हुई है, उतनी पहले कभी नहीं हुई है। यह निराशा इसलिए हुई है कि आज सारा आर्थिक ढांचा, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र को हम उठाने की बात कर रहे हैं, जो कुछ कमियां पिछले सालों में रही हैं, विशेष कर ग्रामीण जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए, उसको उठाने के लिए हमारी प्रधान मन्त्री ने 20 सूत्री कार्यक्रम दिया है, हमारे वित्त मन्त्री और मुख्य मन्त्री महोदय ने भी वही किया है -वैसे यह कोई नया कार्यक्रम नहीं है, जो कुछ योजनाओं में गलती रही है, वह 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत हो जानी चाहिए लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमारी राज्य सरकार ने और हमारे वित्त मन्त्री जी ने उसके बारे में इतनी बेपरवाही की है जिसका किन्हीं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता हूं। कुछ और विशेष चीजें हैं, जिनका सम्बन्ध कानून से हैं। कानून का किस प्रकार से इम्प्लीमेण्टेशन होता है, क्रियान्वयन होता है, जो कि लाभदायक होता है, उस ओर सरकार ने कतई ध्यान नहीं दिया है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, जो बजट वित्त मंत्री जी ने पेश किया है, वह आशावादी, सुधारवादी या कल्याणकारी बजट नहीं है। इस बजट के अन्दर वित मन्त्री महोदय ने जो खर्चा एस्टेब्लिशमेण्ट, और डिपार्टमेण्टल कार्य करने के लिए, जो रुटीन टाइप के काम हैं उनको करने के लिए व्यवस्था की है। उन्होंने कोई ऐसा नया खर्च डवलपमेन्ट के लिए, कोई नये काम के लिये या विकासशील कार्यों के लिये, जिससे कि जनता में कोई इम्पेक्ट पड़ता हो, अथवा जिससे ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था को, विलेज की इकानोमी को स्टेबिलाइज करने में सहायक सिद्ध होता हो, ऐसा कोई खर्चा किया हो, ऐसा मैं नहीं मानता। जहां तक उन्होंने यह बात कही है कि पिछले वर्षों में हमारी आर्थिक स्थिति बहुत गम्भीर थी, लड़खड़ा रही थी वहां हमने इस पर काबू पा लिया है और काफी हद तक ठीक किया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी हमारी आमदनी के सोर्स हैं उनको हम तत्परता से टेप करते हैं तो हमको काफी सफलता मिल सकती है। हमारी आमदनी का मुख्य स्रोत करों से आमदनी है और इनकी वसूली ठीक ढंग से की जाय तो हमारी आमदनी में बढ़ोतरी हो

(श्री नानालाल)

सकती है । इस प्रकार से हम केन्द्रीय करों से और स्टेट के जो दूसरे टैक्सेज हैं उनसे हम अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं । इस सारे बजट भाषण में टैक्सेज की वसूली को ईमानदारी से करने और लीकेज जो होता है, जो टैक्सेज की चोरियां होती हैं, उस लीकेज को रोकने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है । यह बात तो जरूर कही गई है कि करों से जो आमदनी होती है उसमें इजाफा हुआ है । लेकिन जो कुछ भी इजाफा हुआ है मैं इसको बिल्कुल नाकाफी मानता हूं । सेन्टर में हमको 90 पर्सेन्ट के आस पास रेवेन्यू मिलता है । मेरा यह अनुमान है कि आपने बहुत से आइटम्स पर सेल्स टैक्स नहीं लगा रखे हैं और जो भी टैक्स लगा रखे हैं अगर उसी अनुपात में उनकी वसूली भी जाय तो मैं समझता हूं कि इसमें भी काफी गुंजाइश हो सकती है । अब रहा सवाल केन्द्रीय सरकार से कर्ज लेने वाली बात अथवा दूसरे जरिये से जो हमको धन प्राप्त होता है, उसमें हमको कोई बचत नहीं होती है, इस बात का क्या इलाज हो सकता है । हमारे देश का इकोनॉमिक आधार कुछ सिद्धान्तों पर आधारित होना चाहिए । राजस्थान जैसा प्रदेश जो कि सदियों से जागीरदारों की वजह से, राजा-महाराजाओं के कारण और भौगोलिक परिस्थितियों के कारण हमेशा गरीब रहा है और पिछड़ा हुआ प्रदेश रहा है और आजादी के इतने वर्षों के बाद भी केन्द्रीय सरकार का वही माप-दण्ड है जो कि पहले था तो मैं समझता हूं कि कि यह उचित बात नहीं है और यह पालिसी अर्थशास्त्र के सिद्धान्त से भी ठीक नहीं है । होना तो यह चाहिए कि किन्हीं कारणों से चाहे वे भौगोलिक हों, आर्थिक हों अथवा सामाजिक कारण रहे हों, जो प्रान्त पीछे रह गये हैं उनको अपलिफ्ट करने के लिये उनके साथ फेयर ट्रीटमेन्ट किया जाय और वह फेयर ट्रीटमेन्ट उनको ग्रान्ट-इन-एड देकर या और किसी अन्य तरीके से किया जा सकता है । मैं यह नहीं कहता हूं कि वित्त मन्त्री महोदय ने या हमारे मुख्य मन्त्री महोदय ने हमारी स्थिति को केन्द्रीय सरकार के सामने नहीं रखा लेकिन मैं सोचता हूं कि उन्होंने इसको शायद मजबूती के साथ नहीं रखा । यह दिखाया गया है कि कुल मिलाकर केन्द्रीय सरकार का राजस्थान सरकार पर हजार करोड़ रुपये का कर्जा है । इसके अलावा यह भी कहा गया है कि आने वाले समय में अगर केन्द्रीय सरकार और रकम नहीं देगी तो हमारे यहां बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो सकती है । इस बारे में मेरा निवेदन यह है कि हमारे प्रदेश में अकाल पड़ता है, या अतिवृष्टि होती है या और कोई प्राकृतिक प्रकोप आ जाता है तो सारा खर्चा केवल हमारी प्रान्तीय सरकार पर ही डाला जाय, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। सभी स्टेट्स के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए । जो भी विपदा प्राकृतिक विपत्ति हमारे पर आवे उसका कुछ भार केन्द्रीय सरकार को भी वहन करना चाहिए । हजार करोड़ का जो कर्जा है जिसको केन्द्रीय सरकार बार बार कहती है उसको राइट ऑफ करके चलना चाहिए । और जो हमको विकास के लिए कर्जा दिया गया है उसको ध्यान में रखना चाहिए ।

माननीय वित्त मंत्री महोदय ने यह जो बजट सदन में पेश किया है, इसको देखने से

(श्री नानालाल)

मालूम होता है कि सामाजिक सेवाओं और आर्थिक कार्यक्रमों के लिए कोई अच्छा प्रावधान नहीं रखा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो गरीब तबका है, पिछड़ा हुआ वर्ग है, जो समाज में वीकर सेक्शन है, जिस समाज के कल्याणकारी होने की हम बात करते हैं उसमें हम विकास की तेज गति नहीं ला सकते हैं।

हमारी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए और उसको अधिक सुदृढ़ और मजबूत करने के लिये जो सबसे मोटा कदम हमको उठाना चाहिए वह यह है कि हमको प्रशासनिक खर्चे में कटौती करनी चाहिए। लेकिन प्रशासनिक खर्चे में केवल तीन करोड़ रुपये की कटौती की गई है, वह काफी नहीं है। जिस प्रदेश के अन्दर कुल खर्चे का करीब पचास प्रतिशत तक एस्टेब्लिशमेंन्ट पर खर्चा होता है और जहां की जनसंख्या ढाई करोड़ है, ऐसे प्रदेश के लिये नॉन-प्रोडक्टिव पर्चेजेज के लिए कुल खर्चे का पचास प्रतिशत भाग खर्च कर दिया जाता है तो यह कोई समझदारी की बात नहीं है। इसलिए इसमें कमी की जानी चाहिए। जो हमारे यहां सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की एक बहुत बड़ी फौज बना रखी है, उसमें अब मौका आया है कि इनएफिशिएन्ट और जो करप्ट आफिसर्स हैं उनको कम किया जाय। हमने जो आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा की, मुख्य मन्त्री महोदय ने भी कह दिया, रेडियो पर प्रसारण कर दिया कि जो भी इनएफिशियेन्ट और करप्ट एलीमेन्टस हैं उनको वीड-आउट किया जायगा, मुझे भी यह सुनकर प्रसन्नता हुई। मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूं कि ऐसे अधिकारी हैं जो कि समाज का शोषण करते हैं उनको बढ़ाया नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर भी जो हमारे यहां पर सर्विसेज का हाल है वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। मुख्य मंत्री महोदय ने इस बात को लागू करने के लिये बढ़ा चढ़ा कर फिगर्स दे दिये और हम जानते हैं कि हमारा प्रान्त कृषि में और कई बातों में दूसरे प्रान्तों से काफी पिछड़ा हुआ है, फिर ढाई-तीन लाख जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनमें से केवल 1900 कर्मचारियों को, जिनका सेवाकाल बीस वर्ष या पच्चीस वर्ष का हो गया या जो पचास साल के हो गये उनको कम्पलसरी रिटायर कर दिया। मैं समझता हूं कि यह कोई बहुत बड़ी नफरी नहीं है। कुछ माननीय सदस्य यह भी मानते हैं कि जो कर्मचारी कम्पलसरी रिटायर किये गये हैं उनमें भी कई निर्दोष व्यक्ति हैं। मेरी मान्यता है कि 99 पर्सेन्ट कर्मचारी इनएफिशियेन्ट हैं, करप्ट हैं और इस ट्रीटमेन्ट को डिजर्व करते हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार इस बात को लेकर नहीं चलती कि जो आफिसर्स करप्ट हैं और जिनका कार्य सस्पीशियस नेचर का है ऐसे जो एलीमेन्ट हैं उनको आप कब तक जनता की छाती पर शोषण करने के लिये बनाये रखेंगे? एक बार जब वे सर्विसेज में आ गये तो बीस साल तक बैठे रहेंगे चाहे वे कितने ही करप्ट और इनएफिशियेन्ट क्यों न हों और अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करते हों। इसलिए मैं समझता हूं कि इसमें फरदर अमेन्डमेन्ट होना चाहिए। और उनको जो करप्ट और इनएफिशियेन्ट हैं बीस साल से पहले भी रिटायर करने के लिये तैयार रहना चाहिए। एक तरफ तो हमारे लाखों नौजवान नौकरी के लिए भटक रहे हैं, उनके लिए

(श्री नानालाल)

एम्प्लायमेन्ट नहीं मिल रहा है, बड़ी समस्या हो रही है हमारे सामने और दूसरी तरफ आपने करप्ट लोगों को सर्विसेज में बैठा रखा है। क्या जरूरत है इनएफिशियेन्ट पसन्स की ? उनको आप किसी न किसी बहाने से चलाते रहें, मैं समझता हूँ यह उचित बात नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय और वित्त मंत्री महोदय प्रशासन को शुद्ध करने के लिए जनता के दिमाग में सही बात रखनी है और प्रशासन को कार्य कुशल बनाना है और डिसिप्लीन पैदा करना है तो जो कुल सर्विसेज है उनमें से 25 प्रतिशत आदमियों को घर भेजना चाहिए। उनका काम ठीक नहीं है। घर भेजने के बाद हमारा काम ठप्प नहीं होगा। हमारा काम यथावत् चलता रहेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान उस तरफ दिलाना चाहता हूं, दो साल पहले हमारे कर्मचारियों ने हड़ताल की थी, जब स्वर्गीय बरकतुल्ला खां मुख्य मंत्री थे। तब चालीस दिन काम काज बन्द रहा, दफ्तरों में कुछ अधिकारी रहते थे, और कुछ ने छुटटी ले ली थी। इतने टाइम हड़ताल चली लेकिन किसी भी काश्तकार, किसी भी व्यापारी, किसी भी नागरिक ने मंत्री महोदय, मुख्य मंत्री को ऐसा नहीं कहा, मेहरबानी करके, दया करके कर्मचारियों की हड़ताल को खत्म करवाइये, इन्हें तनख्वाह में वृद्धि दे दीजिये, डी.ए. टी.ए. में वृद्धि कर दीजिये। उल्टे मैंने मीटिंग करके जनता की राय जाननी चाही तो जनता ने कहा कि मौका अच्छा आया है, सरकार को झुकने की जरूरत नहीं है। इनमें जो जो इनएफीसियेन्ट आदमी हैं वह अपने आप निकलते हैं तो निकलने दीजिये। मगर अपने आप नहीं निकलते हैं तो इनकी तनख्वाह मत बढ़ाइये, इनका डी.ए. मत बढ़ाइये। वह मौका था जब मुख्य मंत्री, वित्त मंत्री कुछ कर सकते थे। लेकिन इतने बड़े अमले को लेकर चल रहे हैं, हमारी छाती पर प्रशासन का इतना बोझ रख कर चल रहे हैं और इसका पैसा गरीब मजदूर, किसान, छोटे छोटे लोग और जो परेशान जनता है उनसे नाना प्रकार का टैक्स लेकर ले रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का खर्च जो है वह कम करना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि दूसरे प्रान्तों के अन्दर आर्थिक सेवाओं के लिए अच्छी व्यवस्था की गई है, मगर हमारे प्रान्त में इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। इस तरफ ध्यान देना चाहिए, विशेष रूप से इस संदर्भ में कि बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम में आर्थिक सेवाओं को, सामाजिक सेवाओं को उस क्षेत्र और उन लोगों तक पहुंचाने का इरादा है, जो अब तक इनसे वंचित रहे हैं और जिनकी उपेक्षा की गई है ·· (विराम)

श्री उपाध्यक्ष : I hope you have finished.

श्री भगराज चौधरी : मुझे तो बहुत प्रतीक्षा के बाद में समय मिला है। वैसे भी मैं काफी जल्दी जल्दी कह रहा हूं। मैं आपको कहने का मौका नहीं दूंगा, ज्यों ही मौका आया मैं समाप्त कर दूंगा। I am very much alert t the observations of tl e chair.

श्री उपाध्यक्ष : Str ss t the point.

श्री भगराज चौधरी : खैर छोड़िये। दूसरी बात मैं कहूंगा कि वित्त मंत्री ने यह

(श्री भगराज चौधरी)

बात कही है, हमारे राज्य के अन्दर आर्थिक स्थिति बड़ी भारी कमजोर थी, अब संतुलित हो गई है। साथ ही बाजार में सारी वस्तुएं, जो मानव समाज के काम आती हैं, उसकी कीमत में गिरावट आयी है। मैं मानता हूं, कुछ कीमतों में गिरावट आयी है। वह जो गिरावट आयी है वह खाद्यान्नों में आयी है, अथवा कृषि की जो उत्पादित वस्तुएं हैं, उनमें गिरावट आयी है। वरना कृषि उत्पादन को छोड़ कर जो बाकी के कन्जम्प्शन गुड्स हैं, कारखाने, फैक्ट्री के उत्पादन में आते हैं, अर्बन सेक्टर के उत्पादन में आते हैं, अथवा ऐसे लोग उत्पादित करते हैं जो कि···

श्री उपाध्यक्ष : इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस।

श्री भगराज चौधरी : इंडस्ट्रियल प्राडक्शन है, उनमें किसी प्रकार की प्राइस में कमी नहीं आयी। उदाहरण के तौर पर ले लीजिये, आम तौर पर मीडियम कपड़ा है, फाइन कपड़ा है, दूसरे कपड़े हैं, कन्ज्यूमर आइटम्स हैं, साबुन है, पत्ती है, चमड़े की चीजों को ले लीजिये, कागज ले लीजिये, किताब ले लीजिये, दूसरी पचासों तरह की वस्तुएं हैं उन सब में वही प्राइस बनी हुई है, जो आज से पहले थे। वित्त मंत्रीजी, मुझे पता नहीं है, को एल.एम.बी. में जाने का, नटराज में जाने का काम पड़ा हो या नहीं, जब कि प्राइस कम हुई है, इन दो होटलों ने, जितने मेन आइटम हैं उनकी प्राइस बढ़ा दी है। क्या मंत्री महोदय ने कभी चैक किया है? आज जो नटराज में जाते हैं, एल. एम. बी. में जाते हैं, शाकाहारी भोजन के एक टाइम के भोजन के दस रुपये उन्हें खर्च करने पड़ते हैं, जब कि वही चार चपाती खाते हैं, सब्जी खाते हैं, और कुछ नहीं खाते। यह हमारा ढांचा है इसमें इस प्रकार से समाज का जीवन दुखी होता जा रहा है। इसके विपरीत किसान की समस्या है, जो भाव गिरने के कारण पैदा हुई है, उसकी कोई कहानी कहने वाला नहीं है। जो किसान लाखों टन अनाज पैदा करता है, वह किसान भूखा रहता है। जो किसान लाखों टन कपास पैदा करता है, उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। और जो बेसिक नीड हैं उनको पूरा करने के लिए, दवा दारू के साधन नहीं हैं, न उनके पास बच्चों को पढ़ाने का साधन हैं। ऐसे किसानों की संख्या देश में अस्सी पर्सेन्ट है। मैं नहीं कहता कि किसान की दुर्दशा क्यों है, इसका क्या कारण हो सकता है। हमारी जो पालिसी हैं, जो प्रोग्राम है उसके ओरिटेंशन के अन्दर कमी है, हमारा सोचना प्रजातंत्र के तरीके से ठीक नहीं है, अथवा प्रोग्रेसिव पालिसी के विरोध में है। हमारी सारी पालिसीज को समझने अथवा हमारा सारा समझने का तरीका पूंजीवादी वृद्धि का होता है और वेस्टटेड क्लास की सविसेज हिमायती हैं, ऐसे लोगों की हिमायती है जिनकी संख्या बहुत कम है। उनके हकूक को बनाये रखने के लिए, उनकी सुख-सुविधा बनाये रखने के लिए, हर तौर पर सरकार को प्रभावित करते रहते हैं। मैं समझता हूं कि समय रहते कदम उठा कर जो खाद्यान्नों की प्राइस गिरी हैं उनको ऊंचा उठाना चाहिए। एक उसका तरीका यह होना चाहिए कि मार्केट में सरकार आये और सपोर्ट प्राइस तय करके उस कीमत पर अनाज खरीदना शुरू कर दे। दूसरा तरीका है,

(श्री भगराम चौधरी)

केन्द्रीय सरकार ने रबी फसल के व्हीट की 105 रुपये की दर मुकर्रर कर दी है, उस पर जो अनाज बेचना चाहे, उनसे अनाज खरीदने के लिए सरकार को तैयार रहना चाहिए। और इसके लिए सरकार को पहले से तैयार होना चाहिए। यह नहीं कि मई, जून में सरकार 105 रुपये की दर से खरीदना शुरू कर दे। तब तक तो किसान बरबाद हो जायगा, क्योंकि उसकी फाइनेंसियल पोजीशन टाइट है, उस पर पहले साल कर्ज है, पहले साल फेमिन था, हो सकता है वह अनाज अपने पास रखने लायक स्थिति में नहीं हो और सस्ती दर पर वह बेच दे। इससे खाद्यान्न गलत आदमियों के हाथ में चला जायगा। दूसरा तरीका है, आज देश के अन्दर अनाज की कमी महसूस नहीं हो रही है, तब भी सरकार ने जो भी हमारे अनाज के व्यापारी हैं उन पर छोटे बड़े रेस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं। उनको रिलेक्स करना चाहिए। बड़े व्यापारी को पांच सौ बोरी से ज्यादा रखने की छूट नहीं है, छोटा व्यापारी सौ बोरी से ज्यादा रखना चाहे तो उसकी छूट नहीं है। इसमें रिलेक्सेशन देना चाहिए। साथ-साथ ऐसे काश्तकार हैं जिनकी क्षमता होती है अनाज रखने की, उनको छूट मिलनी चाहिए। तीसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं, आखिर प्रान्त में, अगर मान लें किसी न किसी तरह से भगवान की दया रहे, प्रकृति की मेहरबानी रहे और रबी की फसल अच्छी हो जाय तो सरप्लस अनाज हो, सरप्लस व्हीट हो। तो जो सरप्लस व्हीट हो, सरप्लस ग्रेन हो, वह दूसरे प्रान्तों में जाये, जो डेफिसिट में हैं किसी न किसी कारण से। वहां जाने से उनका फायदा हो जायेगा और काश्तकार को भी फायदा होगा। इसलिए जो जोनल रेस्ट्रिक्शन हैं उनको रिलेक्स करें तो व्हीट मध्यप्रदेश जा सकता है, गुजरात में जा सकता है, महाराष्ट्र में जा सकता है, दक्षिणी स्टेट में जा सकता है। मैं समझता हूं, इसमें रिलेक्सेशन देना चाहिए। पुराना जो तरीका है वह नहीं रखना चाहिए। जनता के लिए किस वक्त क्या कदम उठाना है, उसमें समय को देखते हुए रिलेक्सेशन और फ्लेक्सिबिलिटी लानी चाहिए जिससे देश की इकानामी, विलेज की इकानामी, किसान की इकानामी मजबूत हो, पेरिश नहीं हो। वरना आज नेशनल इकानामी पेरिश हो रही है और मुर्दनी छायी हुई है। मैं नहीं कह सकता हूं कि वित्त मंत्री जी इसको किस प्रकार एप्रीसियेट करेंगे, मुख्य मंत्री जी किस प्रकार से एप्रीसियेट करेंगे। मैं मानता हूं कि आज देश के अस्सी पर्सेन्ट किसान हैं वह यह सोचते हैं कि यह सरकार किसान विरोधी सरकार है। किसान यह सोचते हैं कि सरकार वास्तव में उनको अनदेखा करती है, उनकी उपेक्षा करती है। किसान यह सोचता है कि जनतंत्र का ढांचा अच्छा है उसको बनाये रखने वाले किसान है, जो गांवों में बसते हैं। लेकिन सरकार मदद किन की करती है? शहरों की, जो पन्द्रह पर्सेन्ट जनता है, सरकार उनके उत्थान की कोशिश करती है, जिन्होंने गुजरात में, बिहार में आन्दोलन चलाये और वहां ला एण्ड आर्डर की पोजीशन क्रियेट कर दी। सरकार उनसे डरती है और किसान से नहीं डरती है। किसान आज मूक है, अनपढ़ है, और डिसीप्लीन्ड सोल्जर के रूप में

[redacted]

65

(श्री भगराज चौधरी)

शांत है। वह अनाज पैदा करता है। लेकिन किसान की भी सीमा है। उसका जो अनाज का प्रोडक्शन है, वह उसको ठीक भाव पर नहीं बेचेगा, उसकी प्राइस रेम्युनरेटिव नहीं होगी, उसके लिए खेती मंहगी पड़ेगी तो किसान कब तक सेक्रिफाइस करता चला जायेगा। उसकी भी एक सीमा है। नये आर्थिक कार्यक्रम में, यह ठीक है, एक कानून बना दिया कि देश में मजदूरी की दर में सुधार आना चाहिए। प्रत्येक नागरिक, जो मजदूरी करता है, को मिनिमम सर्टेन वेज मिलनी चाहिए, साढ़े चार रुपये हर काम के लिए, पांच रुपये मीडियम साइज के प्रोजेक्ट के लिए और छः रुपये प्रोजेक्ट पर यह रखी है। आज खेतीहर मजदूर को जिसकी खुद की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं- जिसकी पूंजी नहीं जो केवल रोजाना 5-6 घंटे काम करता है, उसको 6 रुपए प्रति दिन की मजदूरी देने की बात करते हैं। इसका मतलब महीने में 180) हुआ, सालभर में 2400)रु. जब एक कृषि मजदूर को पैदा होता है जिसके बच्चे या बीबी के नाम नहीं किया। इसके विपरीत किसान तावड़े में, सर्दी में, आंधी में 24 घंटे परेशान होकर, अपना इन्वेस्टमेंट करके बच्चों और बीबी से काम लेता है और अनाज पैदा करता है, उसकी प्रति व्यक्ति के हिसाब से क्या पैदावार होती है ? जो हमने मिनिमम वेजेज तय किए हैं और जिसे देने का वचन दे रखा है उसके अगेन्स्ट में प्रति किसान परिवार की, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की मजदूरी रुपया डेढ रुपया आती होगी। आज देश में 60 प्रतिशत इस प्रकार के लोग हैं जो ग्रामीण तबके के हैं जो पावर्टी लाइन के नीचे हैं। यह अपने आप में प्रमाण है कि हमारी इकनामी कोलेप्स हो रही है, न सरकार ने कानून बनाया न इंसेंटिव दिया। सरकार ने कभी व्हीट ले लिया, बाजरा ले लिया, अन्य प्रकार के अंकुश लगा दिये लेकिन कृषि में लगे हुए व्यक्तियों को भी देश का नागरिक मानकर चलें और सोचें कि सबसे गया बीता तबका यह है। मुझे शक है कि हमारे देश की ताकत कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय जगत में कितनी बढ़ेगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं।

हमने 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अंतर्गत गरीब तबके को 8 लाख प्लाट्स बांटे और हमने यह भी कहा कि शिडूल्ड कास्ट्स और शिडूल्ड ट्राइब्स के लिए हम गृह निर्माण के लिए कर्जा देंगे। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे मंत्रीगण, मुख्यमंत्री ने, सरकार ने जिसका कि खजाने पर बहुत बड़ा हाथ होता है, उन्होंने अपने-अपने जिलों और तहसीलों में पक्षपात-पूर्ण तरीके से जो पैसा हमने शिडूल्ड कास्ट्स व ट्राइब्स के लिए रिजर्व किया था, उसका उपयोग कर दिया और उन जातियों के कास्ट पर बहुत जगह हमने कुछ नहीं किया। एक तरफ हम कहते हैं कि सारे राजस्थान में सब जगह विकास हो, तब मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर में कुछ क्षेत्रों में ही सोसाइटीज को सारा पैसा क्यों स्वीकृत किया गया। कुछ जिले ऐसे हैं जिनको कोई सहायता नहीं मिली।

वित्त मंत्रीजी की जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि जो गृह निर्माण

(श्री भगराज चौधरी)

समितियां बनाई जिनको करीब 9 करोड़ रुपया कर्जा दिया, उसमें से सबसे बड़ी रकम जयपुर में खर्च की 1। करोड़ रुपए। उसके बाद दूसरे स्थान पर आता है सीकर जिला जहां पर 1.20 करोड़, तीसरे नम्बर पर झुन्झुनू जहां पर 84 लाख रुपये, चौथे नम्बर पर भरतपुर 55 लाख, पांचवें में 50 लाख। मेरे ख्याल से सब जिलों के आंकड़े देना जरूरी नहीं है। जो 8 लाख रुपये गृह निर्माण समितियों के लिए रखे गये थे उसमें से करीबन 75 पर्सेंट हिस्सा इन 5 जिलों में चला गया और बाकी कहीं एक लाख दिये, कहीं बिलकुल नहीं दिया, तो इस प्रकार का कार्य होने से इस बात को बल मिलता है कि हमारे राज्य में बहुत बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय असन्तुलन बढ़ रहा है और समाज के विभिन्न वर्ग जो विभिन्न जिलों में बसे हुए हैं, उनमें हो रहा है, जिसको मिटाना सरकार का कर्तव्य है यह बुरी बात है....

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिए।

श्री भगराज चौधरी : 20 सूत्री कार्यक्रम में मुख्य आइटम है सिचाई के साधनों में वृद्धि करना। इसके अन्तर्गत हमने जो इस साल बजट में व्यवस्था की है करीब 37 करोड़ रुपए की जिसमें से 35।। करोड़ रुपए राजस्थान नहर और माही प्रोजेक्ट के लिए खर्चा करने जा रहे हैं। राजस्थान का प्रान्त इतना विशाल है और विशेष कर पश्चिमी राजस्थान में जहां पीने का पानी नहीं है, ऐसी हालत में हमारी सरकार का फर्ज होना चाहिए था कि बड़े-बड़े व्हाइट एलीफेंट्स के मारफत बड़े-बड़े खर्चे की योजनायें बंद मत कीजिए लेकिन ज्यादा द्रुत गति से दूसरों के कास्ट पर मत चलिए। आपको लोकल रिसोर्सेज से इरिगेशन पोटेन्शल को डवलप करना चाहिए विशेष कर माइनर इरिगेशन, मीडीयम इरिगेशन और अगर दूसरे एरियाज में भी सिंचाई हो सकती है तो उनको भी टैप करना चाहिए। इसका इमीजिएट फायदा सबको मिलता है। मगर सरकार के दिमाग में न हमारी बात बैठती है न बैठने वाली है।

इसके अलावा सिंचाई के क्षेत्र में कोई विशेष विकास किया हो, ऐसी बात नहीं है। 1971–72 में 21.74 लाख हेक्टयर सिंचित क्षेत्र था, वह बढ़कर 1975–76 में 28 लाख हेक्टेयर्स हो गया। 4 साल में करीबन 6.86 लाख हेक्टेयर्स की वृद्धि हो गई याने 20 पर्सेंट। इसका मतलब प्रतिवर्ष केवल 5 पर्सेंट सिंचाई के क्षेत्र में वृद्धि की। यह काफी नहीं है। 1975-76 के बाद 1976–77 की जो बात को है उसका आंकड़ा देखें। जो पिछला रिकार्ड था एवरेज का वह भी नीचे चला गया। 1976–77 में करीब 29 लाख और कुछ हजार हेक्टेयर्स कुल मिलाकर सिंचित क्षेत्र होने वाला है। उसके हिसाब से 1975–76 के बाद में 1976–77 के अंत तक कुल मिलाकर सभी साधनों से इरिगेटेड एरिया में 2 पर्सेंट वृद्धि होगी। ऐसी हालत में हमारा जो आर्थिक कार्यक्रम है जिसका मुख्य आइटम है सिंचाई के क्षेत्र में विकास करना, उसमें किस प्रकार आगे बढ़ेंगे? पिछले वर्षों में जो खर्चा किया गया, उसमे बहुत बड़ा क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हुआ है। जोधपुर व बीकानेर

(श्री भगराज चौधरी)
डिवीजन्स में कोई पैसा नहीं लगा।

लघु सिंचाई के कार्यक्रम जो सिंचित एरिया में बहुत बड़ा योगदान करते हैं उन स्कीमों के जरिए भी हमने राजस्थान में क्षेत्रीय असंतुलन बहुत बड़ी संख्या में पैदा किया। यह मैं आंकड़े देखकर कहता हूं। आज हमने कुल ए.आर.सी. की 56 स्कीम्स थीं उनमें से उदयपुर और कोटा के लिए 23 योजनायें स्वीकृत की और they are meant for augmenting irrigation potential जयपुर में 26 योजनायें और बेचारे जोधपुर और बीकानेर, जो हमेशा पिछड़े रहे हैं और पता नहीं हमारी सरकार ..

श्री सज्जन सिंह : जोधपुर डिविजन के लिए माननीय सदस्य ने बेचारे शब्द का प्रयोग किया है, इस पर मुझे आपत्ति है।

श्री भगराज चौधरी : मेरा मेलाफाइड इन्टेंशन नहीं है। अगर आपकी इस शब्द ने आपकी फीलिंग्स को हर्ट किया है तो मैं मैं माफी चाहता हूं। आखिर उन ए. ओ. सी. स्कीम्स का उद्देश्य होना चाहिए कि जहां जहां सिंचाई के साधन हों उनको ट्यूबवेल्स के जरिए वर्तमान कुओं को गहरा करने के लिए, सिल्ट को बाहर निकालने के लिए और खेतीबाड़ी के अन्य साधन हो सकते हैं. उनको डेवलप करके ग्राम क्षेत्रों को सुधारें जारी है तो इसके अन्तर्गत मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी राज्य सरकार का जो रवैया है वह हमेशा से ही पक्षपातपूर्ण और हमारे जोधपुर, बीकानेर डिविजन के प्रति उपेक्षापूर्ण ही रहा है उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार का जो यह पक्षपात का रवैया है उससे जोधपुर और बीकानेर डिविजन की जो जनता है वह बहुत दुखी हो चुकी है और मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अब इसको ज्यादा दिन तक बरदाश्त नहीं किया जायेगा। अगर राज्य सरकार का यही रवैया रहा है तो जोधपुर और बीकानेर डिविजन की जनता को मजबूर होकर कोई दूसरा कदम उठाना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात निवेदन करता हूं। अगर मैं आउट आफ कान्टेक्ट नहीं होता होऊं तो यह बात निवेदन करना चाहूंगा कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना प्रदेश अलग अलग हुए उसका मूल कारण यही था कि तेलंगाना के लोगों के साथ आन्ध्र प्रदेश वालों का रवैया बहुत ही उपेक्षापूर्ण था। आखिर जो सदियों से आन्ध्र प्रदेश वाले और तेलंगाना के लोग जो साथ थे वह अलग हो गये। ठीक उसी प्रकार मुझे यह भय है कि क्षेत्रीय असंतुलनता की बात जो पैदा की जा रही है चाहे वह इरिगेशन का मामला हो, चाहे वह सड़कों का मामला हो, चाहे वह बिजली का मामला हो, हमारे साथ हर जगह पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करिये।

श्री भगराज चौधरी : मैं अभी थोड़े समय में समाप्त कर रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : आप तो हवा में उड़ रहे हो।

श्री भगराज चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं थोड़ा सा चिकित्सा के बारे में भी

(श्री भगराज चौधरी)

यहां निवेदन करना चाहूंगा । उसमें भी राज्य सरकार का बर्ताव हमेशा से ही हमारे साथ उपेक्षापूर्ण रहा है । तो आखिर, उपाध्यक्ष महोदय, यह कब तक चलता रहेगा । अगर उसका यही कारण है कि हमारा मुख्य मन्त्री जी से टकराव किन्हीं मुद्दों पर हो जाता है या वित्त मंत्री जी से हो जाता है और आप इस टकराव के कारण हमारे साथ यह उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाते हैं तो उचित नहीं है । आखिर इसका असर राजस्थान की जनता जो कि लाखों में है, उस पर पड़ता है । आखिर सरकार की उन लाखों लोगों के प्रति भी तो जिम्मेदारी होती है कि वह उनका विकास करे । आखिर वह जनता जोधपुर, बीकानेर की तो है वह गुजरात की जनता तो नहीं है महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश की तो नहीं है कि आप उनके साथ इस प्रकार से उपेक्षापूर्ण वर्ताव करें । जोधपुर बीकानेर डिवीजन की जनता है वह भी तो राजस्थान का ही एक अंग है । इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि वह इन बातों के बारे में गम्भीरता से सोचे, यह बातें हंसी में टालने की नहीं है । आपको इसके बारे में गम्भीरता पूर्वक सोचने की जरूरत है । अब मैं, उपाध्यक्ष महोदय, कुछ इरिगेशन के बारे में निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : काफी समय हो गया है अब आप कृपया समाप्त करें । और भी माननीय सदस्यों को बोलना है ।

श्री भगराज चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका थोड़ा समय लूंगा । मुझे बहुत कहना है । तो मैं निवेदन कर रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, क्या सिंचाई के बारे में क्या विद्युत के बारे में...

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें । दो मिनट में ।

श्री भगराज चौधरी : मैं अभी दस मिनट में समाप्त कर रहा हूं । दो मिनट में तो समाप्त नहीं कर सकूंगा । उपाध्यक्ष महोदय, बिजली की दृष्टि और सिंचाई की दृष्टि से हमारा जो पश्चिमी राजस्थान का इलाका है वह हमेशा से ही पिछड़ा हुआ है । हमारी राज्य सरकार का हमेशा से पश्चिमी राजस्थान की जनता के साथ उपेक्षापूर्ण और पक्षपात पूर्ण रवैया ही रहा है । उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान में जहां पर सन् 71–72 में करीब 4200 गांवों में बिजली दी थी और उसके बाद में आज 75–76 में जो इलेक्ट्रिफिकेशन ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ है वह कुल मिलाकर 8100 विलेजेज का हुआ है यानि कि 71–72 से लेकर 75–76 तक पांच साल में आपने सिर्फ 4000 गांवों को बिजली दी । अगर इसका एवरेज लगायें तो हमें मालूम होगा कि हमने हर साल 800 विलेजेज का इलेक्ट्रिफिकेशन किया है । तो यह जो आपने सिर्फ 4000 विलेजेज का जो इलेक्ट्रिफिकेशन किया है वह कोई आपकी बड़ी उपलब्धि नहीं है । अगर आप इसका मुकाबला हमारे देश के दूसरे प्रान्तों पंजाब, हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र तथा कर्नाटक से करें तो हमें ऐसा लगेगा कि उनके मुकाबले हमारे यहां पर कोई इलेक्ट्रिफिकेशन विशेष नहीं हुआ । आज आप अगर अकेले पंजाब और हरियाणा से राजस्थान

(श्री भगराज चौधरी)

की तुलना करें तो आपको मालूम होगा कि वहां तो सेन्ट पर्सेन्ट इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है। हमारे राजस्थान में कोई 24 प्रतिशत या 25 प्रतिशत के करीब 75–76 तक इलेक्ट्रिफिकेशन होगा। इसी तरह महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात में 80 प्रतिशत विलेजेज में इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। तो इससे पता लगता है कि हम दूसरे प्रान्तों से कितने पिछड़े हुए हैं। आपका यह 24 प्रतिशत या 25 प्रतिशत जो इलेक्ट्रिफिकेशन है वह कोई बड़ा एचीवमेन्ट नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं थोड़ा कृषि के अन्दर जो विद्युतिकरण हुआ है उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा। मैं आंकड़ों को तो जिलेवार बताना नहीं चाहता लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि आप 76–77 तक एक लाख कुओं में बिजली पहुंचा पायेंगे। जितना आप यह कहते हैं कि तेजी से बिजली का प्रसार कर रहे हैं उतना बिजली का प्रसार नहीं हो रहा है। इसका कारण यह है कि आपका जो राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसके पास बिजली के इनफ्रास्ट्रक्चर नहीं हैं। कभी आप कहते हैं कि हमारे पास मेटिरियल नहीं है, कभी कहते हैं खम्बे नहीं हैं, कभी कहते हैं कि कन्डक्टर नहीं हैं, कभी कहते हैं हमारे पास ट्रान्सफार्मर्स नहीं हैं। यही सभी बात राज्य सरकार द्वारा और आर.एस.ई.बी. के द्वारा कही जाती है लेकिन मैं समझता हूं कि मेन प्रश्न इलेक्ट्रिफिकेशन का जो है उसमें मेन बात आती है पावर की कि आपके पास पावर है या नहीं। आपके पास अगर सरप्लस पावर है तो आप मेटिरियल तो बना सकते हैं। हम खुद वहां पर मेन्यूफेक्चर कर सकते हैं। मैं मुख्य मंत्री जी और वित्त मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप सही ढंग से अपनी योजनायें बनाते तो, मैं समझता हूं, आप बिजली का आज तक काफी प्रसार कर देते। नहीं तो आपने ट्रान्सफार्मर्स मंगाने में, खम्भे मंगाने में और दूसरे मेटिरियल मगाने में लोगों को एडवान्सेज दिये और माल भी प्राप्त नहीं कर सके। आपकी रकम वहां पर रुकी हुई है, वह रुकी हुई नहीं होती। और आप खुद खम्भों का और कन्डक्टर्स का मेन्युफेक्चरिंग कर लेते। आपको पब्लिक सेक्टर में मेन्यूफेक्चरिंग कर लेना चाहिये था। इससे आपको, लोगों के सामने हाथ नहीं पसारने पड़ते।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि बिजली कुओं को देने में भी राज्य सरकार का बर्ताव काफी पक्षपात पूर्ण और उपेक्षापूर्ण रहा है। भारी मात्रा में पक्षपात किया गया है। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। आज तक हमारे राजस्थान में 93 आर.ई.सी. की स्कीम्स मन्जूर की गयी हैं। इन 93 आर.ई.सी. स्कीम्स के बारे में मैं जिलेवार नहीं जाकर सिर्फ डिवीजन वाइज ही निवेदन करना चाहूंगा। इसमें आपको पता लगेगा कि जो स्कीम्स स्वीकृत हुई हैं उसमें कितना पक्षपात किया गया है। यह इस प्रकार बिजली दी गई है जैसे दो भाई बहन मिल बाट कर अपना हिस्सा ले लेते हों। उन्होंने ऐसे कार्य किये हों जैसे पहले ही मिल बैठकर तय कर लिये हों। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा Out of these 90

(श्री भगराज चौधरी)
schemes so far sanctioned, 40 have been sanctioned for Jaipur division, nearly 30% of all the schemes which have so far been sanctioned.

अब जयपुर के बाद में उदयपुर और कोटा डिविजन के बारे में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि 93 आर.ई.सी. स्कीम्स में से 32 स्कीम्स इनमें सेंक्शन हुई हैं। तो इस प्रकार 46×32 कुल मिलाकर 78 स्कीम्स हो गयीं, तो पीछे बची 15 स्कीम्स जो कि जोधपुर और बीकानेर डिविजन में सेंक्शन आर.एस.ई.बी. द्वारा की गयी हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज कल जितना भी विद्युतिकरण किया जाता है वह आर.ई.सी. स्कीम्स के तहत ही किया जाता है। और आपने सिर्फ 15 स्कीम्स ही जोधपुर, जालोर, और बीकानेर डिविजन के लिये रखी हैं। तो क्या आपके पास कोई जादू का डन्डा है जिससे आप बिना आर.ई.सी. की स्कीम्स सेंक्शन किये बिना इन डिवीजनों में इलेक्ट्रिफिकेशन कर देंगे? इस तरह आपको यह पता लग गया है कि किस प्रकार उपेक्षापूर्ण रवैया राज्य सरकार का पश्चिमी राजस्थान की जनता के साथ रहा है। यहां जो भी राज्य सरकार का आज तक काम हुआ है हमेशा भारी पक्षपात पूर्ण, और बदले की भावना से ही काम किया गया है। इससे हमारे जोधपुर, बीकानेर डिविजन को भारी रिजेन्टमेन्ट है बहुत ही दुखी है। वहां जनता में और दिन व दिन बढ़ रहा है और अगर इसको नहीं रोका गया तो इसके भविष्य में परिणाम अच्छे नहीं होंगे।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करिये।

श्री भगराज चौधरी : मैं थोड़ा सा समय और चाहूंगा। अभी समाप्त कर ही रहा हूं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : थोड़ा समय दे दिया जाय साहब।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत से माननीय सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री भगराज चौधरी : अभी समाप्त कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो कह रहा हूं वह तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं। शायद मन्त्रीजी को बुरा लगता होगा। मैं सदन का समय थोड़ा ले रहा हूं उसके लिये मैं माननीय सदस्यों से क्षमा चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप समाप्त करें। आप विराजिये there is no end to it.

श्री भगराज चौधरी : थोड़ा सा निवेदन करके समाप्त कर रहा हूं।

I will take two minutes.

श्री उपाध्यक्ष : आप दो मिनट में समाप्त करिये।

श्री भगराज चौधरी : I would complete my statement within two minutes. I will not take more time.

अब मैं थोड़ा, उपाध्यक्ष महोदय, ए.आर.सी. और आर.ई.सी. की स्कीम्स के कोर्डिनेशन के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, जहां ए.आर.सी. और आर.ई.

(श्री भगराज चौधरी)
सी. स्कीम्स में कोर्डिनेशन नहीं होता है वहां इलेक्ट्रिफिकेशन ठीक नहीं होता। यहां पर ए. आर. सी. स्कीम्स और आर. ई. सी. स्कीम्स में कोई कोर्डिनेशन नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : यह आप इलैक्ट्रिक का डिमाण्ड पर बोल लें।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : बिजली की डिमाण्ड्स नहीं होती है।

श्री भगराज चौधरी : हां साहब इलेक्ट्रिसिटी पर कोई डिमाण्ड्स नहीं होती है।

श्री उपाध्यक्ष : तो इससे कोई को-रीलेटेड डिमाण्ड्स आवे तब बोल लें।

श्री भगराज चौधरी : मैं अभी समाप्त कर ही रहा हूं। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमारे यहां पर ए. आर. सी. स्कीम्स और आर. ई. सी. स्कीम्स में कोई कोर्डीनेशन नहीं होने की वजह से काफी दिक्कत होती है जहां ए. आर. सी. कुओं को गहरा कराने के लिए लोन देती है वहां स्कीम आर. ई. सी. की नहीं है जहां आर. इ. सी. स्कीम्स है वहां पर कुओं को खुदाने और गहरा कराने के लिये खर्चे का प्रावधान नहीं है तो इस प्रकार वहां जो खर्चा मोटर लगाने के लिये या कुआ गहरा कराने के लिए खर्चा किया जाता है तब फिर उसी खर्चे की पुनरावृत्ति होती है। जब बिजली आती है तब फिर पम्पिग सेट लगाना पड़ता है और कभी बिजली की मोटर लगानी पड़ती है। इस तरह बहुत सारा खर्चा बढ़ जाता है। इसलिये ए. आर. सी. और आर. ई. सी. का कोआर्डीनेशन होना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, जो आंकड़े हैं पिछले कुछ वर्षों के और जहां जहां डिस्पेन्सरियां खोली हैं मेरे पंचायत समिति रानीवाड़ा में अभी तक भी कोई डिस्पेन्सरी नहीं है न कोई आयुर्वेद की चिकित्सा की सुविधा है। पंचायत समिति हेडक्वार्टर कितना महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता है लेकिन यहां तो यह हाल है, उपाध्यक्ष महोदय, कि अन्धा बांटे रेवड़ी और फिर फिर घर को देय और यही हाल अब इस साल हो रहा है। हास्पिटल्स में बैड्स की संख्या कहां बढ़ रही है ? बांसवाड़ा में या जहां वित्त मंत्री जी का क्षेत्र है····

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : वित्त मंत्री के जिले में नहीं बढ़ रही है, आप गलत कह रहे हैं।

श्री भगराज चौधरी : मैं तो उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं।

श्री चन्दनमल बैद : आप मेरा ही नाम क्यों ले रहे हैं उदाहरण के रूप में भी मैं ही गरीब दिखा क्या ?

श्री भगराज चौधरी : मेरा मतलब यह नहीं है। आज बांसवाड़ा को कई जगह से जोड़ा जा रहा है, बांसवाड़ा से रतलाम को जोड़ा जा रहा है और भी बांसवाड़ा में कई चीजें खोली जा रही हैं। अगर यही क्रम चलता रहा तो, उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से हमारे विभाग में कई प्रकार की

Page No 72

(72)

(श्री भगराज चौधरी)

उलझनें पैदा होंगी। हम नहीं कहते हैं कि वहां विकास मत करिये, आप करिये वह विकास लेकिन हमारे जो घाव हैं उन पर नमक छिडकने की कोशिश मत कीजिये। यह मैं ही नहीं कहता हूं मेरे वोटर्स ने कहा है कि जब कभी कोई बात आती है तो उदयपुर डिविजन की बात आती है, बांसवाड़ा डिविजन की बात आती है। मैं उनसे काफी कहता हूं कि हमारे पास पैसा नहीं है, बजट में कोई प्रावधान नहीं है लेकिन वे कहते हैं कि इतना पैसा तो खर्च हो रहा है और यहां तक बात आती है कि वोटर्स कहते हैं हमने तुमको वोट देकर अपना वोट भी गंवाया और विकास के कामों से भी महरूम रह गये। तो, उपाध्यक्ष महोदय, वह कितनी लज्जास्पद बात है। मैं अपनी भावना सदन के समक्ष पेश कर रहा हूं और मैं समझता हूं कि इस प्रकार की भावना कई माननीय सदस्यों की होगी।

जो भी आयुर्वेद हास्पिटल खोले जा रहे हैं, उनमें भी पक्षपात पूर्ण रवैया है। इस साल लगभग 200 आयुर्वेद औषधालय खोलने जा रहे हैं। मैं समझता हूं जैसे पहले रवैया अपनाया गया था वैसा ही इस साल भी अपनायेंगे और आयुर्वेद औषधालय उन स्थानों पर ही खोले जायेंगे जहां माननीय मंत्री महोदय की इच्छा होगी। मेरा निवेदन है ऐसा न करके कृपया आयुर्वेद औषधालय उन स्थानों पर खोले जायं जो उचित स्थान हो और जहां इसकी आवश्यकता हो, ऐसा न हो कि माननीय मंत्री महोदय, कोई गैर जिम्मेदार व्यक्ति कह दें कि यहां आयुर्वेद औषधालय खोल दें और माननीय मंत्री महोदय वहां बिना सोचे समझें खोल दें। ऐसी बात बड़ी घातक होती है हमारे देश के लिये और मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं एल्योपैथी सुविधाओं के लिए जो 1100 बैड्स का प्रावधान है— बड़ी-बड़ी पंचायत समितियों के मुख्यालय हैं, मैं यह नहीं कहता कि मेरी पंचायत समिति हैड क्वार्टर पर ही खोलें लेकिन पंचायत समिति मुखियावास काफी बड़ी पंचायत समिति है वहां और कोई दूसरी सुविधा नहीं देना चाहते है तो कम से कम हमको एक छोटी डिसपेन्सरी तो दीजिये—हम बैड्स की मांग नहीं करते है, केवल एक छोटी डिसपेन्सरी खोलने की बात कहते हैं। मेरा निवेदन है कि वित्त मंत्री महोदय कम से कम गहराई से इस विषय पर सोचें और गौर करें।

शिक्षा की जहां तक मैं बात करता हूं। मैं कोई लम्बी-चौड़ी बात नहीं करता हूं पढ़ने वाले बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है मगर जहां-जहां स्कूलें खोली हैं 125 सैकेण्डरी स्कूल्स वहां न कोई आज तक बिल्डिंग की ठीक से व्यवस्था है और न उनके आस पास में कोई प्राइमरी या मिडिल स्कूलें हैं तो मेरा निवेदन है कि सैकेण्डरी स्कूल खोलते समय इन बातों को भी देखना चाहिये। पक्षपात पूर्ण रवैया कृपया स्कूलें खोलते समय न अपनायें। उपाध्यक्ष महोदय, बार-बार आपका इशारा है कि मैं बहस समाप्त करूं, यह बात नहीं है कि मैं कोई लम्बी चौड़ी बात कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र रानीवाड़ा और मुखियावास है, यह एक बहुत बड़ी व्यापारिक मण्डी का क्षेत्र है लेकिन वहां पर सैकेण्डरी स्कूल नहीं खोला। मैंने शिक्षा

(श्री भगराज चौधरी)

मन्त्री जी से भी निवेदन किया था। लेकिन मैं समझता हूं शायद वे मुझ से कुछ चाहते थे अथवा मैं उनको राजी नहीं कर पाया, इसलिये नहीं खोली...

एक माननीय सदस्य : क्या चाहते थे ?

श्री भगराज चौधरी : सारी बातें बताने लायक नहीं होती है। उपाध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर तीन साल में 2600 स्कूलें खुली है मैं समझता हूं नई स्कूलें खोलने की आवश्यकता नहीं है। जो पंचायत समिति के हैड क्वाटर्स हैं और जो पंचायत समिति के बड़े क्षेत्र हैं जैसा मैंने अभी निवेदन किया नई सैंकण्डरी स्कूल खोलने की व्यवस्थायें करनी चाहिये। अगर राज्य सरकार सक्षम नहीं है तो वह खर्चा हमसे मांग लीजिये लेकिन जनता की कास्ट पर हमको परमीशन दीजिये, अनुज्ञा-पत्र दीजिये और आगे बढाइये। अगर आप नहीं करते हैं तो गलती करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Please conclude.

श्री भगराज चौधरी : मैं कनकल्यूड कर रहा हूं। अब मैं निवेदन करना चाहता हूं जहा तक ग्रामीण जल प्रदाय की बात है, उसे गंभीरता से लेना चाहिये, वह नहीं लिया है। कुल मिलाकर 181 शहरी बस्तियां हैं उन 181 बस्तियों में पुराने स्टेट्स के वक्त किसी न किसी प्रकार की जल प्रदाय की व्यवस्था थी। मगर वित्त मंत्री जो बहुत जागरुक हैं उनकी सुख-सुविधा उन टाऊन और सिटीज पर है जबकि जल प्रदाय व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में होनी चाहिये। वहां वित मंत्री जी का ध्यान ज्यादा जाना चाहिये था लेकिन नहीं गया। कुल ग्रामीण क्षेत्रों का जो तबका है उसका 18 परसेन्ट कवरेज हम अगले साल कर पायेंगे, मैं समझता हूं गांवों में पानी की ज्यादा समस्या है। शहरी क्षेत्रों में तो कहीं वाटर लाइन हैं, कहीं बावड़िया हैं, कहीं तालाब हैं और शहरों में तो पानी भी फिल्टर होकर मिलता है और बढ़िया शानदार व्यवस्था है लेकिन गांवों में किसान उसके बच्चे और औरतें पानी को 6–6 मील दूर से ढोकर लाती है और वह भी गन्दा पानी होता है जिसमें बदबू आती है, मक्खी, मच्छर पड़े हुये होते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, उसमें कई प्रकार की बीमारी फैलाने वाले कीटाणु होते हैं–इस प्रकार की आज ग्रामीण जल प्रदाय की व्यवस्था है।

श्री उपाध्यक्ष : अभी आपका आधा मिनिट पूरा नहीं हुआ क्या ?

(श्री भगराज चौधरी के बराबर बोलते रहने पर)

आर्डर प्लीज।

श्री भगराज चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, आधा मिनिट और...

श्री उपाध्यक्ष : नो। आप विराजिये।

श्री भगराज चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, This is final.

श्री उपाध्यक्ष : No. I will not allow.

(श्री उपाध्यक्ष)

आप बिराज जाइये। (बराबर बोलते रहने पर) मो आर्डर प्लीज। आप स्थान ग्रहण करें।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री अजीतसिंह।

श्री अजीतसिंह (टौंक) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने हाउस के सामने जो बजट रखा है 1976-77 का उसके लिये मैं भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, जो बजट रखा है, वह कोरा मुझे तो लेखा-जोखा के सिवाय कुछ नजर नहीं आता है। बजट की शुरुआत की है कि आपात कालीन स्थिति और 20 सूत्री कार्यक्रम को आधार माना है लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी आपने जो 20 सूत्री कार्यक्रम की झलक इस बजट में दिखानी चाही है वह झलक इस बजट में नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि कहीं इसमें कोई 20 सूत्री कार्यक्रम को टच किया गया है। लोकतन्त्र के नाम पर गरीब लोगों का मुंह बन्द करके जो उनकी आवश्यक सुख सुविधा है उसको बन्द करने का आपने बीड़ा उठाया है लेकिन मेरा निवेदन है कि यह लोकतन्त्र की गाड़ी न मालूम कब अपनी वापिस पटरी पर आ जाय और एक भयंकर रूप धारण कर ले तब एक बहुत बड़ा विस्फोट होगा इसलिये मैं निवेदन करूंगा आप अपने बजट में नीचे से नीचे के जो लोग हैं उनको राहत देने की व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक इस समस्या का समाधान होने वाला नहीं है और अगर यह नहीं किया गया तो गरीबों का सुख सुविधा से रहना भी मुश्किल हो जायगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान की जनता, राजस्थान का आम आदमी, पहले वह मंहगाई से पीड़ित था तो आज वह सस्ताई आ गयी है फिर भी बेरोजगार और बेकार होने से पीड़ित है। किसान की उपज के भाव गिर जाने से वह दुखी है। इस बजट के अन्दर इसके लिये कोई भी व्यवस्था नहीं की गयी है कि किस प्रकार से इसको टेकल करेंगे। इसके बारे में कुछ भी आभास नहीं प्रकट किया गया है। आज जनता की स्थिति दम तोड़ते जैसी हो रही है। आप इस ओर ध्यान दें और गहराई से सोचें।

आदमी के बोझ को आदमी उठा रहा है। आज भीड़ की भीड़ सड़कों पर मांग खाती हुई नजर आती है। फिर कैसे मान लिया जाय कि यह बजट प्रजातन्त्रीय है और सुख सुविधायें जो उनको मिलनी चाहिये वह मिल पायेंगी? कोई उनको सुख-सुविधायें नहीं मिल सकती। आपने अमीरों के लिये तो टैक्सों में रियायतें दी हैं लेकिन आपने उन गरीबों के लिये क्या किया जो गरीब सड़कों पर मांगते फिरते हैं? आप यहां से पधारेंगे तो स्वयम् देखेंगे कि फोरिनर्स के सामने काफी तादाद में लोग मांगते रहते हैं। अपंग लोग चांदपोल में पड़े हुए चिल्ला रहे हैं 'पैसा दे दो'। उन लोगों को आपने और समाज कल्याण विभाग ने कोई राहत नहीं दी। आप दे नहीं पाये। जो तेज है और बोलता है उसको तो आप देते हैं। जो आम आदमी गरीब है और इन्दिरा गांधीजी के 20 सूत्री कार्यक्रम का आप बार-बार गुणगान कर रहे हैं लेकिन नारों का फायदा उनको मिलता है जो तेज

(श्री अजीत सिंह)
हैं, वे ही लोग लाभ उठाते हैं और जो लोग लाभ उठा पाते वे उठा ले जाते हैं। लेकिन आम जनता को लाभ नहीं मिलता। आपको इसके लिये बजट में प्रोविजन करना था वह आप नहीं कर सके। गरीब लोग लाभान्वित हो जायं, बेरोजगारी मिटा पायें तो मैं समझूंगा कि कोई कारगर कदम उठा पाये।

वैसे आपने जो कुछ भी किया है, मरू बोर्ड आदिवासी बोर्ड। वह सराहनीय है। आपने अपने बजट में इनके सम्बन्ध में आखिर आप पैसा कहां से जुटा पायेंगे यह कोई लेखा जोखा नहीं बताया है और न ही विशेष उल्लेख किया है। मैं मानता हूं कि इनसे गरीबों को फायद पहुंचेगा। कैसे पहुंचेगा और वे कैसे लाभान्वित होंगे यह आपको अपनी योजना को बजट में बताना चाहिये था। यह बजट इस तरह का हो गया है कि जैसे केवल म्ॅाजिन का लेखा जोखा हो। आप बजट पर कायम रहे नहीं। 376 करोड़ का बनाया वह 378 करोड़ का हो गया। इसी प्रकार 115 करोड़ के बजाय 159 करोड़ हो गया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बजट है या आखिर में क्या है? टार्गेट्स को ही पूरा नहीं कर पाये, आखिर वह क्या बजट है? बजट पेश किया लेकिन न तो प्राप्तियों के ही सही आंकड़े दे पाये और ना खर्चे के ही आंकड़े सही दे पाये और फिर ऊपर से तुर्रा यह कि खर्चा कम कर दिया। ऐसी बातों पर कट लगाया जो गरीबों को जाकर छूता है। मेरे क्षेत्र में मुर्गी पालन पर कट लगाया मुसलमान लोग खरीदते थे चालीस-चालीस पैसे में। अण्डे बेचते थे। वे ही इनको खरीद कर ले जाते थे। ऐसे गरीब आदमियों पर कट लगाने की क्या आवश्यकता है? माननीय सदस्यों को कान्फिडेन्स में लेते। जहां पर कट लगाने की आवश्यकता है वहां पर तो कट नहीं लगाया और जहां पर गरीब को फायदा पहुंचाने की बात है वहां पर आपने कट लगाया है। कोई बोलने वाला तो है नहीं। काश्तकारों पर टैक्स लगाया। माननीय सदस्य जो काश्तकारों से सम्बन्धित हैं वे ऐसे आदमी से रियायत चाहते हैं जो महाजन होने से कुछ करने वाला तो है नहीं क्योंकि वह स्वयं तो काश्तकार है नहीं। 'जिसके पैर न फटे बिवाई, वह क्या जाने पीर पराई।' ये किसी काश्तकार को वित्त मन्त्री बिठाओ। ये वित्त मन्त्री तो आपको फायदा देने वाले हैं नहीं।

टैक्सेज लगाये। चतुर महाजन होता है तो वह देखता है। कि क्या चीज सस्ती मिल रही है और किसकी अधिक डिमाण्ड होने वाली है तो वह उसको खरीद लेता है। इसी तरह से आपने भी टैक्स लगा दिये। सिंचाई दरें बढ़ा दी। मनोरंजन कर बढ़ा दिया। आपने अपने पोइन्ट आफ व्यू से कलेक्ट करने के लिये टैक्स लगा दिये। मेरा कैसे पूरा पड़ेगा यह आपने नहीं देखा। आपको फायदा और नुकसान देखना चाहिये था न कि मांग ज्यादा है इसलिये टैक्स लगा दिये।

उद्योग आपके आम आदमी को रोजगार दे नहीं पाते। खेती पर ही जाकर सारा बर्डन पड़ गया है। उसके सिवाय कुछ नहीं। गांवों में जो छोटे 2 उद्योग थे वे सब चौपट

(श्री अजीत सिंह)

हो गये। अपने यहां पहले रेजा बनता था। जूतियों आदि कई प्रकार के छोटे 2 उद्योग धन्धे थे। छोटे-छोटे हजारों आदमी काम करते थे उन छोटे 2 उद्योग धन्धों में। आपने सारे के सारे खत्म कर दिये। बाटा की सस्ती हो गई चप्पल तो कौन जूती बनाने वाले से जूती खरीदेगा? रेजा बनता है तो मार्केट में लाकर उसको बिकवाने की कोई व्यवस्था आपने नहीं की। जब छोटे उद्योग धन्धे गांवों में थे और चीजें बनती थीं उनको शहरों में लाने की कोशिश नहीं की तो वे अपने आप ही खत्म हो गये, सारे के सारे चौपट हो गये। गांवों में जूतियां बनती थीं। चण्डीगढ़ में बाटा की फैक्टरी में 2।। रुपये में चप्पल बन कर मिल जाती है तो उनको कौन पहिनेगा? इसलिये आप इनका सीलिंग कर दीजियेगा। ग्रामीण उद्योगों में बनने वाले माल को अलग कर दीजियेगा। वे बड़ी फैक्टरियां बनायें ही नहीं। तो बेरोजगारी की समस्या हल हो सकती है। आपने सारे के सारों को इकट्ठा करके जमीन पर डाल दिये। चाहे व्यापारी हो, चाहे जागीरदार रहा हो या चाहे किसान हो। सब कृषि पर। उद्योग धन्धे चौपट। गांव की स्थिति बिगड़ती जा रही है। 40 रुपये से कम आय वाले को आप गरीबी के भीतर समझेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, आज के गिरते भावों में जिसको सीमान्त कृषक कहते हैं, लघु कृषक कहते हैं कितने ही मजदूर हैं वे सारे के सारे इस लाइन से नीचे उतर गये हैं। हिसाब लगाकर देख लीजिये। आंकड़े लगा कर देख लीजिये। 40 रुपया किसी प्रकार पड़ता नहीं बड़ता है। पढ़े लिखे हैं। हिसाब लगा सकते हैं। फिर टैक्स लगाने का क्या औचित्य है? दुनिया भर के टैक्स लगा दिये। जिनकी हालत नहीं थी टैक्स देने की उन पर टैक्स लगा दिया। यह प्रजातन्त्रीय तरीका नहीं हो सकता है। न ही आपकी ये योजनायें प्रजातन्त्रीय कही जा सकती हैं। इमरजेन्सी के नाम पर गरीबों के नाम पर मुंह बंद करने की कोशिश कर रहे हैं वरना आप इन टैक्सेज को वापिस लेकर गरीब को वास्तव में राहत देने का प्रयास करें।

दूसरा, नॉन टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाना चाहिये। उसमें खास प्रोग्रेस नहीं दिखाई। कई दफा बड़े जोर शोर से कहा था कि झामर कोटड़ा के रॉक फास्फेट से 10 करोड़ का घाटा पूरा करेंगे। वह नहीं कर पाये। खनन कम कर दिया। मजदूर बहुत बेकार हो गये। आपने कोई ऐसी योजना भी नहीं रखी कि रॉक फास्फेट खाद के काम में आ सकता है। आपको प्रचार करना चाहिये था। एक अखबार में मैंने पढ़ा था कि उसको सीधा खेत में डालने की कोशिश करें तब भी खेती उपयोगी हो सकती है। ऐसी चीजों को हाथ में लेते जिससे काश्तकार को फायदा होता। रॉक फास्फेट भी काम आता और मजदूर भी बेकार नहीं होते। स्टेट को फायदा होता लाभानुलाभ होने वाली योजनाओं को तो आप नहीं बढ़ाना चाहते हैं। मानें या न मानें वस्तु स्थिति यह है कि खनन से काफी फायदा हो सकता है। माननीय मंत्रीजी खानों के लिए बिजली न हो, पानी निकालने की व्यवस्था न हो, न एप्रोच रोड हो तो खानें नहीं चल सकतीं

(श्री अजीत सिंह)

हैं। कोई प्रोविजन बजट में नहीं है। कई दफा वायदा किया था कि सड़कें बनायेंगे। खान से लिंक करेंगे। कितना खर्चा किया, यह आपने नहीं बताया। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि एप्रोच रोड खान तक नहीं पहुंचायेंगे, बिजली नहीं देंगे तो उनका उत्पादन कैसे बढ़ेगा और नोन-टैक्स रेवेन्यू कैसे बढ़ेगी ?

इसी तरह से जो आपको फायदा होना चाहिए था वह आपको फायदा नहीं मिल रहा है। उसका कारण क्या है ? मेरे यहां लेदर फैक्टरी लगाई गई और उस पर 1 करोड़ रुपया खर्च किया है लेकिन हालत विचित्र है। यह फैक्टरी इसलिए लगी कि हमारे यहां के रहने वाले लोगों को रोजगार मिले लेकिन सिफारिश से उसमें ऐसे ऐसे लोग आ गये जो कि चमड़े की ए.बी.सी.डी. भी नहीं जानते। आपने प्रशासन के लोगों को वहां लगा रखा है और आप टैक्निकल आदमियों को नहीं लेंगे तो उत्पादन किस तरह से होगा, मार्केट में आपका माल कैसे फेयर करेगा ? आपको घाटा होगा और हालत वही होगी जो कि बीकानेर मिल की हुई कि घाटा है इसलिए बन्द कर दो। बन्द तो होगी ही टैक्निकल आदमी आप नहीं लगायेंगे, मार्केट है नहीं, मार्केट आप बनाते नहीं और नतीजा यह है कि चमड़ा बन रहा है वह तड़क जाता है। मैंने लोगों को कहा कि हमारे यहां का चमड़ा अच्छा है लेकिन वह तड़कता है। तो जब तक टैक्निकल आदमी नहीं होंगे तब तक उसकी हालत नहीं सुधरेगी। मैंने बात की थी तो मालूम हुआ कि टैक्निकल आदमी नहीं मिलते। हमारे यहां चमड़े के क्वालीफाइड टैक्निकल आदमी हैं उनको तो आपने डिप्टी डाइरेक्टर बनाकर बैठा रखा है और फैक्टरी में प्रशासन के दूसरे आदमी को लगा रखा है। ऐसी व्यवस्था वहां पर है। जब तक आप नान-टैक्स रेवेन्यू को नहीं बढ़ाते, इसकी ओर ध्यान नहीं देते तब तक आपकी यह फैक्टरी ठीक तरह से नहीं चल सकती।

आपने रोडवेज में प्राफिट दिखाया है। समझ में नहीं आता कि रोडवेज का राष्ट्रीयकरण आप कर रहे हैं। मेरे ख्याल से तो आप यह राष्ट्रीयकरण टारगेट्स पूरा करने के लिए ही कर रहे हैं। तब तो दूसरी बात है लेकिन हमारे यहां की जो बसें चल रही हैं उनको तो आप हटा रहे हैं और दिल्ली वालों की बसें वहां चला रहे हैं तो यह कौनसा तरीका है समाजवाद का ? हमारे यहां के कन्डक्टर्स, हमारे यहां के ड्राईवर्स और जो गाड़ी चलाने वाले थे उनसे आपको कौनसी एलर्जी हो गयी कि उनको तो आप भगा रहे हैं और दिल्ली वालों को बुलाकर रूट पर उनकी गाड़ियां चला रहे हैं। यह कौनसा तरीका है, मेरी तो समझ में नहीं आता। जो लोग बेरोजगार हुए हैं उनको आप भरती नहीं करना चाहते हैं। अब वह बूढ़े हो गए तो कैसे उनका जीवन का साधन होगा और कैसे वह अपना धंधा चला पायेंगे। बार-बार आश्वासन यह मिलता है कि हम उनको ले लेंगे, हाउस में भी आप आश्वासन दे देते हैं लेकिन उनको तो भगा रहे हैं और दिल्ली वालों को ला रहे हैं तो निःसन्देह उनमें असन्तोष बढ़ेगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आपके पास गाड़ियां नहीं है तो फिर उनको धंधे पानी से हटाने से कोई सेन्स

(श्री अजीत सिंह)

नजर नहीं आता। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप इस पर पुनर्विचार करें। आप अपना टार्गेट पूरा करें, राष्ट्रीयकरण करें मैं इसका विरोध नहीं करता हूं लेकिन टार्गेट पूरा करने के लिए आप उनको रोजगार भी साथ साथ दीजिए। इससे आपकी स्टेट वालों को ही फायदा होता है।

(2.52 म. प.)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पीठासीन)

गरीबों को जो आपने बेरोजगार कर दिया है वह किसी भी तरह से उचित नहीं है इसके ऊपर आप फिर से विचार करने की कृपा करें।

सभापति महोदय, गृह निर्माण समितियों के बारे में मुझे विश्वास नहीं है कि इससे आप हमें कोई हाऊस देंगे। माननीय सभापति महोदय, यहां सदन के सदस्यों को ही आज 25 साल में हाऊस नहीं मिल पाया तो दूसरों को यह समितियां कब मकान देंगी, समझ में नहीं आता है। हमारे कुछ विधायक ही किराये के मकानों के लिए फिरते रहते हैं और आप हर साल कहते हैं कि हम 50 मकान विधायकों के लिए बनायेंगे लेकिन आप बनाते नहीं हैं। यह कौनसा समाजवाद है कि मुख्य मंत्री इतनी बड़ी कोठी में बैठते हैं और दूसरे विधायक धावाईजी की हवेली में रहते हैं और आप वहां जाकर तो देखिये कि कितनी पेशाब की बदबू आती है। आप क्या समाजवाद लायेंगे ? इस नारे से आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं। यह कोई प्रजातंत्र नहीं है।

इसी के साथ-साथ, सभापति महोदय, मैं कुछ उर्दू के बारे में निवेदन करूंगा। उर्दू को प्रोत्साहित करने के लिए आपने एक अकादमी स्थापित की है। सभापति महोदय, मेरी कान्स्टीटुएन्सी टौंक के अन्दर उर्दू का बहुत प्रचार है। वहां उर्दू के जानने वाले भी हैं और पढ़ने वाले भी हैं लेकिन वहां कालेज में उर्दू नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन तक। तो जब वहां ही उर्दू नहीं है तो फिर अकादमी कैसे चलेगी ? कोरी कागजी बात लिखकर आप लोगों को गुमराह करते हैं। यह उचित बात नहीं है। आपने कई दफा कहा था कि हम डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स पर कालेजेज खोलेंगे। क्या वह खुले हैं ? उनके खोलने का नाम ही नहीं है। आपने कहा था कि हम इन्टरमीडियेट कालेजेज खोलेंगे एस. डी. ओ. हैडक्वार्टर्स पर लेकिन उससे आप हटकर वापिस मिडिल स्कूल पर चले गये और मिडिल स्कूल की तो अब कहीं आवश्यकता महसूस ही नहीं होती है। तो हमारी प्रधान मंत्री की बीस सूत्री कार्यक्रम का एक सूत्र है और क्योंकि प्रधान मंत्री ने कहा है इसलिए वह खोल रहे हैं लेकिन आवश्यकता के अनुसार और माननीय सदस्यों की भावनाओं के अनुरूप आपको काम करना चाहिए था। लेकिन उसको छोड़कर आज न तो इन्टरमीडियेट कालेज खोलने की आपने व्यवस्था की और न डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स पर पोस्ट ग्रेजुएट कालेज खोलने की व्यवस्था की। आपने किसी बात को भी पूरा नहीं किया। आप तो हर बार मुकर जाते हैं। यह बजट है या तमाशा है ? यह तो बनियाशाही बजट हो गया जो कभी घट गया और कभी बढ़ गया। स्वीकृतियां हो जाती हैं लेकिन वह फिर वापिस रिवाइज

(श्री अजीत सिंह)

हो जाती है और उनके ऊपर पैसा ही खर्च नहीं होता है। कई आइटम्स जो कि संक्शन किये थे और बताया था कि इसके लिए इतना पैसा देते हैं लेकिन वहां काम ही नहीं हुआ। तो यह बजट है या तमाशा है ? किसी डिस्ट्रिक्ट का कोई पता ही नहीं कि किस योजना पर कितना पैसा लगा। बजट पढ़ते हैं तो समझ में ही नहीं आता। जब तक सभापति महोदय, इस बजट को इस तरह नहीं बनाया जायेगा कि हमारे जैसे अन्जान लोग भी जान जायें कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में कितना पैसा किस योजना के लिए मिला तब तक हम क्या इसके बारे में बातें कर सकते हैं। यह तो अंधा काम है जितना मिल गया उतना मिल गया और जो पीछे रह गया वह रोता रह गया। इसलिए आवश्यकता के अनुरूप आप प्लान बनाइये और उसके अनुसार काम कीजिये चाहे वह एजुकेशन हो, या और दूसरे काम हों। डिस्ट्रिक्ट वाइज उसको आप कीजिए तब जाकर सन्तोष मिलेगा। हमारे विरोधी दल के लोगों की तो आप कोई बात सुनना ही नहीं चाहते और अभी मोहर्रसिंहजी कह रहे थे कि वह कुछ कहते हैं तो खेतसिंह जी तो मुंह ही फेर लेते हैं। हम प्रजातन्त्र में चुनकर आये हैं। जनता ने क्या गुनाह कर दिया कि आप वहां काम नहीं कराना चाहते हैं ? आपसे निवेदन करना पड़ता है कि जो जनता के आम काम हैं उनको आप करो। हम कोई विशेष रियायत आपसे मांगते हों तो न दें लेकिन जनता की आवश्यकता के लिए आप मुंह फेरकर बैठ जाओ तो वह उचित नहीं है। और आप नहीं देखना चाहते हैं कि विरोधी पक्ष वाले यहां बैठें तो फिर हमारी छुट्टी करो और एक पार्टी रूल करो। यह ज्यादा उचित व्यवस्था होगी। अगर यहां आप हमको बैठायेंगे तो हम चुन कर आये हैं और हमारी बात कहना हमारा दायित्व हो जाता है और उसको सुनकर पूरा करना आपका फर्ज हो जाता है।

इसी तरह, सभापति महोदय, नशाबन्दी कई जगह हुई है। गुजरात वालों ने भी अपने यहां किया है। यह मैं नहीं मानता कि नशाबन्दी करने से जो कण्ट्री लीकर बनता है वह ज्यादा बनने लग जायगा। इससे कण्ट्रीलीकर ज्यादा बनने लग जायगा। अगर ज्यादा बनने लग जाएगा तो सरकार क्या करेगी ? आप लोग क्या करते हैं ? आपकी खुद की अपनी जो व्यवस्था है, जो आपने पकड़ने वाले लगाये हैं वे ही मिले रहते हैं, उनसे टैक्स ले रहे हैं। हमने बराबर हाऊस में इस बात को कहा है, बड़े खेद की बात है और आज भी यह बात कह रहा हूं कि आज यह हालत है कि कण्ट्री लीकर बन रहा है, बड़े ठाठ से बन रहा है। उनका पैसा बन्धा हुआ है उसका पेमेंट कर देते हैं, आबकारी विभाग वालों को पेमेंट कर देते हैं और यह धन्धा चल रहा है। आप भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं लेकिन इस तरह से जो शिकायतें होती हैं उनको कोई सुनता नहीं है, कोई ध्यान नहीं देता हैं। इस तरह से आड़ ली जाती है। इसी तरह से आपने अफीम और भांग पर टैक्स बढ़ाया है। उसके सम्बन्ध में माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरी डिस्ट्रिक्ट में जो अफीम पर टैक्स बढ़ाया है देवली में, हमारी सारी डिस्ट्रिक्ट में अच्छा प्रोडक्शन होता है। इसकी फौरन

(श्री अजीत सिंह)

करेंसी अच्छी मिलती है। काश्तकार को अच्छा पैसा मिलता है। रोजगार मिलता है। यह बड़ा अच्छा धन्धा है बशर्ते चोरी वगैराह नहीं होने दें कन्ट्रोल करके। इसलिए जो इसके ऊपर यह कहा कि ज्यादा अफीम खाने लग जायेंगे, कोई बात नहीं है। आपकी व्यवस्था है, आपको इन्तजाम करना चाहिए कि इसका दुरुपयोग नहीं हो। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि अफीम की खेती को प्रोत्साहित किया जाय। इससे रेवेन्यू बढ़ेगी और इससे ज्यादा राज्य सरकार का फायदा होगा।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

एक मिनिट में समाप्त करता हूं। इसके साथ ही आपने बैंकों के सम्बन्ध में व्यवस्था की। मैं बैंकों के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि आपने इधर तो काश्तकारों को बैंकिंग ऋण जो मिलना चाहिए था वह नहीं दे रहे हैं। जो फैसेलिटी होनी चाहिए थी वह नहीं दे रहे हैं और उधर आपस के अन्दर जो लोग लेन-देन करके, महाजन से लेकर या और किसी से उधार लेकर काम चलाते थे उस पर आपने बैन लगा दिया है। इससे भयंकर स्थिति खड़ी हो गई है। अब आवश्यकता पड़ती है तो बेचारे बड़े परेशान होते हैं अपने गहने वगैरह रख कर काम निकालना पड़ता है। इसलिए या तो आप इसको वापस लीजिए या आप बैंकों की व्यवस्था करें जहां से उनको ऋण मिल सके। चार बैंक राजस्थान में खोल कर बड़े खुश हो रहे हैं कि हमने व्यवस्था कर दी, हमने लेन-देन बन्द कर दिया लेकिन इससे गांवों की इकोनोमी खराब हो गई है। इसलिए इस पर आप पुनर्विचार कीजिए। जो सोसाइटियां हैं उनमें भी भ्रष्टाचार है इन पर कन्ट्रोल करिये। तभी जाकर लाभ पहुंचेगा। बड़े जोर शोर से मेरी डिस्ट्रिक्ट में भी सदस्यों की संख्या तो काफी कर ली लेकिन ऋण किसी को नहीं दिया। कोरी सदस्यों की संख्या बढ़ा लेने से कोई फायदा नहीं है जब तक कि आप उनको ऋण नहीं दें। इससे गांव की सारी पब्लिक खराब हो जाती है और गरीब लोग दुखी हैं। इसलिए आप इसकी तरफ भी व्यवस्था करेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं।

श्री सभापति : श्री भोपालसिंह।

श्री भोपालसिंह (जैसलमेर) : सभापति महोदय, माननीय सदस्यों की प्रतिक्रिया मैंने दो दिनों से सुनी। बहुत सी प्रतिक्रियायें माननीय सदस्यों ने व्यक्त की हैं कि यह बजट प्रतिक्रियावादी बजट है, किसी ने कहा कि बजट किसानों के खिलाफ है लेकिन बार-बार इसको पढ़ने के बावजूद, राजस्थान के आर्थिक संतुलन को देखते हुए, हमारे राष्ट्रीय लक्ष्यों की ओर देखते हुए और राष्ट्रीय प्रायोरिटीज को देखते हुए और हमारे सम्भावित रिसोर्सेज मोबीलाईजेशन को देखते हुए इन परिस्थितियों में जो यह बजट पेश किया गया है मेरी राय में यह नीयर आइडियल बजट है। आप जानते हैं कि आज कल हमारा जो अप्रोच है डवलपमेंट की तरफ वह बिल्कुल बदल गया है। पिछले 25 साल के अन्दर जो हमारा रुख था उसके अन्दर हमने तब्दीली करना जरूरी समझा। पहले हमारे सामने केवल एक उद्देश्य था

(श्री भोपालसिंह)

कि ज्यादा से ज्यादा पैदाइश हो। Growth alone was God. पहले हमारा केवल यही लक्ष्य था कि how much production and how fast. लेकिन इसका नतीजा यह निकला कि न तो सामाजिक न्याय हुआ और न स्थिरता ही आई और इसमें जो कुछ भी प्रोडक्शन के लाभ हम चाहते थे कि छोटे लोगों को मिलें वह भी धनवान तबके को ही मिला है। अभी सब जगह यह महसूस किया जाने लगा है कि जो हम यह समझते हैं कि हमारा लक्ष्य आलमोस्ट अचीव हो गया है इस रुख में तब्दीली होनी चाहिए। यहां तक कि वर्ल्ड बैंक जो बहुत ही कंजरवेटिव इन्स्टीट्यूशन्स मानी जाती है, उसने भी अपना रुख बदल लिया है और वह भी यह समझते हैं कि हमारा उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए कि how much production and how fast बल्कि what should be produced and how it should be distributed. तो अब हमारा एम्फेसिस बिल्कुल रिवर्स में चला गया है। डाक्टर मकबूल हुसैन ने, जो विश्व बैंक के एक एक्सपर्ट इकोनोमिस्ट हैं, भी कहा है कि आज कल जितनी भी डवलपिंग इकोनोमीज में प्रवृत्ति है वह बिल्कुल गलत रही है और इसके दोष जो हैं उससे उसके नतीजे भी गलत रहे हैं। होना तो यह चाहिए कि जो हमारे सामने गरीबी है उस पर सीधा अटेक होना चाहिए। और अभी तक हमारी धुन यही रही कि प्रोडक्शन बढ़ा कर ही हमने समझ लिया कि इससे गरीबी हट जायगी। प्रिंसिपली हमने इस Economic सिस्टम पर विश्वास किया कि जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ेगा, धन बढ़ेगा वैसे ही, इसके साथ ही गरीब जो हैं वे धनवान होते चले जायेंगे। लेकिन वह नतीजा नहीं निकला नतीजा यह निकला कि जो धनवान थे वे और अधिक धनवान होते चले गये, और जो गरीब थे वे और भी गरीब होते गए और पिछले दिनों में देश में जो इन्फ्लेशन बढ़ा उससे गरीबों की हालत और भी गंभीर बन गई। यह सब परिस्थितियां हैं। हमारा जो परसूएट था कि जनता का स्तर ऊंचा उठेगा या जनता की औसत आमदनी बढेगी यह बिलकुल गलत था और इसीलिये हमारे राष्ट्रीय जो लक्ष्य हैं, जो कार्यक्रम हैं वह बिलकुल आज रिवर्स में आ गए हैं। और आज हमारा योजना आयोग भी यह कह रहा है, केटेगरिकली यह कार्यक्रम दिया है और वह है इन्टेंसिव एम्प्लायमेंट प्रोग्राम और दूसरा है मिनिमम नीड प्रोग्राम। हमें अब यह देखना है कि वह हमारा बजट उन लक्ष्यों की प्रोपर्ली पूर्ति करता है या नहीं, इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करता है या नहीं और उन लक्ष्यों की पूर्ति करने का प्रयास करता है या नहीं। अगर यह करता है तो अपने आप में एक आइडियल बन है। मैं समझता हूं कि आखिर इन्हीं प्रोग्राम के जरिये से आम और से खुशहाली लाई जा सकती है। इन्डीविजुअल आईडेंटिफिकेशन आफ दी पूवर वैसे जो सन् 71 के अन्दर Routh व डांडे करने स्टडी की। उस स्टडी से मालूम हुआ कि हमारे यहाँ करीब फिफ्टी पर्सेंट बिलो पावर्टी लाइन है। और पावर्टी लाइन के लिए उन्होंने यह नोर्म रखा कि जिस व्यक्ति

(श्री भोपालसिंह)

का एन्यूग्रल कन्जम्पशन 200) रु. से कम हो वह दो सौ रुपये से कम वाला पावर्टी लाइन से नीचे आता है। यह पावर्टी लाइन होने के कारण वहां माल-न्यूट्रेशन, प्रिवेन्शन होता है। ऐसे जो पावर्टी लाइन से नीचे लोग हैं आज हमारा उद्देश्य उनको गरीबी से उभारने के लिए है। अब यदि हम इन नोर्म्स को देखें तो यह जो कार्यक्रम हमारे प्लानिंग कमीशन ने दिया है वह कार्यक्रम इस प्रकार है :

"Minimum intensive programme dealing with minor irrigation, soil conservation, development of animal husbandry, forestry, efficient warehousing and marketing, small scale industry and special programmes for tribals, small and marginal farmers, landless labourers and drought prone area programmes."

अगर आप इस बजट स्पीच का अवलोकन करें, बजट का अवलोकन करें तो आपको मालूम होगा कि इनमें से किसी मद के अन्दर कम है तो किसी मद के अन्दर ज्यादा है। वित्त मंत्री को भी अपनी एक कसौटी होती है, उसकी भी एक सीमा होती है, उसके अलावा उसके पास और साधन क्या हैं? वैसे योजना का आकार बढ़ा है। वह बढ़ा है पहले से और इसलिए हम यह तो नहीं कह सकते कि कोई प्रयास नहीं किया गया है और जो प्रयास किया गया है, जहां कहीं कोई इन्कम के रिसोर्सेज को टच करने की कोशिश की गई है और उसमें यह प्रयास भी किया गया है कि धनवान किसानों से कुछ पैसा लेना चाहिए और यहां पर उसके खिलाफ कुछ आवाज भी उठाई गई है। मैं बड़े अदब से निवेदन करना चाहता हूं कि मैं उनसे सहमत नहीं हूं। हरएक कोई भी इरिगेशन सिस्टम हो, कोई डेम बनता है उसकी इकोनोमि वर्क आउट होती है। उसका कास्ट आफ प्रोडक्शन बीयर होना चाहिए, उसका रिटर्न बीयर होना चाहिए, उसकी आपरेशनल कास्ट बीयर होनी चाहिए, उसकी इकोनोमिक्स में है. मेंटीनेंस कास्ट बीयर होनी चाहिए। उसके अन्दर कास्ट आफ रिप्लेसमेंट बीयर होना चाहिए यह उस सिस्टम की इकोनोमिक्स में शामिल होता है।

आखिर यह भार कौन वहन करे? आप 440 करोड़ रुपया लगा कर हर साल 27 करोड़ के ब्याज का भुगतान करें कि उससे जो लाभान्वित लोग हैं 5 पर्सेन्ट वे जो कहते हैं उसको मानें और जो 95 पर्सेन्ट लोग हैं उनके विकास के कार्य को अधर-झूल में हम रखना चाहते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार से नहीं छेड़ा जाये और हमारा उद्देश्य कभी भी यह नहीं रहा है। कुछ दिनों पहले स्वर्गीय डी.पी. धर बाड़मेर आये थे। उन्होंने वहां पर यह कहा था हमारे कदम इस प्रकार के होने चाहिए जैसे एक पत्थर फेंके पानी में और उससे चारों तरफ पानी की लहरें (Ripples) बनती हैं। ठीक उसी तरह से there should be ripples of prosperity all around expanding. हमें आईलेन्ड्स आफ प्रास्पेरिटी, विकास के कार्यों के जरिए

(श्री भोपालसिंह)

नहीं करना चाहिए। राजस्थान कैनाल है, उससे जो लोग लाभान्वित हुए हैं, उनमें जो इन्वेस्टमेंट हुआ है उसको 95 पर्सेन्ट लोग शेयर करते हैं टैक्सेज से या और किसी तरह से उस इन्वेस्टमेंट को शेयर कर रहे हैं। किसी तरह से 95 पर्सेन्ट लोग उसको बर्दाश्त करते हैं। तो जो लेजिटीमेट कोस्ट है उसको सभी ने बर्दाश्त किया है। अतः इसके लिए कोई लाजिक नहीं है कि वहां की सिंचाई दर को नहीं बढ़ाया जाये। अगर नहीं बढ़ाते हैं, उनके साथ रियायत करते हैं तो यह कोई न्याय नहीं होगा। हमारे दृष्टिकोण ऐसी ossified व retrograssive क्यों है इस बारे में एक रिपोर्ट है, I can do no better than quote from the book "Poor and the planning." by B. S. Minhas.

"Prospects for a social democracy in India

Among other things, the establishment of a 'social democracy' has now been made an explicit aim of Indian planning. The chances of success in this regard do not look good. This society is riddled with ossified retrogressive social attitudes which are threatening to become even more articulate and extensive. In order to seek evidence for the un-egalitarian attitudes, one does not have to search far and wide. Right inside of Yojna Bhavan, where programmes for establishment of a 'social democracy' are being framed, one is struck by the prevalence of contrary attitudes. Luxurious airconditioned comfort is the monopoly of high civil servants and their bosses, whereas meticulous care is taken to see that their secretarial staff in the adjacent rooms are made to bang cold fingers on their typewriters in winter and smudge away sheets of paper in sweltering heat of May and June. It is true that the Government of a poor country can not provide full comfort to all its employees. Nevertheless, in the distribution of such efforts, a complete disregard of functional efficiency of this distribution is indefensible. Adequate drinking water facilities and neat urinals can give as much satisfaction to the small functionaries as to the high and mighty. But as one moves away from men of signifioance, which means moving vertically up beyond the second to the third, fourth and fifth floors of Yojna Bhawan, one is struck with the sharp decline in standards of sanitation and other amenities. One is not sure whether charity begins at home, but social democracy certainly does not seem to. The other

(श्री भोपालसिंह)

Bhavans in New Delhi do not fare any better. Parking plots are 'reserved'. Toilets bear signs such as 'for officers only.' In some Bhavans, social democracy has made a bit more progress. One sees toilets labelled "for officers and ladies only."

इसी तरह से आज जहां पर धनवान किसान का खेत है, वहीं पर उसका बंगला है लेकिन उसके खेत के एक किनारे पर ही 415 झोंपड़ियां हैं, उसके लिए किसी को परवाह नहीं। जहां कमान्ड एरिया है, उसके पास ही अनकमान्ड एरिया है। पास ही सूखा मुल्क है जैसलमेर, जालोर, किसी की उनके प्रति सिम्पेथी नहीं है They also have a claim. उनका क्लेम ग्रोवर ड्यू है। मेरा यह तात्पर्य है और हम यह चाहते हैं कि हमारी इकोनोमी सेल्फ जनेरेटिंग हो तो इसके लिये यह जरूरी है कि जो साधन सम्पन्न हैं, जिनकी क्षमता है, जिनकी इनवेस्टमेन्ट करने की क्षमता है, उनसे पैसा लिया जाये, टैक्स लिया जाना चाहिये और केपिटल का फार्मेशन होना चाहिये। फरदर इनवेस्टमेन्ट होना चाहिये और इस प्रकार से विकास की गति को बढ़ाया जाना चाहिये। मैं अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, कि यह जो आज दलील दी जा रही है कि 5 पर्सेन्ट के लिए 95 पर्सेन्ट की प्रोग्रेस को इग्नोर कर दिया जाये। यही नहीं, यह कहा जा रहा था कि उनके ऐशो आराम, उनके कम्फर्ट्स के लिए 95 पर्सेन्ट टैक्स देकर उनकी कास्ट को बियर करें। यह कतई न्याय संगत नहीं है और इसीलिए मेरा इसके लिए खिलाफत है और इनको किसी प्रकार की कोई फरदर रियायत नहीं दी जानी चाहिये।

इसके अलावा, सभापति महोदय, करों के बारे में यहां पर कहा गया। एक बात यह कही गयी कि जो फ्रिज है वह कम्फर्ट के लिए होता है। इस पर कैसे टैक्स की छूट दी गयी है। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि सरकार का इस बारे में उठाया कदम एक व्यवहारिक कदम है। यह कहा गया है कि यह रिट्रोग्रेड कदम है। मेरी राय में रिट्रोग्रेड कदम कतई नहीं है। जहां पर टैक्स की वजह से डिमाण्ड कम हो जाती है, या डिमाण्ड बिलकुल नहीं रह जाती है, वहां पर सरकार द्वारा उठाया जाने वाला ऐसा स्टेप्स प्रयुड्न्स होता है। इसके पीछे सरकार का यही उद्देश्य है कि ऐसी कम्पीशन क्रियेट की जावे जिससे कि उस माल की डिमाण्ड बढ़े और डिमाण्ड बढ़ती है तो टैक्स को भी बढ़ावा मिलता है। इसलिए इसके ऊपर यह जो टीका टिप्पणी की गयी है वह devoid of all sense है।

इसी तरह से एक बात और भी कहना चाहता हूं कि हमारा उद्देश्य आज जैसा कि मैंने कहा है, हमारे विकास की आज की समस्या यह है कि there must be selective attempt on the worst problems of poverty. यह हमारे राष्ट्रीय आयोग ने हमारे सामने रखा है और इसके लिए उन्होंने कहा है माल

(श्री भोपालसिंह)

न्यूट्रेशन, इल्लिट्रेसी, अन एम्प्लायमेन्ट, इनइक्वेलिटी, इनको हटाना है और इसके लिए टू प्रोन्गड (pronged) प्रोग्राम है, कार्य-क्रम है, पहला है, इन्टेन्सिव एम्प्लायमेन्ट जैसा कि मैंने बताया है और दूसरा है मिनिमम नीड का प्रोग्राम। इन्टेन्सिव एम्प्लायमेन्ट वह प्रोग्राम है जिसके जरिए वीकर सैक्शन और गरीब को अपार्चुनिटीज दी जाती है ताकि प्रोडक्टिव आपरेशन के अन्दर वह भाग ले सके और अपनी आर्थिक क्षमता को बढ़ा सके। इसी तरह से मिनीमम नीड का वह प्रोग्राम है जिसके अन्दर वीकर कम्युनिटी के वे लोग हैं जो कि डिसएबल्ड हैं, जहां पर लेक आफ एजूकेशन है, माल-न्यूट्रेशन है, हैल्थ कन्डीशन खराब है, उसकी तरफ पहले ध्यान दिया जाये। इस तरह के प्रोग्राम मीनिमम नीड प्रोग्राम में है। इन आइटमों के लिए बजट में पैसा प्रोवाइड किया गया है जैसे कि सोशल सर्विसेज हैं–एजूकेशन में 56 प्रतिशत है। इसी तरह से चिकित्सा की सर्विसेज के लिए हैं और इसी प्रकार दूसरे मदों पर खर्च किया जा रहा है। आर्थिक सेवाओं पर व्यय किया जा रहा है हालांकि आर्थिक सेवाओं का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि सोशल सर्विसेज एकनार्म है जिससे यह मालूम होता है कि इस देश में सोशल सर्विसेज पर बजट का इतना परसेन्ट दिया जा रहा है। सोशल सर्विसेज से ही इस बात का पता चलता है वह एक समाजवादी देश है और वह देश एक वेलफेयर स्टेट है या नहीं। अगर आप यह कहना चाहें तो कह सकते हैं कि एक वेलफेयर स्टेट की प्लानिंग इस बजट में प्रतिबिम्बित होती है। यह कहें कि सोशलिस्ट प्लानिंग की डिमाण्ड्स इस बजट के द्वारा पूरी की जा रही है कि नहीं, तो कह सकते हैं, की जा रही है। इसके एक-दो यह इन्डीकेटर हैं। पहले यह कहें कि पावर्टी पर डाइरेक्ट अटेक इस बजट के द्वारा किया गया है या नहीं, या यह कहें कि इस बजट के द्वारा लोअर और हायर इन-कम के बीच जो दरार हैं, उस दरार को इस बजट के द्वारा घटाया जा रहा है या नहीं, कन्जूमर या जो मास गुड्स हैं, उनके अधिक पैमाने पर मुहैय्या कराने के, उनके बारे में कोई कदम इस बजट के द्वारा उठाये जा रहे हैं या नहीं, और इस बजट के द्वारा सोशल सर्विसेज की नीड को कितना पूरा करने का प्राविजन किया जा रहा है, इन चार चीजों को कवर करने की दृष्टि से इस बजट को देखें तो मैं नहीं कह सकता कि इनके लिए कोई राशि या बिलकुल राशि का प्रावधान नहीं किया गया है। यह नहीं कह सकते कि सोशल सर्विसेज की राशि को बिल-कुल घटा दिया गया है। सोशल सर्विसेज अपने आप में एक पैमाना है। यह कहें कि कन्जूमर गुड्स को इस तादाद में पैदा करने की कोशिश की गयी है या नहीं जिससे कि आम जरूरत पूरी हो सके या उसके माफिक है तो यह कह सकते हैं उस दिशा में यह एक प्रयास है जो बिलकुल इस बजट के अन्दर दिखाई देता है और वह it is subject to the limitations of the funds available.

और हर तरह से पहली दफा एक प्रयास किया गया है कुछ जगह कर बढ़ाने का या रेट बढ़ाने का या कीमत बढ़ाने का उसकी तरफ हमारी एक प्रतिक्रिया है मुका-बला करने की। मैं कहता हूं कि इन परिस्थि-

(श्री भोपालसिंह)

तियों को राजस्थान के लिए सफल नहीं बनने दिया जाय। हमारे वह दिन लद गये कि जब हम समझते थे कि हर चीज आसानी से मिल जाय, वे फेयर के नाम से मिल जाय। हमें एक इकोनामिक डिसिप्लिन, एक सोशियल डिसिप्लिन अपनाना पड़ेगा, और फर्ज के नाते कुछ चीजें त्याग करके देश के लिए देनी पड़ेगी तभी एक सेल्फ-जेनेरेटिंग इकोनामी हो सकती है, और इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जितना भी बजट के अन्दर कहा गया है इन परिस्थितियों के अन्दर, राजस्थान के इस इकोनामिक स्टेज, डेवलपमेंट के स्टेज पर और राष्ट्रीय लक्षणों को देखते हुए और प्राथमिकताओं को देखते हुए वह बहुत कुछ, मैं समझता हूं, वित्त मंत्री ने इन परिस्थितियों के लिए बहुत कुछ किया है, जिसके लिए वह धन्यवाद के पात्र हैं।

श्री सभापति : श्री रामरघुनाथ।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) : आदरणीय सभापति महोदय, वित्त मंत्रीजी ने जो आपातकालीन स्थिति के दरमयान यह बजट रखा है उसका समर्थन करते हुए मैं कुछेक दूसरी बातों पर जो इस बजट से सम्बन्ध रखती है आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

देश में अराजकता बढ़ी, अशान्ति बढ़ी उसके बाद आपातकालीन स्थिति घोषित की गई, और उससे आशा और उमंग बढ़ी और आशा और उमंग की लहर के साथ हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को और खास तौर से छोटे काश्तकारों या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वालों को रहने के लिए भूखण्डों का आवंटन किया गया। उस आवंटन के सम्बन्ध में, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि शहरों के रहने वाले और गांवों के रहने वाले लोगों को जो भूखण्ड रहने के लिए आवंटित किये गये उनमें थोड़ा अन्तर होता है। हमारे गांवों में जो भूखण्ड आवंटित किये गये वह 10 बाई 15 गज के थे। आप अन्दाजा लगाइये कि एक काश्तकार जो गांव में रहता है उसके पास बकरी और मवेशी भी रहती हैं तो कुल मिलाकर वह इस जमीन पर कैसे गुजारा कर सकता है। अगर आपने दिये हैं और यह चाहते हैं कि जिन लोगों के पास रहने को मकान नहीं है वे खेतों में रहते हैं या गांव से दूर ढाणी में रहते हैं, उनको सुविधाजनक प्लाट दिये जायें और वे ठीक तरह से रहें, तो ठीक तरह से उनको जमीन दी जानी चाहिए। इसलिए यह बात अखरने वाली बात है।

इसके साथ ही जिन लोगों को प्लाट्स दिये गये उनमें इस तरह के लोग भी थे जिनके पास आलरेडी प्लाट्स हैं या सरकारी कर्मचारी हैं उनको दिये गये, और वह लोग भी उसमें घुस आये जिनके पास आलरेडी जमीन है, और मैं विशेष तौर से इसलिए कहता हूं कि मेरे क्षेत्र में कई ऐसे लोगों को प्लाट्स दिये गये हैं इससे गांव में खुशी होने के बजाय झगड़ा बढ़ गया। जिनको वास्तव में जरूरत थी उनको प्लाट्स नहीं मिले और उनको कब्जा नहीं करने दिया। इस 20 सूत्री कार्यक्रम को गांवों में महसूस कराने के लिए आवास सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दिये हैं तो हम वहां जाकर

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

असफल हो जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए दुबारा इस को देखें कि किसी को पक्षपातपूर्ण रवैये से रहने के भू खण्ड दे दिये गये हैं तो उनसे वापिस लिये जायं।

इसके साथ ही गांवों के अन्दर इस तरह की बयार चली थी कि जिन लोगों ने नाजायज कब्जे कर लिये हैं चाहे वह विरोध में हों या पक्ष में हो लेकिन वे गांवों में काफी वजन रखते हैं उनके नाजायज कब्जे उठवा दिये जायेंगे। जो ग्राम रास्ते हैं, गोचर की जमीन है उनको कब्जे में कर लिया है उनको उठवा दिया जायगा, लेकिन उन पर गौर नहीं किया गया, और आज भी वे उसी तरह से जमे हुए बैठे हैं, और कई लोग जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं और जिन्होंने कोई नाजायज कब्जा किया नहीं है, लेकिन पार्टी के अन्दर इस तरह की फूट है कि नाजायज तौर पर उन को तंग करने के लिए उन पर मुकद्दमे चलाये गये हैं। उनके साथ में जनसंघ और विरोधी पार्टी के जो लोग हैं जिन्होंने खून खच्चर करने की स्थिति पैदा की थी, जिन्होंने अराजकता फैलाई थी वह आज जमीनों पर काबिज हो गये है कब्जा किये हुए बैठे हैं, उन पर गौर नहीं करते हैं। उनके बारे में सरकार को या सम्बन्धि। अधिकारियों को याद दिलाई गई तो उसके बावजूद भी वे मौन हैं। ऐसा लगता है कि 20 सूत्री कार्यक्रम का और सरकार का उन पर कोई असर नहीं हुआ है।

मैं इसके साथ ही सहकारिता पर कहूं। सहकारिता के सम्बन्ध में जो कामना की है और वित्त मंत्रीजी ने जो प्रावधान किया है वह सराहनीय है। उन्होंने कमजोर वर्ग को सहायता देने के लिए एक तिहाई स्थान सुरक्षित रखे हैं और इसके साथ ही गांवों के अन्दर सहकारिता की सदस्यता भी बढ़ी है जो कि करीब आज 2,70,000 के करीब बढ़ गई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सदस्यता सुरक्षित और इतनी सदस्यता और बढ़ा दी गई, लेकिन जो सैन्ट्रल बैंक है और भूमि विकास बैंक हैं उनकी गांवों में स्थिति ऐसी है कि वह लोन नहीं दे सकते, डिटर होते जा रहे हैं। रिकवरीज बराबर होती नहीं हैं। इसके जिम्मेदार सामूहिक रूप से वह लोग हैं जो उन पर प्रशासक बने हुए हैं। बहुत से ऐसे बैंकों में प्रशासक लगे हुए हैं जो कि डेपुटेशन पर हैं जिससे खर्चा बहुत ज्यादा होता है। इसलिए यह सब कुछ करने के लिए गांवों में इतने बड़े पैमाने पर सदस्य बना दिये हैं तो वह सोचकर चलते हैं कि हमें सहकारी बैंक की तरफ से फायदा होने वाला है। लेकिन सहकारी बैंकों की स्थिति ठीक नहीं है तो फायदा नहीं ही होगा। तो इसका नतीजा यह होगा कि जिस योजना के अन्दर सदस्यता बढ़ी है और लोगों में जोश भरकर उनका मानस बनाया है कि वह सदस्य बनें तो वह मायूस हो जायेंगे कि बैंकों से कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। इसलिए बैंकों की आज की हालत को सुधारा जाय। उन पर ओवरड्राफ्ट्स हैं और लोगों में पैसा बाकी है। लोगों से रिकवरीज क्यों नहीं होती है? वह इसलिए कि अकाल पड़ गया, फ्लड आगये, कुछ स्थिति ऐसी है। उसके बाद में अनाज सस्ता हो गया और अनाज के भाव गिर गये तो उनकी ताकत नहीं है कि पुराना कर्जा चुका

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

सकें। जब पुराना कर्जा नहीं चुका सकते तो ऐसी स्थिति में बैंकों की हालत सुधारने के लिए क्या करना चाहते हैं इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इस बात पर गौर करके उन बैंकों की हालत सुधारी जाय। और भूमि विकास बैंक के लिए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे राज्य में तीन बैंक कुछ ठीक हैं और सारे बैंकों की स्थिति ऐसी नहीं है जो कि लोगों को माइनर इरिगेशन के लिए या कुओं के लिए लोन देकर प्रोग्रेस इलाके की कर सकें। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि उनकी स्थिति को सुधारा जाय।

सहकारिता के साथ साथ मैं कृषि पर कहता हूं। सभापति महोदय, कृषि के अन्दर आप देख लें कि बीज महंगा मिला था, खाद महंगा हो गया है, और बिजली पूरी नहीं मिलती, और मिलना शुरू हुई थी तो महीने दो महीने में फसल ठीक होने लगी तो कनेक्शन काट दिये। कनेक्शन काटने की कई वजह हैं उसके ऊपर बाद में कहूंगा। 300 रुपये क्विन्टल पर बीज मिला वह धान बाजार में आयेगा तो पहले तो उसका खरीदने वाला कोई नहीं है और अगर खरीद भी हुई तो 60, 70 या 90 रुपये क्विन्टल पर जाकर गेहूं की कीमत ठहरेगी। यही हालत बाजरा और मूंग और मोठ की होने वाली है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार वह विश्वास ही न दिलाये बल्कि इस बात की गारन्टी भी दे कि आने वाली जो रबी की फसल है उस फसल में जितना भी गेहूं बाजार में आने वाला है, जितना भी जौ या दूसरा और अनाज आने वाला है, विशेष तौर से गेहूं के लिए सपोर्टिंग प्राइस फिक्स्ड की हुई है 105 रुपया क्विन्टल तो सारा बाजार में आने वाला गेहूं राज्य सरकार खरीदेगी ताकि किसान जो सस्ते भावों में अनाज देने वाला है तो उसकी स्थिति तो पहले से गिर चुकी है वह और गिरकर डावां-डोल न हो।

आज सवेरे ही एक प्रश्न था कि गेहूं में रोली हो गई, जौ में रोली हो गई तो कुल मिलाकर हालत यह हो रही है हमारे यहां की आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि आप कहते हैं कि 75 लाख टन अनाज होने वाला है, लेकिन जो नुकसान हुआ है उसका अन्दाजा लगायेंगे और जो खर्चा हुआ है उसके नुकसान को ध्यान में रखकर उसको कैलक्युलेट करते हैं तो कतई फायदा होने वाला नहीं है। लाख मंत्री जी ने कहा था कि हमने कहा था कि यह गेहूं मत बोओ। अगर वह नहीं बोते तो क्या बोते ? जो वेराइटीज पैदा होती है वही बोई जाती है। आपने जो वेराइटीज बताई वह जो भूमि सिंचित होती है वहां पर ही बोई जाती है। असिंचित क्षेत्र में लोकल वेराइटी का गेहूं नहीं बोते तो क्या बोते ? मैं दावे के साथ कहता हूं बल्कि चैलेन्ज के साथ में कहता हूं कि कोई वेराइटी नहीं है जो असिंचित क्षेत्र में वहां की क्लाइमेटिक कन्डीशन्स को देखते हुए बोई जाय। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपके पास बचाव के लिए दवाइयां हैं, स्टाफ है और सारा राज्य सरकार का कृषि विभाग लगा हुआ है वह इस बात पर गौर नहीं करता है कि रोली

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

लगेगी तो बचाव करेंगे, और रोली एक ऐसी चीज है कि जिसके आने से पहले किसान और सरकार दोनों को मालूम हो जाना चाहिए और उनको सजग हो जाना चाहिए। सम्भवतः माननीय सदस्यों को मालूम हो कि रोली आने के पहले वह दूब या छोटे प्लान्ट्स को लगती है।

मैं सभापति महोदय यह बताना चाहता हूं कि रोली आने के पहले बादल होते हैं। ह्यूमेडिटी ज्यादा होती है। सभापति महोदय, राजस्थान में होना ही बेकार है। जिस दाने में रोली लग जाती है, उस दाने में फिर अनाज नहीं पड़ता है। जिस पर हमारी सारी आर्थिक नीति निर्भर है, उस पर राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हमारे यहां पर और कोई सोना-चांदी की खानें नहीं हैं। इसके साथ ही भेड़ पालन के बारे मे मैं निवेदन करना चाहूंगा।

(3.30 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

बरसात मे ऐसी सरदी आई कि उन लोगों की बहुत सी भेड़ें मर गई। उन लोगों का बहुत नुकसान हो गया उन लोगों का रहना और जीना मुश्किल हो गया है। इस तरह की कोई घटना हो हवा चले जिससे भेड़ें मरें तो उसका ध्यान रखना आवश्यक है। ताकि उनको लोन देकर उनको जिन्दा रखा जा सके। हम हरित क्रांति ला चुके हैं। प्रोडक्शन बढ़ा है। पहले हम खेती कम हैक्टेयर में करते थे। अब इस साल 27 हजार हैक्टेयर भूमि में कृषि की जाएगी लेकिन जमीन के बढ़ने से टोटल प्रोडक्शन में फर्क पड़ा है। हमारी कृषि व्यवस्था से कितना फर्क पड़ा है। हमने कितनी जमीन काश्त के लिए बढ़ा ली है। कितनी बढ़ाने जा रहे हैं। इसके बाद अब श्वेत क्रान्ति आ रही है। हमारे इलाके में वह नयी नयी शुरु हुई है। गांव वालों को प्लान्ट वालों को दूध देना चाहिए। टाइम पर ले जाने की बात है। उन्होंने फेट कन्टेण्ट 5% कम कर दिया किससे कहा जाये? कोई सुनने वाला नहीं है। अगर कोई ज्यादा कहता है तो कहते हैं, तुम्हारा दूध फट गया है। फट जाने पर आधी कीमत देते हैं। इस प्रकार से उनको नुकसान होता है। यह हालत है श्वेत क्रांति की। साथ में सहकारिता जुड़ी हुई है। अगर इसको अभी से चैक नही किया गया तो बहुत भ्रष्टाचार होने वाला है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, इस प्रकार के कार्य करने की आवश्यकता है ताकि यह चल सके। यह इतना बड़ा प्रावधान है दूध का जिसमें कि प्लाण्ट लगा रहे हैं। बाहर से जो गायें आयेंगी उनको क्रास कराया जाएगा। उनकी नसल सुधारी जाएगी। कितनी गाय ले सकते हैं इसका अलग से कुछ नहीं है।

इसके बाद बिजली पर आ जाइये। एग्रीकल्चर के लोग अब यह सोचने लगे है कि बिजली को कतई बन्द कर दिया जाये तो कोई नुकसान नहीं है। मैंने जिलाधीश महोदय के साथ मिल कर कई मीटिंग की हैं। उनका भी मानना है कि बिजली के बजाय डीजल आयल, क्रूड आयल लगाकर काश्तकार ज्यादा अच्छा कर सकेगा बजाय बिजली की मशीन लगा कर काम करे। अब

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

बिजली के जो बिल आ रहे हैं, उनके अन्दर पिछले साल का बिल लगा कर भी भेजा है वह भी जोड़ दिया है जब कि पिछले साल में चली नहीं। उसके बारे में वह अलग से देने के लिए तैयार नहीं है। वह वेरीफाई करने के लिए पटवारी से कहते हैं वह मानने के लिए तैयार नहीं है। काश्तकार बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है बिजली मन्त्रीजी यहां पर बिराजे हैं। वह व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। खेत और बिजली वालों का कोआर्डिनेशन नहीं है। मैंने पिछले साल भी इस बारे में निवेदन किया था आप बिजली को घटा नहीं सकते हैं। जो कुछ गांवों में कुए हैं। आपने 10,900 कुओं का टारगेट बताया है। आप कनेक्शन्स देते हैं तो उनको ठीक करें। डीजल ट्रैक्टरों में जलाते हैं। क्रूड आयल डीजल से महंगा है। इसलिए आप उनको सस्ता कीजिए। इस आधार पर अन्तर नहीं आता है। इसको आप लागू कर सकते हैं। ताकि वह गुजारा कर सकें।

श्री उपाध्यक्ष : दो मिनिट में समाप्त कर दीजिए।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : 5 मिनट में समाप्त कर देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : गवर्नमेंट का रिप्लाई होगा।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : मिनिमम चार्ज करते हैं, वह मान कर आपने कट कर दिया नोटिस नहीं दिया। बिजली में कट कर दिया। तो मिनिमम चार्ज में कट कर दिया जाये। अगर बिजली ज्यादा जले तो मिनिमम चार्ज में कीजिए। इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करने वाला था, आपको परेशानी इतनी है। जब टाइम आयेगा तो ड्यूटी पर जायेंगे। ए.ई.एन. आयेंगे। कनेक्शन जोड़ देंगे। लाइन मैन घर बैठा रहता है। फसल में रात में पानी देना है। सवेरे पता चला कि बिजली चली गई। तो यह छोटी मोटी कठिनाइयां जो छोटे मोटे लोग करते हैं तो इससे प्रोडक्शन में नुकसान होने वाला है।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 3 दिन से बोलने के लिए प्रतीक्षा कर रहा था।

श्री उपाध्यक्ष : दो मिनिट में समाप्त कर दीजिए।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, आमर कोटड़ा के राक फास्फेट के बारे में कहा गया है। डेगाना में टंगस्टन की माइन है। जो एरिया में अपने ढंग की है। उसकी क्षमता 17 की बढ़ाई जा सकती है। इससे वहां के लेबर को मजदूरी मिलेगी। आप को सैकड़ों टन बाहर से मंगाना पड़ता है। वो भी मांग पूरी नहीं होती है। 400 टन टंगस्टन निकाल दें तो भी कमी नहीं पड़े। आनेवाले समय में क्या होने वाला है? इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, इसको मेकेनाइज कर दें। इसके साथ में रोडवेज के सम्बन्ध में मुझे यह कहना था कि आपने दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से और न जाने। कहां-कहां से अनुबन्ध कर रखे है, यह अनुबन्ध करके आपने राजस्थान के कितने ही लोगों को अनएम्प्लाइड कर

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

दिया, आप जितनी बसें लगाना चाहते हैं, राजस्थान में ही मिल सकती हैं, इससे यहाँ के ड्राइवरों और क्लीनरों को काम मिल सकता है, बाहर की बसें भी लगानी चाहिए जबकि यहां पर उपलब्ध नहीं हों, बाहर वालों को आप प्रायोरिटी देकर और फेसिलिटीज देकर बसें लगाते हैं यह समझ में नहीं आता है। इस बात की तो मुझे खुशी है कि अबकी बार वित्त मन्त्री महोदय ने रोडवेज में प्रोफिट दिखाया है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

शिक्षा के बारे में देहातों में आपने जो प्राइमरी स्कूल खोले हैं, वह एक प्रकार से बाड़े खोल दिये हैं। उनमें सवेरे बच्चे आ जाते हैं और फिर शाम को चले जाते हैं। आपने उनमें क्या व्यवस्था कर रखी है, ढाई सौ ढाई सौ बच्चे और एक अध्यापक। वह उनको पढ़ाना तो दूर रहा, अच्छी तरह से संभाल भी नहीं सकता है। ऐसा लगता है उनको कि शिक्षा विभाग के जो प्राइमरी स्कूल हैं, और पंचायत समितियों के स्कूलों से एक अलग प्रकार की संस्थायें हैं। राज्य सरकार को उनसे कोई काम नहीं है इस तरह की भावना उनमें होती जा रही है। हायर सैकेन्डरी और मिडिल स्कूलों की तो आप बात छोड़िये लेकिन प्राइमरी स्कूलों की जो हालत है, जितनी आज उनकी दुर्दशा हो रही है गांवों के अन्दर, वह बहुत ही खेद की बात है। यही कारण है कि गांवों के लड़के अच्छी सर्विसेज में और कम्पीटीशन में नहीं आ पाते हैं और अच्छी पढ़ाई भी नहीं कर सकते हैं, और वह इसलिए कि उनको शिक्षा के लिए गांव में कोई अच्छा वातावरण नहीं मिलता है और एक अकेला अध्यापक ढाई सौ लड़कों को संभाल ही नहीं सकता, पढ़ायेगा कैसे। इसलिए मेरा निवेदन है कि आपने जो 25 लाख का प्रावधान किया है, इससे जो आप अध्यापक लगायेंगे, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। देहातों में प्राथमिक स्कूल हैं उनमें जितनी क्लासेज हैं, वहां पर कम से कम 40 लड़कों पर एक अध्यापक के रेशो से अध्यापकों की नियुक्ति होनी चाहिए, नहीं तो इस शिक्षा से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, और जो आमूलचूल परिवर्तन की हम बात करते हैं और उस कार्यक्रम में अगर देहात के लड़कों की पढ़ाई की ओर शिक्षा की अच्छी सुविधायें नहीं मिल सकें तो क्या आप यह कोई अच्छा काम कर रहे हैं? जो बाड़े चल रहे हैं उनको और बड़े बाड़े खोल दीजिये इससे कोई मतलब हल होने वाला नहीं है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये, दो मिनट हो गये हैं।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, पहले जो मेरे बोलने वाले थे उनको तो एक एक घंटा मिला है। एक मिनट और दे दीजिये। पेय जल के बारे में मुझे इतना ही कहना है कि मेरे क्षेत्र में खोरा पट्टी है, आपने कई पेयजल की योजनाएं बनाई हैं, लेकिन उसको प्राथमिकता दी जाय क्योंकि पानी की बड़ी समस्या है, कुएं टूट गये हैं, आठ-आठ मील से भी पानी का कोई प्रबन्ध नहीं है, इसलिए इस पट्टी को कहीं न कहीं किसी योजना के साथ जोड़ा जाना चाहिए। इतना ही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वित्त मन्त्रीजी।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सारे सदस्यों का आभारी हूं कि वे पिछले चार दिनों से बजट पर अपनी प्रतिक्रियाएं प्रगट कर रहे हैं। कुछ सदस्यों ने इस बजट में कुछ अच्छाइयां देखीं, उनका भी मैं आभारी हूं, कुछ माननीय सदस्यों ने इस बजट में अच्छाइयां भी देखीं और कुछ कमियां भी देखीं, उनका भी मैं आभार मानता हूं और उनका खास तौर से आभारी हूं जिनको इस बजट में कोई अच्छाई दिखाई नहीं दी और खराबियां ही खराबियां दिखाई दीं। मैंने इस बजट में यह दर्शाने की कोशिश की है कि माननीय सदस्यों को यह बताऊं कि

(1.46 म.प.)

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष पदासीन)

पिछले चार वर्षों में हमने अपनी समस्त शक्ति राज्य की अर्थ व्यवस्था को मजबूत करने में और उसको आत्म निर्भर बनाने में लगाई है। लेकिन इतनी कोशिश के बावजूद भी सारी सामाजिक व्यवस्था में एकदम सुधार नहीं ला सकते। अध्यक्ष महोदय, इससे भी अधिक कोशिश करने पर जो परिणाम हमारे सामने आयेंगे राजस्थान में जो विकास आर्थिक, सामुदायिक और सामाजिक क्षेत्र में हम करना चाहते हैं उनमें हमको और अधिक अच्छे परिणामों की आशा है और मैं चाहता हूं कि सभी क्षेत्रों में अधिक प्रगति दिखा सकूं।

अध्यक्ष महोदय, मैंने बजट का उपसंहार करते वक्त एक लाइन यह कह दी थी कि राज्य की वित्तीय स्थिति अधिक स्वस्थ और सक्षम हो गई है, कुछ माननीय सदस्यों को यह बात पसन्द नहीं आई और उन्होंने यह आलोचना की कि यह तो घाटे का बजट है, एक तरफ आप बजट में घाटा दिखाते हैं और उसके बावजूद यह कहते हैं कि आपकी जो इकॉनामी है, जो फाइनेन्शियल स्थिति है वह ठीक हो गई है, यह कहां तक ठीक है। अध्यक्ष महोदय, केवल बजट में मुनाफा दिखाना, या सरप्लस का बजट दिखा देना और इससे ही किसी स्टेट की इकॉनामी को अच्छी बता देना ठीक नहीं है। केवल यह कह दें कि हम सरप्लस में हैं, हमारा बजट घाटे का नहीं है, हमारे फाइनेन्सेज सुधर गये हैं, अगर माननीय सदस्यों की यही मान्यता है तो मैं निवेदन करूंगा कि वे अपनी मान्यता को बदलने की कृपा करें। अध्यक्ष महोदय, सरप्लस बजट तो आसानी से दिखाया जा सकता है। अगर विकास की योजनाओं में कम खर्च किया जाता और जरूरत की चीजों में कटौती कर दी जाती है तो हमारा बजट भी सरप्लस हो जाता। जहां हमने 18 करोड़ और 64 लाख रुपये का घाटा दिखाया है, अगर 20 करोड़ रुपये की योजना में कटौती कर दी जाती तो यह बजट सरप्लस हो सकता था। लेकिन बजट की मजबूती तो इस बात पर निर्भर करती है कि विकास के कार्यों में हम कितना खर्च कर सकते हैं और कितना स्ट्रेन हम अपने पर बरदाश्त कर सकते हैं और कितना बरडन उठा सकते हैं, यह चीज हमको देखनी चाहिए, यह नहीं कि फाइनेन्सेज में डेफिसिट दिखाया गया है या सरप्लस दिखाया गया

(श्री चन्दनमल बैद)

है। अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा इस बारे में एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि आन्ध्रप्रदेश की जो इकोनामी है वह सबसे अच्छी है, लेकिन वहां के फाइनेन्स मिनिस्टर ने बजट को प्रस्तुत करते समय 45 करोड़ का घाटा दिखाया है, तो क्या हम यह मान लें कि वहां की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है? यह फाइनेन्स मिनिस्टर की हिम्मत की तारीफ करनी चाहिये कि वह राज्य के डवलपमेंट में 45 करोड़ और ज्यादा खर्च कर सकेगा। यहां पर हमने 18 करोड़ 64 लाख का घाटा दिखा दिया तो यह तो एक फाइनेन्स डिपार्टमेंट का चैलेन्ज है कि वह 18 करोड़ 64 लाख का कोई और जुगाड़ करके विकास के कार्यों में लगायेगा। यह किसी दूसरे को चैलेन्ज नहीं है, यह तो फाइनेन्स मिनिस्टर अपने आपको चैलेन्ज देगा क्योंकि वह पैसा कोई भारत सरकार देने वाली नहीं है, अब वह पुराना वक्त चला गया है जब हम ओवर ड्राफ्ट कर सकते थे, अब रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट भी नहीं हो सकता, भारत सरकार भी हमको नहीं देने वाली है और स्टेट गवर्नमेंट भी कोई नोट नहीं छाप सकती है यह कहां से आयेगा? मैंने खुद कहा है कि कम आवश्यक खर्चों में कटौती की जायगी, करों की और सख्ती से वसूली करनी पड़ेगी और बचत योजनाओं में ज्यादा पैसा लगायेंगे और भारत सरकार से भी कहेंगे कि वह हमको ज्यादा पैसा दें। और इसी तरह से हम इन तरीकों से 18 करोड़ 64 लाख का जुगाड़ करेंगे। यदि यह मन्शा नहीं होती तो घाटा कम भी दिखा सकते थे, विकास के काम कम करने पड़ते। मैं समझता हूं कि इन बातों को राजस्थान के विकास को ध्यान में रखकर ही हमने 11.19 करोड़ रुपये के घाटे के बावजूद भी 7.45 करोड़ का अतिरिक्त बजट उठाने की घोषणा की और इस प्रकार घाटा बढ़कर 18 करोड़ और 64 लाख का हो गया। तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि किसी भी स्टेट के फाइनेन्सेज के लिए यह सोच कर चलना कि घाटा दिखाया है, इसलिए उसकी फाइनेन्सियल पोजीशन खराब है, सरप्लस दिखाया जाता तो इकानामी अच्छी होती, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं, इस मान्यता को बदलने की कृपा करें।

दूसरी बात, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने यह कहा कि 14 करोड़ कुछ लाख की राशि हमने अपने फेमिन के सिलसिले में राहत कार्यों के लिए खर्च की। पिछले साल हमने जब फेमिन कार्य खोले तो भारत सरकार ने 10 करोड़ 24 लाख की अग्रिम राशि दी थी। इस साल राशि नहीं मिली उसके बावजूद हमने काम शुरू किये। उसके लिए मैंने कहा कि इसका श्रेय राजस्थान सरकार को जाना चाहिए। कुछ माननीय सदस्यों को इस पर ऐतराज हुआ, आपका कर्तव्य था, श्रेय किस बात का लेते हैं। ठीक है हमारा उतरदायित्व था, हमने काम किया लेकिन श्रेय इस बात का लिया कि राजस्थान में हर साल अकाल पड़ते रहे। आप किसी साल का इतिहास उठा कर देख लें, भारत सरकार की सहायता के बगैर काम नहीं खोल पाये। यह पहली साल है जब कि भारत सरकार की सहायता के बगैर हमने राहत कार्य खोले हैं। इसका श्रेय राजस्थान सरकार लेना चाहती है,

(श्री चन्दनमल वैद)

राजस्थान को मिलता है, माननीय सदस्यों को मिलता है तो क्यों नहीं लिया जाय? इसलिए मैंने कहा। किन्हीं माननीय सदस्य को बुरा लगा तो मैं क्षमा चाहता हूं।

एक बात और बुरी लगी, मैंने कहा, बीस सूत्री कार्यक्रम के सिलसिले में जो कोई प्रमुखता हासिल की है, जो कार्य किये हैं, जो हिन्दुस्तान को इम्पेक्ट दिया है, उसका श्रेय मुख्य मंत्री को जाता है। इसके लिए लोगों में रोष हुआ। ठीक है, हमारी प्रधान मंत्री ने सारा काम शुरू किया, लेकिन राजस्थान में काम को गति देने के लिए कोई जिम्मेदार है तो मुख्य मंत्री है। इसलिए मैं यह कहता हूं और लीडर आफ केबिनेट, लीडर आफ हाउस की हैसियत से श्रेय देता हूं तो मैंने कोई बुरी बात नहीं कही। मुझे माननीय सदस्यों को कहना पड़ेगा, जो बात सही होती है, वह सही बात मैं कह देता हूं, उसको मेहरबानी करके बर्दाश्त करने की भावना रखें और बर्दाश्त करनी चाहिए।

मैं एक बात कह रहा था स्टेट के फाइनेन्सेज इस बात पर मुनहस्सर करते हैं कि हम कितना संयम बरतते हैं। आप कोई स्टेट बताइये, जिस स्टेट ने बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत तीन करोड़ की खर्च में कटौती की हो। राजस्थान पहली स्टेट है जिसने आगे आकर तीन करोड़ की खर्च में कटौती की है। इसका मतलब है कि राजस्थान अपने खर्चों पर, अपने वित्तीय प्रबन्ध में अनुशासन रख सकता है, संयम बरत सकता है। यह वह चीज है जिससे मालूम पड़ता है कि हमारी फाइनेंशियल स्थिति है वह कितनी अच्छी है। इसके साथ कुछ आंकड़े भी मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। मैं नहीं चाहता था कि यह आंकड़े दूं। यह आंकड़े मैं बजट भाषण में भी दे सकता था। मैं यह समझ सकता था कि इसमें यह सब पाइन्ट रहे हैं। माननीय सदस्यों ने कहा, आप अपनी इमेज दिल्ली में बनाना चाहते हैं। माननीय सदस्य जो मुझे जानते हैं वह जानते हैं कि मैं दिल्ली कितनी बार जाता हूँ, मैं कितनी बार मिलता हूँ, किनसे मिलता हूँ। मेरी इमेज बनाने की इच्छा नहीं है, मेरी इच्छा है जनता ने मुझे एम. एल. ए. बनाया है, मुझे फाइनेन्स मिनिस्टर बनाया है, तो मेरा कर्तव्य यह है कि जितनी ज्यादा सेवा मैं जनता की कर सकता हूं, उतनी करूं। मैं दिल्ली नहीं जाना चाहता हूं और न जाता हूं। मैं जाऊंगा तो रिटायर होकर जाऊंगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं जिनसे मालूम पड़ेगा कि फाइनेन्सेज ने कितना स्थायित्व प्राप्त किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक अर्ज करना चाहता हूं कि सन् 1960 से लेकर 1970 तक हमारी रेवेन्यू रिसीट 771 करोड़ 33 लाख रही और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 919 करोड़ 13 लाख था। इसका मतलब यह हुआ कि हम इन सालों में बराबर कर्ज लेकर हमारे रेवेन्यू अकाउन्ट, राजस्व खाते में खर्च करते रहे हैं। हमारी रेवेन्यू रिसीट थी, वह रेवेन्यू खर्च से कम रही है, वह रही है 177 करोड़ 80 लाख। इस सम्बन्ध में इन वर्षों के सारे आंकड़े देकर अर्ज करना चाहता हूं, 1959-60 में 97 लाख का घाटा रहा, 1960–61 में 1 करोड़ 50 लाख का घाटा रहा,

Page No 95

(95)

(श्री चन्दनमल बैद)

1961—62 में 5 करोड़ 79 लाख का घाटा रहा, 1962—63 में ऐसा साल था, जिस साल में 1 करोड़ 77 लाख का मुनाफा रहा। 1963—64 में 77 लाख का घाटा रहा। 1964—65 में 4 करोड़ 37 लाख का घाटा रहा। 1965—66 में 3 करोड़ 51 लाख का घाटा रहा। 1966—67 में 19 करोड़ 62 लाख का घाटा रहा। 1967—68 में 14 करोड़ 92 लाख का घाटा रहा। 1968—69 में 27 करोड़ 90 लाख का घाटा रहा। 1969—70 में 60 करोड़ 60 लाख का घाटा रहा। 1970—71 में 51 करोड़ 25 लाख का घाटा रहा। यह घाटा जोड़ कर 177 करोड़ 80 लाख हो गया। 1971—72 में रेवेन्यू अकाउन्ट में 17 करोड़ 89 लाख का घाटा रहा। 1972—73 में 38 करोड़ 73 लाख का घाटा रहा। 1973—74 में 40 करोड़ 77 लाख का घाटा रहा। उसके बाद में घाटा नहीं है। मैं निवेदन करता रहा कि पहले हमारी शोचनीय स्थिति इकानामी की है, हमारी इकानामी बुरे दिनों में से गुजर रही है। अब हम इस हालत में हो गये हैं कि घाटा मुनाफे में परिवर्तित हो रहा है। हमने घाटे पर काबू पा लिया है और घाटे को मुनाफे में परिवर्तित करने में कामयाब हो रहे हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं, कि 1974—75 में पहली बार हमारी रेवेन्यू रिसीट थी 320 करोड़ 44 लाख और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 306 करोड़ 16 लाख, यानि 14 करोड़ 28 लाख का मुनाफा रहा। 1975—76 में रिवाइज्ड एस्टीमेट में रेवेन्यू रिसीट रही 378 करोड़ 32 लाख और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ 342 करोड़ 21 लाख, यानि 36 करोड़ 11 लाख का मुनाफा रहा। बजट एस्टीमेट 1976—77 में, रेवेन्यू रिसीट 397 करोड़ 12 लाख के और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के 366 करोड़ 72 लाख है। यह अनुमान है कि अगली साल रेवेन्यू अकाउन्ट में 30 करोड़ 40 लाख का मुनाफा करेंगे। यह बात ठीक है, रेवेन्यू अकाउन्ट में बचत करके केपीटल एक्सपेंडिचर बढ़ाते जा रहे हैं। एक तरफ रेवेन्यू खाते में बचत कर रहे हैं, दूसरी तरफ घाटा बढ़ा रहे हैं और रेवेन्यू अकाउन्ट में पैसा बचता है, उसको अब केपिटल अकाउन्ट में खर्च करते जा रहे हैं। पूंजी खाते को बढ़ाते जा रहे हैं, वह पूंजी खाते में ज्यादा खर्च करते चले जा रहे हैं। यह किसी स्टेट के फाइनेन्सेज की हैल्दी पिक्चर नहीं है तो दूसरी क्या हो सकती है। हमने एक चेंज पालिसी को दिया है। पहले जो पूंजी खाते के लिए कर्ज लिया है वह रेवेन्यू अकाउन्ट में खर्च कर दिया है आज कर रहे है, रेवेन्यू अकाउन्ट में बचत करके पूंजी खाते में खर्च कर रहे हैं, उसको बढ़ाते जा रहे हैं। यह स्टेज हमारी है, जो स्टेज पैदा हुई है मैं निवेदन कर रहा था। मगर काम रुका नहीं है, उसको आगे बढ़ाना है।

इसके साथ मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूं। अभी तक क्या होता था कि हम अपने प्लान में से नान प्लान को फाइनेन्स करते थे। आज यह हालत हुई है कि नान प्लान में से प्लान को फाइनेन्स कर रहे हैं। 1972—73 में प्लान को कम करके 1 करोड़ 6 लाख नान प्लान को फाइनेन्स किया 73—74 में प्लान में से 1 करोड़ 67 लाख कम करके नान प्लान को

Page No 96

(96)

(श्री चन्दनमल बैद)

फाइनेन्स किया। 1974–75 में भी हैव टर्न्ड दी कोर्नर। नान प्लान में से बचा कर 5 करोड़ 72 लाख प्लान को फाइनेन्स किया। 1975–76 में नान प्लान में से 12 करोड़ 58 लाख बचा कर प्लान को फाइनेन्स किया। 1976–77 में नान प्लान में से 5 करोड़ 12 लाख बचा कर प्लान को फाइनेन्स करेंगे। यह फिर अच्छी चेंज है कि नान प्लान में से खर्च बचा कर प्लान को फाइनेन्स कर रहे हैं। यह देखने की बात है कि अभी तक प्लान के खर्च में से नान प्लान को फाइनेन्स करते थे, अब नान प्लान में से बचत करके प्लान को फाइनेन्स करते जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं जब अर्ज करता हूं कि हम इस बात की तरफ देखें कि हमारा डवलपमेंट एक्सपेंडिचर किस स्थिति से बढ़ रहा है, किस तेजी से बढ़ रहा है। 1974–75 में दिल्ली में गये प्लानिंग कमीशन के पास 79 करोड़ 80 लाख का प्लान लेकर लेकिन जब साल समाप्त हुआ तो 106 करोड़ का प्लान हमने पूरा किया। 1975–76 का प्लान, घटा दिया, 105 करोड़ 50 लाख का प्लान मिला। लेकिन अब उसको खत्म कर रहे हैं 135 करोड़ पर और साल खत्म होते होते, यह एस्टीमेट मैंने आपको बताया है, साल खत्म होते होते 135 से 140 करोड़ पर प्लान को पूरा करेंगे। जब दिल्ली से आया है 1976–77 का प्लान 138 करोड़ 19 लाख का, जब मैंने बजट भाषण दिया तो उसमें साढ़े सात करोड़ की बढ़ोतरी की, वह आपके सम्मुख पेश करते करते 146 करोड़ का हो गया। ...

और मुझे दो सालों का अनुभव है उसके आधार पर कह सकता हूं कि 1976–77 साल में यह प्लान 180 करोड़ से कम नहीं होने वाला है...

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : पैसा कितना लाये ?

श्री चन्दन मल बैद : जितना हर स्टेट को मिलता है उतना मिला है। बाकी पैसा अपनी ताकत और भरोसे पर पैदा करके प्लान को पूरा करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, डवलपमेंट एक्टिविटीज पर हमने खर्च किया है। 1951 से 1971 तक 615 करोड़ 96 लाख रु. हमने खर्च किया है लेकिन पिछले 6 साल में प्लान यानी सन् 72 से 77 तक हम ने 587.12 करोड़ खर्च किया याने जितना 20 साल में खर्च किया उतना 6 सालों में खर्च किया। कुछ माननीय सदस्य कहते हैं कि आपने 4–5 सालों में 4 हजार गांवों में बिजली दे दी तो क्या किया। आपने 5 साल में जो इलेक्ट्रीफाइड कुओं की संख्या 50 हजार थी उसको बढ़ाकर एक लाख किया तो क्या किया? जितना काम अब तक किया वह 4–5 सालों में कर रहे हैं उसके बावजूद भी माननीय सदस्यों को संतोष नहीं होगा तो मैं कहूंगा कि माननीय सदस्यों को विकास के प्रति तीव्र भूख है, यह अच्छी चीज है, इसमें आप मेरी मदद करें, ताकि विकास के लिए ज्यादा पैसा इकट्ठा करके आपकी भूख को संतुष्ट करूं। मगर यदि आपकी भूख है केवल मुझे क्रिटीसाइज करने की और नहीं चाहते हैं कि विकास तेजी से बढ़े तो दूसरी बात है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि

(श्री चन्दनमल बैद)

विकास तेजी से बढ़े तो आप मेरी मदद करें। अगर कहीं शासन में गलत खर्चा हो रहा है तो आप हमें ताड़ना दें लेकिन अगर विकास के कामों पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं तो निश्चित रूप से माननीय सदस्यों को, जिनके दिलों में ज्यादा तेजी से बढ़ने की पिपासा है, उसके लिए मेरी मदद करनी चाहिए।

एक बात यहां पर बड़े जोर शोर से कही गई कि आपका खर्च बढ़ता चला जा रहा है, आप राजस्थान को कर्जे में डुबोते चले जा रहे हैं और न मालूम संस्कृत के कितने श्लोक झुंझुनूं की माननीय सदस्या ने अपनी मधुर वाणी में सुना दिए और पास बैठने वाले भूतपूर्व वित्त राज्य मंत्री ने, बांदी कुई से आने वाले माननीय सदस्य ने बातें कहीं। अगर हम कर्जा लेकर राज्य में कैपीटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पूंजी के कामों को बढ़ा रहे हैं, विकास के कामों को बढ़ा रहे हैं तो उसमें हर्ज क्या है ? आखिर योजना आयोग से जो पैसा मिलता है योजना के लिए अभी तक 45.06 करोड़ मिलता है। इस साल 10 परसेंट और बढ़ गया। वह इस आधार पर मिलता है कि 70 प्रतिशत ऋण होगा, 30 प्रतिशत ग्रांट होगी। 70.30 के हिसाब से सबको मिलता है। उसके अलावा कुछ कर्जा लेने की इजाजत दी जाती है। फिर जल योजनाओं के लिए, कुछ मकान की योजनाओं के लिए, कुछ बिजली की योजनाओं के लिए बैंकों व एल.आई.सी. ऋण लेते हैं। ऋण लेकर हम यदि गलत कामों में खर्च करते हैं तो वह बुरा है लेकिन यदि ऋण लेकर इस राज्य में एसेट्स को क्रिएट कर रहे हैं, कैपिटल बढ़ा रहे हैं तो निश्चित रूप से आपकी तारीफ करनी चाहिये। ऋण लेना बुरा नहीं है लेकिन यदि ऋण लेकर रोजमर्रा के कामों में खर्च करें तो बुरी चीज है लेकिन ऋण लेकर एसेट्स क्रिएट करते हैं तो सराहनीय चीज है और आपको हमें शाबासी देनी चाहिए। आज स्टेट स्टेट के बीच में राइवलरी बढ़ रही है कि कौन ज्यादा इन्स्टीट्यूशनल फाइनेन्स लाता है। हम चाहते हैं कि अपने विकास कार्यों के द्वारा एसेट्स क्रिएट करने के लिये जितना ज्यादा ऋण ले सकते हैं, उतना ज्यादा ऋण लें और आज तो हर राज्य के वित्त विभाग व कृषि विभाग में सेल्स खोले जा रहे हैं कि एल.आई.सी. और बैंकों से ज्यादा से ज्यादा ऋण लिया जाय और हमने भी डिप्टी सेक्रेटरी, इन्स्टीट्यूशनल फाइनेन्स इस बात के लिये कायम किया है कि हमें ज्यादा से ज्यादा ऋण प्राप्त हो और हम सोच रहे हैं कि किसी बैंक के अनुभवी कर्मचारी को अपने पास लायें, जो इस बात के लिये हमें सलाह दे कि ज्यादा से ज्यादा ऋण किस तरह से बैंक व एल.आई.सी. या रिजर्व बैंक या दूसरी वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त कर सकें। ऋण लेना बुरा नहीं है, बुरा उस समय है जब रोजमर्रा के खर्चे में लगा दें या रेवेन्यू अकाउंट में लगायें।

अध्यक्ष महोदय, 1972-73 में ऋणों का ओपनिंग बैलेंस था 763.30 करोड़, जो 1976-77 में 1010.10 करोड़ हो जायगा क्लोजिंग बैलेंस 1976-77 में 1041.53 करोड़ होगा। इन 5 सालों में टोटल एसेट्स कितने क्रिएट हुए ?

1972-73 72.11 करोड़

(श्री चन्दनमल बैद)

1973-74 59.34 ,,

1974-75 60.27 ,,

1975-76 97.59 ,,

1976-77 87.19 ,, टोटल एडीशन टू एसेट्स।

याने जहां हमारा ऋण बढ़ा है 278.23 करोड़, वहां एसेट्स बढ़े हैं 876.50 करोड़। जितना हमने ऋण लिया है उससे ज्यादा एसेट्स बढ़े हैं। इसका कारण यह है कि हमने अपने रेवेन्यू अकाउंट्स से एसेट्स क्रिएट करने की कोशिश की है। इसलिए ऋण बढ़ा है तो एसेट्स और कैपीटल ज्यादा बढ़े हैं। इसलिए जो ऋण हमने लिया है उसके लिए अफसोस की बात नहीं है। यह तो हाउसवाइफ की बात है, कर्जा लेकर मोटर ले रहे हैं, इससे एफीशियेंसी बढ़ रही है। कर्जा लेकर मकान ले रहे हैं तो एसेट्स बढ़ाए हैं। लेकिन कभी कभी कुछ गैर जानकार लोग कर्जे बढ़ने की हालत में कहने लगते हैं कि राज्य को कर्जे में डाल दिया, अब क्या होगा। जिन चीजों के एसेट्स क्रिएट हुए हैं उनसे आमदनी बढ़ी है जो इरींगेशन पर इतना पैसा खर्च किया, तो एसेट्स क्रिएट किए तो हमारी आमदनी भी बढ़नी चाहिए, आमदनी बढ़ाकर नए एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं। इसमें बुराई की कोई बात नहीं है।

इसके अलावा पिछले 4 साल में वित्त विभाग ने कितनी मेहनत करके फाइनेन्सेज को सुधारने की कोशिश की है। आखिर कोई ऐसा राज्य नजर आता है जिसने सेलस टैक्स की इन्कम 5 साल में 140 प्रतिशत बढ़ा दी हो? मैं समझता था कि अगर हमारे वित्त विभाग के कुछ अधिकारियों ने अच्छा काम किया है तो सदन के माननीय सदस्य दो प्रशंसा के शब्द कहेंगे जिससे अगले साल उनको और उत्साह के साथ काम करने का मौका मिलेगा। इसी प्रकार स्माल सैविंग्स में प्रगति की है, नॉन टैक्स रेवेन्यू में प्रगति की है। मैंने आंकड़े इसलिए दिए जिससे माननीय सदस्य कह नहीं सकें कि हमको क्या मालूम था कि आपने क्या किया...

श्री ओंकारलाल चौहान : मैंने नॉन टैक्स रेवेन्यू के लिए तारीफ की है।

श्री चन्दनमल बैद : धन्यवाद। जैसे कि आप जानते हैं, मैं ज्यादा समय तक बोलने वाला नहीं हूं। थोड़े समय में ही अपने कार्य को समाप्त करूंगा। जो टैक्स 8 करोड़ का इस साल लगाया है उस बारे में काफी चर्चा इस सदन में हुई है और काफी कहा गया है। जितना संक्षेप में हो सकेगा मैं थोड़े में ही जिक्र करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, अब सबसे पहले इरींगेशन की रेट्स के बारे में थोड़ा निवेदन करना चाहूंगा। यहां पर कई माननीय सदस्यों ने इरींगेशन की जो रेट्स बढ़ाई हैं उनके लिये काफी चढ़ा बढ़ा कर कहा। कई माननीय सदस्यों ने यह कहा कि इन रेट्स के बढ़ जाने से राजस्थान के किसान की कमर टूट गयी है। कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा कि इन रेट्स के बढ़ जाने से कई किसान राजस्थान को छोड़कर बाहर चले जायेंगे। कई माननीय सदस्यों ने यह कहा कि राजस्थान में जो इरींगेशन रेट्स हैं वह हरियाणा में इरींगेशन रेट्स से बहुत अधिक हैं। वहां पर बहुत कम रेट्स हैं। कई माननीय सदस्यों ने

(श्री चन्दनमल बैद)

इसके लिये मुझे रीएक्शनरी ठहराया। कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि मैंने जो यह बजट पेश किया है वह 20 सूत्री कार्यक्रमों के विपरीत है। कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि मैंने जो इन्दिराजी कहती हैं उसके विपरीत काम दिया है। लेकिन मैं, अध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर मैं इन्द्राजी के कार्यक्रमों के खिलाफ में या 20 सूत्री कार्यक्रमों के खिलाफ में बजट पेश करता तो मेरी कभी की छुट्टी हो गयी होती।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : छुट्टी तो बहुतों की ड्यू है।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इर्रीगेशन की जो योजनायें हैं अगले साल के अन्त तक उसमें हम 440.36 करोड़ खर्च कर पायेंगे। इन 440.36 करोड़ रुपयों के खर्च हो जाने से कितने लोगों को लाभ मिलेगा कितने लोग इससे समृद्ध होजायेंगे, यह अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि राजस्थान में कुल भूमि पर जो खेती होती थी वह 1,59,67,000 हैक्टर जमीन पर सन् 73–74 तक होती थी। इसमें 23 लाख 78,000 हैक्टर जमीन पर सिचाई से खेती होती है। इसमें नहरों और तालाबों से 10 लाख 77,000 हैक्टर जमीन की सिंचाई होती है जो कि हमारे यहां जो खेती होती है उसका 6.75 प्रतिशत है। यह सरकारी साधनों से सिंचाई होती है। अगर 6.75 प्रतिशत सरकारी साधनों से खर्च पर जो सिंचाई होती है उन पर टैक्स नहीं लगाया जाय और दूसरे जो किसान हैं 93 परसेन्ट उन पर लगाया जाय तो यह कहां तक उचित है? क्या ये ही किसान हैं जो सात परसेन्ट हैं? और बाकी के किसान नहीं हैं? अध्यक्ष महोदय, गंगानगर इलाके में सबसे ज्यादा सिंचाई से खेती होती है वहां मेक्जिमम लैण्ड होल्डिंग इर्रीगेटेड होती है। अध्यक्ष महोदय, यह 440.36 करोड़ रुपया है वह सिर्फ इस इर्रीगेशन पर राजस्थान सरकार का खर्च होता है। इस पूंजी के विनियोजन का फायदा सिर्फ आपके यह सात परसेन्ट किसान हैं उन्हीं को पहुंचता है। यह जो टैक्स लगाया है वह कोई ऋण के पेटे में नहीं है। इस 440 करोड़ 36 लाख की पूंजी के विनियोजन की योजनाओं के लिये राज्य सरकार को हर साल 27 करोड़ रुपये उनकी मरम्मत व उसके रख रखाव के लिये खर्चा करना पड़ता है। इस पूंजी से राज्य सरकार किसी प्रकार का कोई रिटर्न नहीं लेती है। लेकिन इस 440.36 करोड़ रुपये की धनराशि की योजनाओं पर जो 27 करोड़ रुपये उसकी मरम्मत और रख रखाव के लिये खर्च होता है उसमें से अगर कुछ मैं वसूल नहीं करूं तो यह मेरी बड़ी भारी भूल होगी। एक फाईनेन्स मिनिस्टर की हैसियत से मेरा यह कर्तव्य हो जाता है कि उस 440.36 करोड़ की योजनाओं के रख रखाव व मरम्मत के लिये जो 27 करोड़ रुपया खर्चा होता है उसमें से तो वसूल करूं। यह कोई मैं ऋण नहीं वसूल कर रहा हूं। अब कोई अगर हरियाणा और पंजाब से उसकी तुलना करें तो उचित नहीं है। लेकिन यह पैसा अगर मैं उस इलाके के किसानों से, उन सात पर्सेन्ट लोगों से, वसूल नहीं करूं तो क्या यह टैक्स

(श्री चन्दनमल बैद)

चूरू जिले के रहने वालों से, सवाई माधोपुर के रहने वालों से, या जैसलमेर के रहने वालों से, या बाड़मेर, जालोर और जैसलमेर के काश्तकारों से वसूल करूं या जयपुर के काश्तकारों से वसूल करूं ? अगर मैं ऐसा करता हूं तो इन लोगों के साथ बहुत भारी अन्याय करता हूं। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो 27 करोड़ रुपये खर्च होते हैं इस इर्रीगेशन के टैक्स लगने से आपको शायद मालूम नहीं होगा कि सिर्फ 9 करोड़ रुपये ही वसूल होंगे जो कि 27 करोड़ का सिर्फ एक तिहाई हिस्सा ही है। बाकी इस नौ करोड़ के अगेन्स्ट में 18 करोड़ रुपये राज्य सरकार को ही खर्च करना पड़ता है। मैं इस 18 करोड़ रुपये का राजस्थान की दूसरी जनता पर बोझ नहीं डालना चाहता। लेकिन मुझे बहुत ही दुख होता है जब माननीय सदस्य सदन में इन सात पर्सेन्ट लोगों को गरीब किसान कहते हैं या उन्हें भूमिहीन बताते हैं। इन लोगों की इस थोड़े टैक्स से कमर नहीं टूटेगी। आपको अगर इन सात पर्सेन्ट लोगों से इतनी हमदर्दी है और इतने पर भी आप यह कहते हैं कि फाईनेन्स मिनिस्टर ने 20 सूत्री कार्यक्रमों पर अमल नहीं किया, इन्दिराजी कुछ कहती हैं और फाईनेन्स मिनिस्टर कुछ कहता है, यह बात गलत है। मैंने सात पर्सेन्ट पर टैक्स लगाकर और 93 प्रतिशत किसानों पर टैक्स नहीं लगाकर 20 सूत्री कार्यक्रमों पर अमल किया है।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : यह सात पर्सेन्ट लोग वह हैं जिनमें मारजिनल फार्मर्स भी हैं और अब चार साल बाद आपको यह सात पर्सेन्ट लोग याद आये क्या ?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैंने मारजिनल फार्मर्स और भूमिहीन किसानों को छोटे काश्तकारों को बिलकुल नहीं छुआ है। आप चाहें तो देख लें। हमने तो ज्यादा से ज्यादा सुविधायें देने की बात मार्जिनल फार्मर्स और समाज के छोटे वर्ग को देने की बात कही है। अगर उन लोगों को जो 93 प्रतिशत किसान हैं उन पर अगर मैं टैक्स लगा देता और उन सात पर्सेन्ट काश्तकारों पर टैक्स नहीं लगाता तो मैं समाजवाद से दूर चला जाता और समाजवाद को कलंक लगाता या 20 सूत्री कार्यक्रम को कलंक लगाता। मैं इस बात के लिये तैयार था, अध्यक्ष महोदय, कि जब उन लोगों पर टैक्स लगेगा तो यह सात पर्सेन्ट वाले काश्तकार जो कि राज्य सरकार के खर्च पर खेती करते हैं आवाज उठायेंगे।

(व्यवधान, अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बीच में नहीं बोलें। आप बाद में पूछ लेना अगर कुछ भी पूछना चाहें तो।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : वित्त मंत्रीजी ने रीजनल इम्बेलेन्स किया है।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, अब मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां पर सिंचाई के अलावा बैलों, कुओं पर बिजली से या डीजल सट द्वारा भी खेती होती है। मैंने, अध्यक्ष महोदय, कृषि विभाग से और इर्रीगेशन विभाग व स्टैटि-

(श्री चन्दनमल बैद)

टेक्निकल डिपार्टमेंट से इसका सर्वे कराया कि इस पर कितना खर्चा प्रत्येक से आता है तो यह निष्कर्ष निकला कि अगर आप सरकारी नहरों से खेती करते हैं तो एक रुपया प्रति एकड़ खर्च आता है। अगर आप कुओं पर बिजली से खेती करते हैं तो 15 रुपये प्रति एकड़ खर्च आयेगा। अगर आप डीजल सैट लगाकर कुओं से खेती करते हैं तो प्रति एकड़ 30 रुपये खर्च आता है और अगर आप बैलों से सिंचाई करके खेती करते हैं तो प्रति एकड़ 50 रुपये खर्च आयेगा। तो, अध्यक्ष महोदय, आप सोचिये एक किसान जो कि अपने बैल से खेती करता है सिंचाई करके तो प्रति एकड़ पचास रुपये खर्च आता है और दूसरा व्यक्ति जो कि उन सात पर्सेन्ट में आता है जो सरकारी खर्च पर योजनाओं से इर्रीगेशन से खेती करता है तो सिर्फ एक रुपया प्रति एकड़ खर्च आता है। तो, अध्यक्ष महोदय, अब आप ही सोचें कि किसको फायदा अधिक है। इस पर भी तुर्रा यह है कि जो आदमी एक रुपया प्रति एकड़ ही सिंचाई पर खर्च करता है उससे वसूली मत करो। यह कहां का न्याय है? इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो राज्य सरकार ने टैक्स लगाया है उस व्यक्ति पर लगाया है जिसका सिर्फ एक रुपया प्रति एकड़ ही खर्च होता है। नहीं तो क्या जो आदमी 50 रुपये प्रति एकड़ खर्चा करते हैं उनको राज्य सरकार ऊंचे भावों से खाद्यान्न बेचने देगी और जिसको एक प्रति एकड़ खर्च आता है उसको नीचे भावों से अनाज बेचने देगी?

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : यही बात पर्सेन्ट वाले आपको सैकड़ों नहीं हजारों मन अनाज लेवी के रूप में अकाल में सहायता देते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। जब वित्त मन्त्रीजी उत्तर देते हों तब आपको बीच में नहीं बोलना चाहिये।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं यह लोग ऐसा कहेंगे क्योंकि इनके पास कोई तर्क नहीं। कोई जवाब नहीं है इस बात का। मुझे उम्मीद थी कि यह लोग ऐसा करेंगे। यह सत्य है और मैंने जो भी कहा है वह तथ्यों के आधार पर कहा है। और इसीलिये मैंने यहां पर आंकड़े प्रस्तुत किये हैं। अध्यक्ष महोदय, एक आदमी एक रुपया ही खर्च करता है, दूसरा प्रति एकड़ 15 रुपया खर्च करता है, तीसरा तीस रुपया खर्च करता है और चौथा पचास रुपये प्रति एकड़ तक खर्च करता है। जो एक रुपया खर्च करता है वह सरकारी साधनों से निर्मित की हुई योजनाओं से खेती करता है और उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाता है इसके विपरीत एक गरीब काश्तकार अपने खर्चे से साधन जुटा कर 50 रुपये प्रति एकड़ खर्च करके खेती करता है। उस एक रुपया खर्च करने वाले से, अध्यक्ष महोदय, अगर राज्य सरकार ब्याज के नहीं लेती है बल्कि उसकी रख रखाव लिये टैक्स लेती है और वह भी एक तिहाई ही लेती है। तो मैंने उन सात परसेन्ट पर टैक्स लगाया है। आप लोगों ने उन सात परसेन्ट की हिमायती की है, और मैंने उन 93 प्रतिशत किसानों की हिमायत की है, तब मैं समाजवादी हुआ या आप? मैंने तो उन 93 प्रतिशत लोगों की हिमायत की जिससे कि वह लोग ऊंचे उठें और आगे आवें।

(श्री चन्दनमल बैद)

जो सुविधा 7 परसैन्ट को दी थी वह 93 परसैन्ट को देना चाहते हैं और तभी हम विकास कर सकते हैं...

श्री भगराम चौधरी : देर आयद दुरुस्त आयद ।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, यह भी कहा गया कि हमारे पास हरियाणा का प्रान्त लगता है और वहां सिंचाई की दरें कम हैं और यहां ज्यादा हैं । जिन नहरों से हमको पानी मिलता है–राजस्थान नहर, भाखड़ा गंग कैनाल उन्हीं नहरों से हरियाणा को पानी मिलता है । फिर क्या कारण है, अध्यक्ष महोदय, कि हमारी पानी की दरों में और हरियाणा की पानी की दरों में फर्क है । अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं और हमने इसमें पूरी सावधानी रखी है कि हमारी सिंचाई की दरें हरियाणा से ज्यादा न हों लेकिन मैं यह जानता हूं कि हरियाणा को जितना पानी के लिये पैसा खर्च करना पड़ता है उससे राजस्थान को कहीं अधिक पैसा पानी के लिये खर्च करना पड़ता है । हरियाणा नहरों से नजदीक है और वहां पानी कम खर्चे में उपलब्ध हो जाता है । हमारा राजस्थान प्रान्त नहरों से बहुत दूर है और फिर यहां वाटर लोगिंग ज्यादा होता है लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है कि हरियाणा से सिंचाई की दरें कम हों ।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं हरियाणा में गेहूँ पर खर्चा 25 रुपये एकड़ है हमारे यहां 21 रुपये हैं, राइस पर हरियाणा में 30 रु. हैं हमने 25 से 28 किये हैं, चने पर सिंचाई की दर दो से अधिक पिलाई और चने पर एक से दो पिलाई पर हरियाणा में 20 रु. है, हमने 15 से 20 रु. किये हैं और 10 से 14 रु. किये हैं, जो पर हरियाणा में 27 हैं यहां हमने 11 से 15 रु. किये हैं । गन्ना वाले क्षेत्रों में वहां 40 रु. हैं । हमने यहां 35 से 40 किये हैं । तो मेरा निवेदन है कि हम ज्यादा नहीं हैं गन्ने में बराबर हैं, क्योंकि गन्ने पर कोई कन्ट्रोल नहीं है । गेहूं पर एक पाबन्दी है इसलिये इस पर खयाल रखते हुए ही किया गया है । चने पर कोई पाबन्दी नहीं है, कहीं भी भेजा जा सकता है लेकिन फिर भी हमने हरियाणा के बराबर लाने की कोशिश की है । अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं जो सिंचाई के बारे में इतनी बातें कही गई हैं वह शायद पूरी जानकारी में नहीं होने के कारण ही कही गई हैं । खास तौर से मेरे पास बैठे हुये माननीय सदस्य मुस्करा रहे हैं और अब मैं समझता हूं शायद मेरी बात सुनने के बाद वे भी अपने विचार बदलने की कोशिश करेंगे ।

एक माननीय सदस्य : वित्त मंत्री तो युद्ध मंत्री हो गये ।

श्री चन्दन मल बैद : अध्यक्ष महोदय, एक बात और कही गई और वह यह कि एन्टरटेनमेंट का एक ही तो तरीका था, जो गरीब आदमी सिनेमा देखता था और वह भी वित्त मंत्री को नहीं सुहाया । भीड़ देखी और पता नहीं भीड़ देखकर क्या याद आ गई । अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करना चाहता हूं गरीबों के जो टिकिट हैं उनकी टिकिटों की दरें बढ़ाई नहीं हैं । अगर जिनके पास ज्यादा पैसे देने को हैं और गरीबों की टिकट की दरें घट जाती हैं तो मैं समझता हूं इसका तो स्वागत करना चाहिये था । मैं अर्ज करना

(श्री चन्दनमल वैद)
चाहता हूं जो 50 पैसे का टिकट था उस पर एन्टरटेनमेंट साढ़े सत्तरह पैसे लगते थे, सरचार्ज 20 पैसे थे कुल मिलाकर टोटल साढ़े सत्यासी पैसे होते थे। अब जो नई रेट है उस पर 50 पैसे के टिकट पर 30 पैसे हैं, सरचार्ज हटा दिया टोटल दर घट गई यानि 80 पैसे हो गई और साढ़े सात पैसे घट गई। एक रुपये पर एन्टरटेनमेंट था 50 पैसे और उस पर सरचार्ज था 20 पैसे इस तरह कुल होते थे एक रुपया 70 पैसे और अब एक रुपये के टिकट पर 60 पैसे किये हैं सरचार्ज हटा दिया। इस तरह 60 पैसा लगेगा जबकि पहले 1.70 पैसे लगता था यानि 10 पैसे घटा दिये यानि जो पहले 1.70 पैसे में टिकिट खरीदकर देखना चाहता था उसको अब पहले से 10 पैसे कम देने पड़ेंगे...

एक माननीय सदस्य : बालकनी का ?

श्री चन्दन मल वैद : बालकनी में आप और हम देखने जाते हैं इसलिये उस पर घटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद जितनी टिकटें हैं उनमें 40 पैसे से 50 पैसे तक बढ़े हैं। मैं समझता हूं भारतीय साहब सिनेमा देखने वालों के बड़े हामी थे लेकिन गरीब आदमी को सिनेमा देखने के लिये 1.60 पैसे से ज्यादा खर्च नहीं करने पड़ेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : मिडिल क्लास को आप दिखाना नहीं चाहते हैं। उससे आपका कोई मतलब नहीं है।

श्री चन्दन मल वैद : मिडिल क्लास सिनेमा नहीं देखना चाहता है। अध्यक्ष महोदय, किसी भी टिकट पर 40 से 50 पैसे से ज्यादा नहीं बढ़े हैं। अब, अध्यक्ष महोदय, तीसरी बात शराब के बारे में कही गई कि वित्तमंत्री का कोई समझौता शराब वालों से शराब की कीमत नहीं बढ़ाने का हो गया है, तो मेरा निवेदन यह है कि शराब वालों से यही समझौता हुआ है कि 71–72 में जिस शराब से राज्य सरकार को साढ़े नौ करोड़ की आमदनी होती थी उनको इतने शिकंजे में कसा है कि साढ़े नौ करोड़ से बढ़ाकर यह आमदनी 19 करोड़ हो गई है और अब हम उनसे 9½ करोड़ के बजाय 19 करोड़ वसूल करेंगे...

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : टैक्स क्यों नहीं लगाया इसमें ?

श्री चन्दनमल वैद : अब टैक्स की बात कहते हैं आप, मैं भी चाहता हूं कि टैक्स लगे लेकिन....

(व्यवधान, अश्रव्य)

श्री ओंकार लाल चौहान: इसी बात की पैरवी की है...

(व्यवधान, अश्रव्य)

श्री चन्दनमल वैद : मैं भी चाहता हूं कि शराब पर सेन्ट परसेन्ट टैक्स लग जाय...

एक माननीय सदस्य : भांग, गांजा पर टैक्स ...

(व्यवधान, अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : कुछ तो ढाण्डा साहब का ख्याल करें।

श्री चन्दन मल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता था कि शराब पर टैक्स और बढ़ जाय लेकिन मेरे पैर बन्धे हुये हैं कि राजस्थान की सीमा पर मध्य प्रदेश लगता है, राजस्थान की सीमा पर उत्तर प्रदेश लगता है, राजस्थान की सीमा पर हरियाणा लगता है, राजस्थान की सीमा पर दिल्ली लगता है, राजस्थान की सीमा पर पंजाब लगता है-जब तक इनके अन्दर शराब सस्ती बिकती है तो मुझे हमेशा खतरा लगा रहता है कि कहीं वहां से शराब स्मगलिंग होकर राजस्थान में न आये और जो मुझे अभी शराब पर टैक्स मिलता है वह भी नहीं मिले और फिर हमारी एक ऐतिहासिक स्थिति है हमारे यहां पुराने जागीरदारों को छूट दे रखी थी और गांव गांव में किसी न किसी जगह, वह भी माननीय सदस्यों से छिपा नहीं है गांव गांव में इसके धन्धे होते हैं और अगर टैक्स बढ़ा देते तो यह धन्धा गांवों में जोरों से बढ़ जायेगा। पिछले साल शराब पर टैक्स लगाकर आमदनी बढ़ाई है और इस साल भी हमने बीयर पर टैक्स बढ़ाया है दूसरी नशीली चीजों पर भी हमने टैक्स की मात्रा को बढ़ाया है जैसे भांग, गांजा, अफीम, उसमें बढ़ाने की कोशिश की है। जब भी मेरे आस पास के पड़ोसी राज्य जो शराब निकालने वाले हैं इस पर कुछ विचार करेंगे तो हम भी अवश्य विचार करेंगे। मेरा अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि मैं उसको ठीक तरह से कह लूं तो जितनी शराब पर टैक्स लगा सकूं, लगाऊंगा ताकि लोगों की शराब पीने की आदत कम हो सके।

अध्यक्ष महोदय, इस बात के लिये भी आलोचना की गई है कि मैंने रेफ्रीजरेटर . .

(विराम)

. . . और एयर कन्डीशन पर टैक्स कम कर दिया . . .

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपको धन्यवाद भी दिया, उसकी बात भी तो बताओ।

श्री चन्दन मल बैद : . . हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में रेफ्रीजरेटर और एयर कन्डीशनर पर इस साल 10 परसेन्ट टैक्स है और हम उन से बराबर चर्चा करते रहे हैं कि मेहरबानी करके टैक्स बढ़ायें क्योंकि जितने हमारे यहां रेफ्रीजरेटर हैं उनमें अधिकतर हरियाणा, पंजाब और दिल्ली से लाये जाते थे। वह इस बात से भी साबित होता है कि हमारे सेल्स टैक्स की आमदनी 141 परसेन्ट बढ़ी है। लेकिन इस मद में 6 लाख से 6 लाख ही रही है-बढ़ी नहीं है। यह एक ऐसा साधन है कि जितनी हमें आमदनी होनी चाहिये थी वह एक जगह खड़ी हुई है और कहीं ऐसा न हो कि [illegible] की दर ऊंची हो जाय [illegible] दूसरी जगह से खरीद कर ले [illegible] और हमारा टैक्स नहीं बने। बहुत कोशिश के बावजूद भी उन्होंने 10 परसेन्ट से अधिक बढ़ाना स्वीकार नहीं किया इसलिये वापिस मजबूर होकर हमको अपना टैक्स कम करना पड़ा जिससे कि हमारी आमदनी 6 लाख से बढ़कर 15.20 लाख हो जाय। जब हम यह देखेंगे कि आमदनी 15.20

(श्री चन्दनमल बैद)

लाख नहीं हो रही है तो हमें टैक्स बढ़ाने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिये इसके बावजूद भी यह कहा गया कि इस पर टैक्स कम करने से वित्त मंत्री का हित है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि प्रदेश की आमदनी बढ़ जाय तो अच्छी बात है बुरी बात नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, कुछ हलवाइयों की रेट्स की बात कही। चन्दनमलजी हलवाइयों के खास हैं इसलिये कम कर दिया। मैं कहना चाहूंगा कि हलवाई वैसे ही 50 हज़ार तक तो बिक्री कर से मुक्त हैं। पचास हज़ार तक तो टैक्स नहीं। पचास हज़ार से ऊपर टैक्स है। जिनका टैक्स वे देते थे पूर्व में यदि अब उसका सवाया वे देंगे तो उनको कर निर्धारण पद्धति से छूट मिल जावेगी। हलवाई कहते हैं कि उनको मुनीम रखना पड़ता है, अकाउन्ट रखने पड़ते हैं। वकील के यहां जाना पड़ता है। जितना टैक्स देते हैं उसका सवाया ले लो तो हम दे देंगे और इससे हमें मुक्ति दे दो। यह एक तरीका है जिससे लोगों को कम तकलीफ़ हो तो और हमें करों में कोई नुकसान न होता हो तो इस तरीके को ट्राई करके देख लिया जाय। हलवाईयों पर इसको ट्राई करके देख और यदि यह सक्सेसफुल हुआ तो अन्य कमोडीटीज के लिये भी ट्राई करने की कोशिश करेंगे। इसलिये हम यदि 20 परसेन्ट से 25 परसेन्ट की आमदनी इन करों से हो सकती है तो क्या नुकसान है। इसलिये हमने यह सोचा है और इस पद्धति को लागू किया है जिससे कि लोगों को कम तकलीफ़ हो और हमें भी कर सवाया मिल जाय और करों से चोरी न हो। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि करों के सम्बन्ध में जितनी बातें माननीय सदस्यों ने कहीं उनके सम्बन्ध में मैं काफी अर्ज कर चुका हूं।

अब मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूं।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : सरकारी जमीन की कीमत दुगुनी कर दी।

श्री चन्दनमल बैद : इसके पहले कि सरकारी जमीन की कीमतों के बारे में आऊं उससे पहले एक भ्रम दूर करना चाहता हूं।

एग्रीकल्चर एण्ड एलाइड सर्विसेज पर खर्चा कम क्यों किया? रिवाइज्ड एस्टीमेट में खर्चा है 48 करोड़ 54 लाख। अनुमानित बजट है 43 करोड़ 12 लाख की कमी की है पांच करोड़ की वह इसलिये कि जयपुर मिल्क सप्लाई स्कीम को राजस्थान डेयरी कार्पोरेशन को दे दी। उसका कुल 1.03 करोड़ रुपया डेयरी डेवलपमेंट कार्पोरेशन में ट्रांसफर कर दिया। 48 करोड़ में 8 करोड़ वे शामिल हैं जो भारत सरकार के द्वारा तकावी बांटने के लिये मिलते हैं। साल के शुरु में हम 1 हजार रुपये का टोकन अमाउन्ट लेते हैं। वहां से जब हमको रकम मिल जाती है तो उसका समायोजन करके बिठा देते हैं इसलिये इस साल भी 1 हजार रुपये का टोकन अमाउन्ट ले रखा है। अगले साल जितनी रकम मिल जावेगी इसमें जोड़ देंगे। 8 करोड़ से ज्यादा मिला तो इसमें जुड़ जावेंगे और 28 करोड़ से ज्यादा हो जावेंगे। मुझे अपने बजट भाषण में इसको पेश करना चाहिये था लेकिन बजट भाषण

(श्री चन्दनमल बैद)

लम्बा न हो जाय इस कारण यह रह गया है। यह गलतफहमी दूर करना चाहता था।

अध्यक्ष महोदय, रिजर्व प्राइस के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि यह करीब 15 वर्ष पहले तय की गई थी। माननीय सदस्य बराबर यह कहते रहते हैं कि 15 साल में कितनी प्राइस बढ़ गई है। 15 साल के बाद रिजर्व प्राइस बढ़ती है।

श्री गुरदयाल सिंह संधु : आपको गलती लग रही है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : राजस्थान गवर्नमेन्ट ने एक रूल्स कमेटी बिठाई थी...

श्री चन्दनमल बैद : उसके पहले बढ़ी है...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उसके पहले बढ़ चुकी है।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : पहले पांच हजार थी, उसके बाद दस हजार और अब 17 हजार।

श्री चन्दनमल बैद : कीमतें बढ़ायी गयीं। कीमतों का प्रश्न नहीं है। वसूली कैसे की जा रही है? वसूली करने का तरीका है वह है कि 10 किश्तों में वसूल किया जावेगा। जमीन अलाट करने का प्रश्न है वह आर. सी. पी. में ही है। वहां लाखों एकड़ जमीन है, उसका अलाटमेन्ट करने का सवाल है जिसको जमीन अलाट होती है तो उससे दस किश्तों में वसूल होती है। शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब से 11 किश्तों में वसूल होती है। पहले साल उनसे किश्त नहीं लेते हैं और दूसरे साल उनसे, शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब से, 2½ परसेन्ट लेते हैं इस तरह से उनको 11 साल की छूट दी जाती है। एक मुरब्बा जमीन सिंचित मिली तो उसमें कितनी आमदनी होती है? 2½ परसेन्ट के हिसाब से कितनी वसूली की जावेगी यह देख लें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इन्फोर्मेशन कुछ गलत है आपको। मैं करेक्ट कर देता हूं। 40814 भूमिहीन थे जिसमें से थोड़ी केटेगरीज को राजस्थान केनाल में, 20 हजार भाखरा और गंग केनाल में सरकारी अलाटमेन्ट होगा और 10 साल में वसूल होगा।

श्री चन्दनमल बैद : भाखरा और गंग केनाल में 15 किश्तें पहले से ही हैं। राजस्थान केनाल में 10 और 11 किश्तों में। पहले साल हरिजनों से वसूल नहीं होगा। दूसरे साल 2½ परसेन्ट, तीसरे साल 4 परसेन्ट, चौथे साल 6 परसेन्ट, पेरीनियल हो जाती है तो 8 परसेन्ट। कीमत का प्रश्न इतना पेचीदा नहीं है जितनी यह देखने की बात है कि कितनी किश्तों में वसूल किया जाता है। आसान किश्तों में वसूल किया जाता है कमर तोड़ने वाली बात नहीं रहती है। फिर भी माननीय सदस्यों की राय को देखते हुए कि कुछ ऐसे लोगों को जमीन अलाट हो रही है जो दूसरे जिलों से पहली बार वहां जावेंगे तो रिजर्व प्राइस दुगुनी की गयी तो पौने दुगुनी की जावेगी। किश्तें दस वर्ष में वसूल की जाती थीं तो उसकी जगह 15 वर्ष में की जावेंगी। हरिजन 11 किश्त में देता था तो अब 11 किश्त के बजाय 16

(श्री चन्दनमल बैद)

किश्त में उससे वसूल किया जावेगा। जो बोझ महसूस होता था वह इससे हल्का हो जावेगा और परेशानी नहीं होगी।

एक असिंचित भूमि पर मालिकाना के बारे में कुछ माननीय सदस्यों ने कहा। सिंचित भूमि का मालिकाना दूना कर रहे हैं लेकिन असिंचित भूमि पर मालिकाना नहीं बढ़ना चाहिये। मुझे उनके तर्क में वजन मालूम पड़ा और यह निश्चय किया कि असिंचित भूमि पर जो मालिकाना पहले था वही रखा जावे। एल. डी. ओ. के बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने एतराज किया इस बात का कि डीजल की सेल्स टैक्स की दर 12।। परसेन्ट है और एल. डी. ओ. पर आपने 20 से बढ़ाकर 15 परसेन्ट कर दिया है। इसमें मुझे वजन मालूम पड़ता है और यह निश्चय किया गया है कि एल. डी. ओ. पर सेल्स टैक्स हैवी डीजल की तरह से ही 12।। परसेन्ट ही वसूल किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात को कहने की कोशिश की कि आप आयुर्वेद औषधालय तो इतने खोल रहे हैं और एलोपेथी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया क्या आपकी छंगाणी जी से कोई नाराजगी है। ऐसी बात नहीं है, छंगानीजी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों की नाराजगी नहीं रहे इसलिए यह निश्चय किया गया है कि जहां हमने 7 करोड़ 45 लाख रुपया विकास के कामों में दिया है वहां उसके साथ ही साथ 25 नयी डिस्पेन्सरीज खोलने के लिए और 50 नयी ऐड पोस्ट्स खोलने के लिए 20 लाख रुपये का प्रावधान और कर दिया गया है।

श्री बनवारी लाल : दोस्ती मुबारक हो।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, हमारे शिक्षा मंत्रीजी को इस बात की शिकायत रही कि इस महिला वर्ष में महिलाओं की शिक्षा के लिए कुछ नहीं किया गया। मैं सभी माननीय महिला सदस्याओं की सारी बातों का ख्याल करते हुए और उन्होंने जो इस बजट में सक्रिय सहयोग दिया है उसको देखते हुए इस बात को हम चाहते हैं कि जिन भी डिस्ट्रिक्ट हैडक्वाटर्स पर हायर सेकेण्डरी गर्ल्स स्कूल नहीं हैं और ऐसे 9 जिले हैं वहां पर सारे ही 9 जिलों में डिस्ट्रिक्ट हैडक्वाटर्स पर गर्ल्स हायर सेकेण्डरी स्कूल खोल दिये जावें।

अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मैं समझता हूं कि बहुत सी बातें कही जा सकती हैं और बहुत सी बातें जवाब में कही जा सकती हैं।

श्री भगराज चौधरी : पंचायत समिति के हैडक्वाटर्स पर सेकेण्डरी स्कूल नहीं हैं।

श्री चन्दनमल बैद : माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत सी बातें कही जा सकती हैं लेकिन आदमी के कहने की शक्ति की सीमा होती है और मेरी भी एक सीमा है और मैंने इस बात की कोशिश की है, जितने भी खास खास मुद्दे इस बहस के दौरान उठाये गये हैं उनका मैंने जवाब देने की कोशिश की है और कोई मुद्दा बाकी रह गया हो

(श्री चन्दनमल बैद)

तो जब डिमाण्ड पर बहस हो उस समय विभिन्न मंत्री महोदय इनका जवाब दे देंगे और अगर ऐसा कोई मुद्दा जो मेरे से सम्बन्धित रह गया हो तो अभी दो एप्रोप्रियेशन बिल के वक्त में मैं इस बात की पूरी कोशिश करूंगा कि माननीय सदस्यों ने जो तर्क दिये हैं उनके बारे में सरकार के क्या विचार हैं उनको मैं आपके सामने पेश करूंगा। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

सभापति तालिका अध्यक्षीय घोषणा

श्री अध्यक्ष : प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 9(1) के अन्तर्गत मैं, निम्नांकित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए मनोनीत करता हूं :–

(1) श्री फूलचन्द जैन
(2) श्री मीठालाल
(3) श्री भीमसेन
(4) श्री रघुनाथ विश्नोई

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का 25 वां प्रतिवेदन

श्री खेतसिंह (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के 25वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति की बैठक 12 मार्च, 1976 को अपराह्न 3 बजे हुई। समिति सिफारिश करती है कि दिनांक 17 मार्च, 1976 से 3 अप्रेल, 1976 तक लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाये :

बुधवार, 17 मार्च, 1976 गुरुवार, 18 मार्च, 1976 शुक्रवार, 19 मार्च, 1976 शनिवार, 20 मार्च 1976	मांगों पर विचार
रविवार, 21 मार्च, 1976	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, 22 मार्च, 1976	मांगों पर विचार
मंगलवार, 23 मार्च, 1976 बुधवार, 24 मार्च, 1976	1. मांगों पर विचार 2. वर्ष 1975-76 के अनुपूरक मांगों (द्वितीय संकलन) का उपस्थापन
गुरुवार, 25 मार्च, 1976	मांगों पर विचार

(श्री खेतसिंह)

शुक्रवार, 26 मार्च, 1976	1. मांगों पर विचार 2. आय-व्ययक 1976–77 से संबंधित विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन
शनिवार, 27 मार्च, 1976	1. वर्ष 1975–76 के लिए अनुपूरक मांगों (द्वितीय संकलन) पर विचार एवं पारण तथा इनसे सम्बंधित विनियोग विधेयक पर विचार एवं पारण 2. आय-व्ययक 1976–77 से संबंधित विनियोग विधेयक पर विचार
रविवार, 28 मार्च, 1976	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, 29 मार्च, 1976	आय-व्ययक 1976–77 से संबंधित विनियोग विधेयक पर विचार एवं पारण
मंगलवार, 30 मार्च, 1976	राजस्थान कराधान विधियां (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1976 पर विचार एवं पारण
बुधवार, 31 मार्च, 1976	1. विद्युत (प्रदाय) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1976। 2. राजस्थान भूमि (अन्तरण पर निर्बन्धन) विधेयक, 1976। 3. राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारियों (सेवा की विशेष शर्तें) (संशोधन) विधेयक, 1976। 4. राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1976 पर विचार एवं पारण।

Page No 110

(110)

(श्री खेतसिंह)

गुरुवार, 1 अप्रेल, 1976

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के 19वें, 20वें व 21वें प्रतिवेदनों पर विचार।

शुक्रवार 2 अप्रेल, 1976

शनिवार 3 अप्रेल, 1976

गैर सरकारी सदस्य कार्य

1. राजस्थान सरकारी मतालबा वसूली (संशोधन) विधेयक, 1976
2. राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1976
3. राजस्थान यात्री एवं मालकर (संशोधन) विधेयक, 1976 पर विचार एवं पारण

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-सलाहकार समिति के 25वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सम्मति है कि कार्य-सलाहकार समिति के 25 वें प्रतिवेदन को स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

कार्य-सलाहकार समिति का 25वां प्रतिवेदन स्वीकार किया गया।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 13 मार्च, 1976 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही मध्याह्न पश्चात् 4.46 बजे शनिवार दिनांक 13 मार्च, 1976 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या 60 की सूची)

राजस्थान में वार्षिक ऊन उत्पादन की जिलेवार–सूचना व किस्म तथा उपयोग

क्र.सं.	जिले का नाम	वर्ष 1971 की भेड़ गणना के आधार पर वार्षिक ऊन उत्पादन का अनुमान (लाख किलोग्राम में)	किस्म	साधारण उपयोग
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	6.00	मारवाड़ी एवं मालपुरा	गलीचे, कम्बल, एवं ऊनी वस्त्र
2.	अलवर	1.05	मारवाड़ी एवं मालपुरा	गलीचे, नमदे एवं ऊनी वस्त्र
3.	भरतपुर	0.45	मालपुरा	गलीचे, नमदे एवं ऊनी वस्त्र
4.	जयपुर	3.20	मालपुरा	नमदे एवं चकमें
5.	झुंझुनूं	4.10	नाली	कम्बल, गलीचे एवं नमदे
6.	सवाई माधोपुर	0.80	मालपुरा	नमदे एवं चकमें
7.	सीकर	5.05	नाली एवं चौकला	गलीचे, शाल, पट्टू एवं ऊनी वस्त्र
8.	टोंक	2.50	मालपुरा	नमदे एवं चकमें
9.	बीकानेर	6.80	मगरा एवं पुगल	गलीचे, शाल, कम्बल एवं पट्टू
10.	चूरू	8.80	चौकला एवं नाली	गलीचे, शाल, पट्टू एवं ऊनी वस्त्र
11.	गंगानगर	7.10	नाली एवं मगरा	कम्बल, पट्टू एवं नमदे
12.	बाड़मेर	6.30	जैसलमेरी	गलीचे, कम्बल एवं ऊनी वस्त्र
13.	जैसलमेर	5.10	जैसलमेरी	गलीचे, कम्बल एवं ऊनी वस्त्र
14.	जालौर	5.75	मारवाड़ी	कम्बल, गलीचे एवं ऊनी वस्त्र
15.	जोधपुर	10.20	मारवाड़ी	कम्बल, गलीचे एवं ऊनी वस्त्र
16.	नागौर	11.00	मारवाड़ी	कम्बल, गलीचे एवं ऊनी वस्त्र

1	2	3	4	5
17.	पाली	7.20	मारवाड़ी	कम्बल, गलीचे एवं ऊनी वस्त्र
18.	सिरोही	2.25	सौनाड़ी	नमदे तथा चकमें
19.	बांसवाड़ा	0.10	सौनाड़ी	नमदे तथा चकमें
20.	भीलवाड़ा	6.80	सोनाड़ी एवं मारवाड़ी	नमदे तथा चकमें एवं गलीचे व कम्बल
21.	चित्तौड़गढ़	2.30	सौनाड़ी	नमदे एवं चकमें
22.	डूंगरपुर	1.25	सौनाड़ी	नमदे एवं चकमें
23.	झालावाड़	0.20	मालपुरा	नमदे एवं चकमें
24.	उदयपुर	4.50	सौनाड़ी	नमदे एवं चकमें
25.	बूंदी	0.80	मालपुरा एवं मारवाड़ी	नमदे, चकमें, कम्बल, गलीचे एवं ऊनी वस्त्र
26.	कोटा	0.40	मालपुरा एवं मारवाड़ी	नमदे, चकमें, कम्बल, गलीचे एवं ऊनी वस्त्र ।

———

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या 64 की सूची)

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के न्यायालय में दिनांक 1–1–76 को विचाराधीन मुकदमों की जिलेवार सूची

क्र.सं. 1	किस्म मुकदमा 2	जोधपुर 3	जालोर 4	नागोर 5	बाड़मेर 6	सिरोही 7	पाली 8	जैसलमेर 9	योग मुकदमा नं. 10
1.	अपील्स	306	177	411	148	58	244	18	1362
2.	निगराणीज	1	2	–	–	1	1	–	5
3.	विविध	12	8	18	7	1	27	–	73
	योग	319	187	429	156	60	272	18	1440

परिशिष्ट–3

जोहड़ों में ईंटें बनाने की छूट

67. श्री मोहरसिंह (सादुलपुर)– क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही नहीं है कि राजाशाही जमाने में खालसा ग्रामों में घरेलू कार्यार्थ जोहड़ों में ईंटें बनाने की छूट थी ?

(2) क्या यह सही नहीं है कि वर्तमान में काफी जगह राजस्व तहसीलदारों की तरफ से घर वास्ते ईंटें बनाने वालों पर मुकदमें कायम किये गये हैं ?

(3) क्या सरकार इस कठिनाई से किसान को बचाने के लिए कोई उपाय सोच रही है ? अगर नहीं, तो क्यों और अगर हां, तो कब तक ?

(स्थगित किया गया)

क्लार्क आमेर होटल, जयपुर में शिक्षाविदों की कान्फ्रेंस

68. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर)– क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि क्लार्क आमेर होटल जयपुर में गत नवम्बर, 1975 में शिक्षाविदों की एक कांफ्रेंस हुई थी जिसमें राजस्थान के तीनों विश्वविद्यालयों के कुलपति शामिल हुए थे ?

(2) क्या कांफ्रेंस किसके तत्वाधान में और किसकी पहलकदमी पर बुलाई गई थी और इसका क्या उद्देश्य था ?

(3) इस कांफ्रेंस में भारत के कौन–कौन शिक्षाविद शामिल हुए थे ? कृपया उनकी सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि इस कांफ्रेंस में कुछ अमेरिकन शिक्षाविद भी शामिल हुए थे ? यदि हां, तो उनकी सूची मय उनके पदों और पतों के सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(5) क्या यह सही है कि इस कांफ्रेंस में अमरीकी दूतावास के कांउसलर मिस्टर रोची (Roche) भी शामिल हुए थे ?

(6) इस कांफ्रेंस का खर्चा किसने वहन किया था ?

(7) क्या इस कांफ्रेंस को करने के लिए राज्य सरकार से किसी प्रकार की इजाजत ली गई थी ? यदि हां, तो इजाजत किसने ली और किस अधिकारी ने इजाजत दी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) यह कांफ्रेंस अमरीकी दूतावास द्वारा उनकी ही पहलकदमी पर बुलाई गई थी। इसका उद्देश्य अमरीकी उच्च शिक्षा में आ रहे परिवर्तनों से तथा उसकी अन्य विशेषताओं से भारतीय शिक्षाविदों को परिचित कराना था।

(3) इस कांफ्रेंस में भाग लेने वाले शिक्षाविदों की सूची विभाग के पास उपलब्ध नहीं है।

(मुख्य मंत्री)

(4) जी हां। सूची उपलब्ध नहीं है।

(5) इसके बारे में जानकारी नहीं है।

(6) इस कांफ्रेंस का खर्चा अमेरिकन दूतावास द्वारा ही वहन किया गया।

(7) जी नहीं।

लूनी नदी की बाढ़ से सड़कों को क्षति

69. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर)–क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) बाड़मेर जिले में इस वर्ष अतिवृष्टि और लूनी नदी की बाढ़ से किन-किन सड़कों को क्षति पहुंची? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) अतिवृष्टि और बाढ़ से, जो सड़कों को क्षति हुई उससे राज्य की कितनी सम्पत्ति का नुकसान हुआ?

(3) उक्त सड़कों की मरम्मत एवं सुधारने के लिए सहायता विभाग ने कितनी कितनी राशि का प्रावधान किया?

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(2) बाड़मेर जिले की सड़कों को अतिवृष्टि एवं बाढ़ से अनुमानतः 25-42 लाख रुपये की क्षति आंकी गई है।

(3) क्षतिग्रस्त सड़कों की तुरंत मरम्मत हेतु रिपेयर्स ग्रान्ट से मरम्मत की जा रही है। विशेष मरम्मत का कार्य धनराशि उपलब्ध होने पर कराया जावेगा।

सड़कों की सूची

1. बाड़मेर सिन्दरी जालौर सड़क
2. बाड़मेर वायतू वागुन्डी सड़क
3. सिंदरी गूंडा सड़क
4. चोहटन बाखासर सड़क
5. चोहटन स्वरूप का तला सड़क
6. जोधपुर बाडमेर सड़क (सिंदरी तक)
   अ–जोधपुर बालोतरा सेक्शन
   ब–बालोतरा सिंदरी सेक्शन
7. पचपदरा रेल्वे स्टेशन से पचपदरा साल्ट
8. बालोतरा मेवानगर सड़क
9. बालोतरा सिवाणा जालोर सड़क।

कृषि उपज मण्डी समितियों का ऑडिट

70. श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल जयपुर)–क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) राजस्थान में कुल कितनी कृषि उपज मण्डी समितियां हैं?

(2) क्या इनका प्रतिवर्ष आडिट कराये जाने की व्यवस्था है?

(3) यदि हां, तो अब तक कितनी समितियों का ऑडिट हो चुका है।

(4) जिनका आडिट अभी तक नहीं हुआ है उनका ऑडिट कराने की कब तक आशा है?

(कृषि मंत्री)

उत्तर

(1) राजस्थान में 90 कृषि उपज मण्डी समितियां कार्य कर रही हैं।

(2) प्रतिवर्ष ऑडिट होना अभी तक सम्भव नहीं हो पाया है।

(3) वर्ष 1969–70 तक एक बार लगभग सभी मण्डी समितियों का ऑडिट हो चुका है। उसके उपरान्त जिन-जिन मण्डी समितियों के ऑडिट हुए हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) वर्ष 1976–77 तक सभी मण्डी समितियों का नियमित रूप से ऑडिट पूरा कराये जाने की सम्भावना है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

चिटफन्ड कम्पनियों द्वारा पैसे का लेन-देन

71. श्री केसरीमल (ब्यावर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान में इस समय चिटफंड नाम की व इसी प्रकार का धन्धा करने वाली कितनी कम्पनियां रजिस्टर्ड हैं? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या सरकार ने ऐसी चिटफण्ड कम्पनियों के पैसे लेने-देन के हिसाब और तरीके की जानकारी की है? क्या सरकार को मालूम है कि ये कम्पनियां जनता से भारी ब्याज वसूल करती हैं और जनता को खूब लूट रही हैं? यदि हां, तो सरकार ने इस शोषण को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की?

(3) क्या यह भी सही है कि ऐसी कई चिटफण्ड कम्पनियां थोड़े समय बाद बन्द हो जाती हैं? यदि हां, तो 5 वर्ष में कितनी चिटफण्ड कम्पनियां बन्द हुई कितना पैसा जनता का इस प्रकार की कम्पनियों ने दबा लिया और सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की?

(स्थगित किया गया)

साहित्यकारों की सहायतार्थ कोष की स्थापना

72. श्री चेतराम (टोडाभीम): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सच है कि राजस्थान साहित्य अकादमी ने प्रान्त के साहित्यकारों के लिये किसी कोष की स्थापना की है? यदि हां, तो इसका उद्देश्य क्या है तथा इससे किस-किस प्रकार के साहित्यकारों को सहायता मिल सकेगी?

(2) क्या राज्य सरकार ने इस कोष में कोई योगदान देने का निर्णय लिया है? यदि हां, तो उस कोष की कितनी धनराशि होगी और राज्य सरकार का कितना कन्ट्रीब्यूशन होगा?

(3) क्या सरकार उन्हीं साहित्यकारों की मदद करेगी जो कि साहित्यिक क्षेत्र में क्रियाशील हैं या आश्रितों एवं वृद्ध साहित्यकारों को भी देगी?

(4) इस प्रकार की भी सहायता की क्या क्या दरें हैं?

(शिक्षा मंत्री)

उत्तर

(1) जी हां। इसका उद्देश्य साहित्यकारों को साहित्य सृजन के लिये आर्थिक सहायता देना, अभावग्रस्त अथवा रुग्ण सहित्यकारों को आर्थिक सहयोग देना तथा साहित्यकारों के आश्रितों को जो आर्थिक कठिनाईयों से गुजर रहे हैं, सहायता प्रदान करना है।

(2) जी हां। 11 हजार रुपये की राशि देने का निर्णय लिया गया है। अकादमी के बजट से इसमें 10 हजार रुपये की राशि दी जायगी।

(3) सरकार दोनों प्रकार के साहित्यकारों की मदद करेगी।

(4) यह अभी विचाराधीन है।

दौसा के भेड़ व ऊन सुपरवाईजर के विरुद्ध शिकायतें

73. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा): क्या भेड़ व ऊन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) श्री पुरुषोत्तम दास ओझा भेड़ व ऊन कार्यालय दौसा में सुपरवाइजर के पद पर किस तिथि से कार्य कर रहे हैं?

(2) इनके दौसा पधारने के बाद से अब तक किस किस तिथि को कितनी दवाइयां दौसा कार्यालय को भेजी गई अथवा ले जाई गई?

(3) क्या नियमानुसार दवाइयों को स्टाक रजिस्टर में दर्ज किया गया? व काम में लेते समय इश्यू करना बताया गया है?

(4) क्या श्री ओझा के विरुद्ध दवाइयों को ले जाकर रजिस्टर में दर्ज न करने, कार्यालय पर न रखने व भेड़ पालकों की बजाय अन्य लोगों को बेचने के जुर्म की शिकायत (एफ.आई.आर.) दौसा थाने में की गई?

(5) क्या पुलिस द्वारा आपके विभाग से भी वांछित जानकारी चाही गई? यदि हां, तो कितनी बार? क्या विभाग द्वारा पूर्ण जानकारी दी गई? यदि नहीं, तो पूर्ण जवाब न देने का क्या कारण है?

(6) उक्त मामले के बाद श्री ओझा के बाबत विभाग ने क्या कार्यवाही की?

(7) क्या यह सही है कि इस मामले को दबाने हेतु पुलिस में भी प्रयास किये गये? यदि हां, तो क्या और क्यों?

(8) क्या इस मामले के बाबत शीघ्र कार्यवाही की जावेगी?

उत्तर

(1) पुरुषोत्तम दास ओझा भेड़ व ऊन प्रसार अधिकारी दौसा के पद पर 2-7-75 से नियुक्त हैं।

(2) सूचना संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां।

(5) जी हां, तीन बार जवाब चाहे गये थे और पूर्ण उत्तर दिया गया।

(6) प्राथमिक जांच कराई गई।

(7) जी नहीं।

(8) पुलिस की जांच के पश्चात् यथोचित कार्यवाही की जावेगी।

दवाइयों की सूची जो श्री पुरुषोत्तमदास ओझा, भेड़ व ऊन प्रसार अधिकारी, दौसा को दिनांक 2–7–75 के बाद उपलब्ध कराई गई:–

दिनांक	औषधि का नाम	मात्रा
30–9–75	1. डिस्टेंडिन टेबलेट	2 सीसी
	2. सल्फा मैजेथिन 33114	5 बोतल
	3. ग्रोयल	1 पैकेट (एक किलो)
	4. केसोलिन	3 ,, (450 ग्राम)
	5. फिनोविस	1 टिन (तीन किलो)
	6. फिनोविस	4 टिन (आधा किलो प्रति टिन)
16–10–75	1. कोपर सल्फेट	4 पैकेट (500 ग्राम प्रति)
	2. फिनोविस	5 टिन (आधा कि. प्रति टिन)
4–12–75	1. ई.टी.वी.	7 बोतल
1–3–76	1. ई.टी.वी.	33 बोतल

अलवर जिले में जंगलात की जमीन

74. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि अलवर जिले के जिलाधीश ने जिले में जंगलात की जमीन को सिवायचक में तब्दील करने की सिफारिश सरकार को की है ? यदि हां, तो कब और किस रोध की कितनी कितनी जमीन तब्दील करने की सिफारिश की है ?

(2) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा कब तक निर्णय लिया जा सकेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, निम्नलिखित संघों की वन भूमि को राजस्व में स्थानान्तरण करने की सिफारिश की गई है :–

1. संघ बडौद–100 बीघा–दि. 6–12–74 को

2. रूंधसीरायास 3. रूंध बादीपुल एवं गुलाटा	सरिस्का सेंक्चुरी दिनांक 4 फरवरी 1976 क्षेत्र में बसे। ग्रामीणों को आवंटन हेतु दिनांक 3 मार्च, 1976। यथा आवश्यकता।

(2) यथा शीघ्र निर्णय लिया जायेगा।

डूंगरपुर जिले में अकाल राहत कार्यों पर लगे मजदूरों की मजदूरी का भुगतान

75. श्री रामचन्द्र रोत (चौरासी) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1973-

(श्री राम चन्द्र रोत)
74-75 में डूंगरपुर जिले में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत भू-संरक्षण के कुछ काम चलाये गये थे ? यदि हां, तो किन किन गांवों में ? प्रत्येक गांव वाइज मजदूरों की संख्या दर्शाते हुये सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त मजदूरों की मजदूरी का भुगतान कर दिया गया है ? अगर नहीं किया गया है तो उसके क्या कारण हैं और यह भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

(3) भू-संरक्षण विभाग डूंगरपुर इस समय क्या क्या काम कर रहा है ?

(4) क्या यह विभाग उक्त जिले में भू-संरक्षण का कार्य समाप्त कर चुका है ? यदि हां, तो उसके पश्चात् यह विभाग क्या काम करेगा ?

(स्थगित किया गया)

जयपुर जिले की तहसीलों का औद्योगिक सर्वे

76. श्री सुरेशचन्द्र (कोटपूतली) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जयपुर जिले में किस किस तहसील का औद्योगिक सर्वे हो चुका है ? सर्वे रिपोर्ट सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या सरकार जिन तहसीलों में औद्योगिक सर्वे हो चुका है उनमें औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने की कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो कब तक पूरी कार्यवाही कर ली जावेगी ?

(3) कोटपूतली तहसील में औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने की कार्यवाही कब शुरू की गई और अब तक उसमें क्या प्रगति हुई है ?

उत्तर

(1) सर्वेक्षण तहसीलवार नहीं किया गया है पूरे जिले को एक इकाई मानकर किया गया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जिन तहसीलों में उद्योग लगाने की सम्भावनायें हैं तथा उपक्रमी रुचि लेते हैं वहां औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया जाता है। जयपुर जिले में कुछ औद्योगिक क्षेत्र शीघ्र ही घोषित होने की संभावना है।

(3) 15 जुलाई, 1975 को जिलाधीश जयपुर से ग्राम सागसेठा तहसील कोटपूतली में 53–1/2 बीघा भूमि औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने हेतु लिखा गया।

(सर्वेक्षण रिपोर्ट विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पंचायत समिति सांगानेर की उच्चतर माध्यमिक स्कूलों का परिणाम

77. श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा (फागी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पंचायत समिति सांगानेर में कितनी कितनी राजकीय उच्चतर माध्यमिक शाला हैं तथा किस किस में कितने छात्र हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री जयकिशन लाल तोशावड़ा)

(2) इनमें से कोनसी स्कूल को गत पांच वर्ष में कितना कितना प्रतिशत बोर्ड आफ सैकेण्डरी एजूकेशन अजमेर की 10वीं कक्षा व 11 वीं कक्षाओं का रहा तथा कोनसी स्कूल का सबसे अच्छा परिणाम रहा ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) राजकीय उच्चतर माध्यमिक शाला बगरू में कितने कितने छात्र हैं तथा इसे कालेज में क्रमोन्नत करने का क्या राज्य सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) सूची सदन की मेज पर रखदी गई है। कक्षा 10 का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बगरू का तथा कक्षा 11 का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सांगानेर का परिणाम सबसे अच्छा रहा।

(3) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बगरू की छात्र संख्या 528 है। क्रमोन्नत करने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

पंचायत समिति सांगानेर में स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सूची

		छात्र संख्या
1.	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सांगानेर	781
2.	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बगरू	528

ह.
जिला शिक्षाधिकारी, जयपुर प्रथम

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सांगानेर व बगरू की कक्षा 10 व 11 की बोर्ड आफ सैकण्डरी एजूकेशन आफ अजमेर की परीक्षाओं का गत 5 वर्षों में घोषित परीक्षा परिणाम का प्रतिशत निम्न प्रकार का रहा।

क्र. सं.	सन्	रा.उ.मा.वि. बगरू का प्रतिशत	रा.उ.मा.वि. सांगानेर का प्रतिशत	सैकण्डरी स्कूल परीक्षा
1.	1971	45–0	26–09	सैकण्डरी परीक्षा
2.	1972	41–04	55–7	"
3.	1973	66–03	25–38	"

1	2	3	4	5
4.	1974	57–89	28–27	,,
5.	1975	48–33	29–82	,,
1.	1971	52–94	62–82	हायर सै. परीक्षा
2.	1972	48–64	57–64	,,
3.	1973	84–84	43–47	,,
4.	1974	68–20	87–50	,,
5.	1975	41–48	44–31	,,

उपरोक्त आधार पर कक्षा दस का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बगरू तथा कक्षा 11 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सांगानेर का परीक्षा परिणाम सब से अच्छा रहा।

ह.

जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर प्रथम।

बिल्लेश्वर शिव मंदिर, जयपुर के ट्रस्ट पंजीकरण का मामला

78. श्री जेसाराम (सिवाना):–क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि बिल्लेश्वर शिव मंदिर, जयपुर के ट्रस्ट पंजीकरण के संबंध में कोई विवाद निर्णय हेतु सहायक आयुक्त, देवस्थान, जयपुर के कार्यालय में विचाराधीन है? यदि हां, तो कब से और कब तक कोई निर्णय अन्तिम न देने का क्या कारण है? इस मामले में देरी के लिये कौन दोषी है?

(2) उक्त मन्दिर की चल व अचल सम्पत्ति कितने की है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त मन्दिर की भूमि पर किन्हीं व्यक्तियों ने अतिक्रमण कर रखा है? यदि हां, तो कितने क्षेत्र में और किन व्यक्तियों द्वारा?

उत्तर

(1) जी हां। यह मामला अपील से रिमाण्ड होने पर दिनांक 15–9–73 को आया जिस पर दिनांक 19–10–73 से कार्यवाही की जा रही है। अब तक निर्णय नहीं होने का कारण पक्षकारों पर नोटिस की तामील समय पर नहीं होना व काश्तकारों द्वारा समय-समय पर पेशी बदलवाना है व जवाब प्रस्तुत नहीं करना है।

(2) मंदिर की कोई चल सम्पत्ति नहीं है। अचल सम्पत्ति की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं। मन्दिर व उसकी अचल सम्पत्ति दिनांक 21–8–70 के निर्णयानुसार पंजीकृत न्यासधारियों के कब्जे में है।

Page No 122

(122)

अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण जो कि प्रन्यासधारी ने बताया है

ग्राम नाहुरी का नाका बोरिश के पास यह मंदिर बना हुआ है म्युनिसपल कमेटी का लगाया हुआ मकान नं. 912 एच. बी. है। मन्दिर के बाहर बन्द थड़ियां लगी हुई हैं जिसका जो भी किराया आदि आता है उसका आकड़ा बाकायदा रखा जाता है। किराये-नामे आदि लिखत में उपलब्ध हैं। गृहकर बाकायदा गृहकर अधिकारी के यहां जमा होता है। वर्ष 1969-70 तक का जमा हो चुका है तथा वर्ष 1970-71 का अब जमा होगा।

मन्दिर चार दीवारी से मदहृद है। मदिर पक्का है तथा चार दीवारी में। कमरा पक्का बना हुआ है। जिसका मूल्य 50,000) पचास हजार रुपये है।

नोटः—इस मन्दिर के अधीन परकोटे में 115+120 फीट जमीन है जिसमें छोटा शिवालय निज मन्दिर एक कमरा व सामने सड़क पर खुलती 9 थड़ियां हैं जिनमें से 8 थड़ियां किराये पर दी हुई हैं जिनका किराया 82.00 प्रतिमाह आता है।

परिशिष्ट–4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 3 की सूची)

(1) लिपिक वर्ग में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति की श्रेणीवार प्रतिशत सूची:–

कनिष्ठ लिपिक में अनुसूचित जाति का प्रतिशत 16

कनिष्ठ लिपिक में अनुसूचित जन जाति का प्रतिशत 12

(अन्य पद जैसे कार्यालय अधीक्षक, लेखाकार और शीघ्रलिपिक केवल एक एक ही स्वीकृत हैं जिसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की कोई संख्या आरक्षित प्रतिशत के अनुसार नहीं बनती है। वरिष्ठ लिपिक के केवल 6 स्वीकृत पदों में एक रिक्त पद है जो नया सृजित हुआ है और रोस्टर प्रणाली के अनुसार अनरिजर्व माना जाता है)

ऐग्जीक्यूटिव वर्ग में अ. जा./अनु. जनजाति की श्रेणीवार प्रतिशत सूची:–

पद	अनु. जाति प्रतिशत	अनुसूचित जनजाति प्रतिशत
चतुर्थ श्रेणी	27 प्रतिशत	7 प्रतिशत
आरक्षक	9 प्रतिशत	5 प्रतिशत
मुख्य आरक्षक	2 प्रतिशत	2 प्रतिशत
स. उ. नि.	शून्य	1 प्रतिशत
उपनिरीक्षक	3 प्रतिशत	शून्य
उपनिरीक्षक (सुपरवाईजर)	शून्य	शून्य
निरीक्षक	शून्य	शून्य
उप अधीक्षक	शून्य	शून्य

(2) अवनति.

अनु.जाति	अनु.जनजाति	किस पद पर पदावनत किया गया
शून्य	शून्य	शून्य

पदोन्नति:

अनु.जाति	अनु.जनजाति	किस पद पर पदोन्नति की गई
3	2	मु.आरक्षक
2	4	स.उप निरीक्षक
8	–	उप निरीक्षक
1	–	कनिष्ठ लिपिक

आरक्षित प्रतिशत की कमी केवल निर्धारित योग्यता प्राप्त अभियर्थियों की अनुपलब्धता के कारण ही है। यह तकनीकी विभाग है जहां निर्धारित योग्यता (गणित भौतिक विज्ञान) वाले अनुसूचित जाति के ही, जबकि अन्य जाति के अभ्यार्थी भी अल्प संख्या में ही कठिनाई से उपलब्ध होते हैं फिर भी सुरक्षित स्थानों को नियमानुसार रिजर्व रखा जाता है।

परिशिष्ट–5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 4 की सूची)

जिलेवार सूची

उद्योग विभाग द्वारा

क. सं.	नाम जिला	नाम औद्योगिक सम्पदा
1.	जयपुर	जयपुर
2.	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा
3.	कोटा	कोटा
4.	जोधपुर	जोधपुर
5.	भरतपुर	भरतपुर
6.	बीकानेर	बीकानेर
7.	उदयपुर	उदयपुर
8.	श्री गंगानगर	श्री गंगानगर
9.	पाली	(1) पाली
		(2) सुमेरपुर
		(3) रानी
		(4) फालना
10.	अजमेर	माधुपुरा

राजस्थान खनिज एवम् उद्योग विकास निगम द्वारा

1.	जोधपुर	जोधपुर
2.	कोटा	कोटा

Page No 126

(१२६)

परिशिष्ट 6

(अता. प्र. सं० 7 की सूची)

Budget Sanctioned during 1975—76 for Construction Work.

S.No. 1	Name of work 2	Amount sanctioned. 3
1.	Govt. College, Dausa.	20,000/-
2.	Govt. College, Kotputli.	37,000/-
3.	Govt. College, Kaladera.	3,000
4.	Govt. College, Rajagarh.	30,800
5.	B. R. College, Alwar.	75,000
6.	S. D Girls College, Alwar.	10,000/-
7.	M. J. College, Bharatpur.	2,10,000
8.	Girls College, Bharatpur.	10,000
9.	Govt. College Dholpur.	73,500
10.	Govt. College, Karauli.	22,000
11.	Govt. College, Sawai Madhopur.	50,000
12.	S. K. College, Sikar.	22,000
13.	SIKP Govt. College, Neem-ka-Thana.	31,000
14.	Govt. College, Ajmer.	1,20,000
15.	S. D. College, Beawar,	37,200
16.	Govt. College, Kishangarh.	10,000
17.	Govt. College, Nasirabad.	42,500
18.	Bangur College, Pali.	40,000
19.	Govt. College, Jalore.	44,200
20.	Dungar College, Bikaner.	4,100
21.	MS. College, Bikaner.	18,000
22.	Boys College, Ganganagar.	31,000
23.	Govt. Girls College, Ganganagar.	50,000
24.	Lohia College, Churu.	4,000
25.	JDS. Girls College, Kota.	1,70,000

1	2	3
26.	Govt. College, Baran.	8,000
27.	Govt. College, Bundi.	3,000
28.	Govt. College, Jhalawar.	1,30,000
29.	Boys College, Bhilwara.	1,000
30.	Girls College, Bhilwara.	8,000
31.	Govt. College, Dungarpur.	(—) 1,500
32.	Govt College, Banswara.	50,000
33.	Govt. College, Chittorgarh.	18,100
34.	Sanik School, Chittorgarh.	9,100
		13,84,000
		Total or Rs. 14,00000
1. 2.	Establishment Tool & Plant	2,25,000
		Grand Total 16,25,000

परिशिष्ट– 7

(अता. प्र. सं. 8 की सूची)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, (छात्र संस्थाएं) चूरू।

अनुसूचित जाति के आशार्थियों की सूची जिनकी नियुक्ति सन् 1975 एवं 1976 में आज तक की गई है।

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	जाति	निवास स्थान
1	श्री अर्जुन राम	श्री कालूराम	मेघवाल	खेजड़ा
2.	श्री गोकुलराम	,, जिराम	चमार	घेरासखड़ा
3.	श्री रामदेव	,, अमरचन्द	चमार	चूरू
4.	श्री गोविन्द राम	,, सुवाराम	मेहतर	सादुलपुर
5.	श्री शंकरलाल	,, लक्ष्मीनारायण	मेहतर	चूरू
6.	श्री चेतनराम	,, फागुराम	मेहतर	चूरू
7.	श्री चम्पालाल	,, भूराराम	रेगर	चूरू
8.	श्री सुरेश	,, रामेश्वरलाल	हरिजन	चूरू

ह/–

जिला शिक्षा अधिकारी,
(छात्र संस्थाएं)
चूरू।

अनुसूचित जनजाति के आशार्थियों की सूची जिनकी नियुक्ति सन् 1975 एवं 76 में आज तक की गई है।

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	जाति	निवास स्थान
1.	श्री बनवारीलाल	श्री फूलाराम	मीणा	सरदारशहर
2.	श्री बनवारीलाल	श्री सुरजाराम	मीणा	राजगढ़
3.	श्री सोहनलाल	श्री हीराराम	मीणा	लाछड़सर
4.	श्री ओमप्रकाश	श्री रतनसिंह	मीणा	चूरू

ह/–

जिला शिक्षा अधिकारी,
(छात्र संस्थाएं)
चूरू।

Page No 129

129

परिशिष्ट–8

(अ.ता. प्र. सं. 10 की सूची)

जयपुर जिले में सार्वजनिक पुस्तकालय अनुदान सम्बन्धी सूची)

1. अमर पुस्तकालय, कोटपूतली – 70%
2. सांभर पुस्तकालय, सांभरलेक – 70%
3. गांधी पुस्तकालय, गोविन्दगढ़ – 50%

शुद्धि-पत्र

12 मार्च 1976

पंक्ति सं.	स्तम्भ सं.	अशुद्ध	शुद्ध
ऊपर से प्रथम	25	झाबरमल सूण्डा	बिरदाराम
ऊपर से द्वितीय	113	आप	आपने
ऊपर से प्रथम	119	नानालाल	भगराज चौधरी
ऊपर से प्रथम	121	नानालाल	भगराज चौधरी
ऊपर से प्रथम	123	नानालाल	भगराज चौधरी